द्वितीय माला, खण्ड १६—अंक ५४

२६ अप्रैल, १९५८ (शनिवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(4th Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १६ में अंक ५१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

77 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १६—अंक ५१ से ६०—२३ अप्रैल से ५ मई, १९५८)

अंक ५१—बुधवार, २३ अप्रैल, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १७९१, १७९३ से १७९६,
१७९८ से १८०२ . . . ५१८६–५२०९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५२०९–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९२ और १७९७
अतारांकित प्रश्न संख्या २६२२ से २६७४, २६७७ से २६८६ . ५२२०–४१
जानकारी का प्रश्न . . ५२४१

प्राक्कलन समिति—

ग्यारहवें तथा उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ५२४१–४२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना—

हिमालय बैंक लिमिटेड कांगड़ा द्वारा कार्य का निलम्बन . ५२४२–४३
वित्त विधेयक ५२४३–६४,५२६८–९०
खण्डवार विचार ५२४३–६२
तृतीय वाचन ५२६२–६४,५२६५–६०

दान कर विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ५२६४–६८,५२९०–९२
दैनिक संक्षेपिका ५२९३–९६

अंक ५२—गुरुवार, २४ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८०६, १८०८, १८१०, १८१२ से
१८१४, १८१६ से १८२४ और १८०९ . . ५२९७–५३२१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १८०७ . . . . . ५३२१–२२
अतारांकित प्रश्न संख्या २६८७ से २६९८ और २७०० से २७४७ . . ५३२२–४४

स्थगन प्रस्ताव—
नई दिल्ली में एक स्कूल बस की दुर्घटना . . . ५३४४–४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५३४६–४७
राज्य-सभा से सन्देश ५३४७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३४८
प्राक्कलन समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन ५३४८
लोक-लेखा समिति—
पांचवां प्रतिवेदन ५३४८
दान कर विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ५३४८–७१
सम्पदा शुल्क (सँशोधन) विधयक—
प्रवर समिति को सौंपन का प्रस्ताव ५३७१–८४
विशेषाधिकार समिति—
दूसरा तथा तीसरा प्रतिवेदन ५३८४
दैनिक संक्षेपिका ५३८५–९०

अंक ५३—शुक्रवार, २५ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १८२५ से १८२७, १८२९, १८३०, १८३२, १८३३, १८३५ से १८३७, १८३९, १८४०, १८४२ से १८४८ और १८५० . . . . . . ५४९१–५४१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १८२८, १८३१, १८३४, १८३८, १८४१ और १८४९ . . . . . . ५४१४–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या २७४८ से २७८६ . . . ५४१६–३१
सभा पटल पर रखें गये पत्र ५४३१–३२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

सशस्त्र सेना के पदाधिकारियों को विशेष शक्तियां देने वाले विनियम का प्रख्यापन ५४३२

हैदराबाद प्रतिभूति संविदा विनियम (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित . ५४३३

बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५४३३

विशेषाधिकार समिति—

दूसरा प्रतिवेदन . . . . ५४३३—३७

विशेषाधिकार समिति—

तीसरा प्रतिवेदन ५४३७

सम्पदा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . . . . ५४३८—५४

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत . . ५४५४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन ५४५५

परीक्षा प्रणाली के पुनर्नवीकरण के बारे में संकल्प . . . ५४५५—५९

सेवा नियमों में रूपभेद के बारे में संकल्प . . . ५४६०—७०

राष्ट्रीय पुस्तकालय निधि बनाने के सम्बन्ध में संकल्प . . ५४७०—७३

कार्य मंत्रणा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ५४७३

नारियल जटा के फ़र्श तथा पट्टियों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा . ५४७३—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५४७८—८१

अंक ५४—शनिवार, २६ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५१, १८५३, १८५६, १८५७, १८६० से १८६६ और १८६८ से १८७१ . . . ५४८३—५५०६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . ५५०६—०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५२, १८५४, १८५५, १८५८, १८५९, १८६७ और १८७२ से १८७५ . . . . ५५०९—१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २७८७ से २८६७ . . . ५५१३—४९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५४९

प्राक्कलन समिति—

सोलहवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन ५५४९

लोक लेखा समिति—

चौथा प्रतिवेदन ५५५०

पृष्ठ
सभा का कार्य ५५५०
केन्द्रीय बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ५५५१
भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ५५५१
कार्य मंत्रणा समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन . . . ५५५१
भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक—
विचार का प्रस्ताव . . . . . ५५५२—५४
पारित करने का प्रस्ताव ५५५४
अपराधी परिवीक्षा विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ५५५४—८२
सैन्टा क्रुज़ हवाई अड्डे के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा . . ५५८३–८८
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५५८९—९४

अंक ५५, सोमवार, २८ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १८७६, १८७७, १८८० से १८८२, १८८४, १८८५, १८८७ से १८९५ और १८९६ . . . ५५९५—५६१५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १८७८, १८७९ और १८८३ . . ५६१५–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८९८ से २९०४, २९०६ से २९२० . ५६१६—३५
स्थगन प्रस्ताव—
उड़ीसा में स्थिति . . . . . ५६३५—४३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५६४३–४४
प्राक्कलन समिति—
पन्द्रहवां प्रतिवेदन ५६४४
जिन संस्थाओं में लोक-सभा का प्रतिनिधित्व होता है उनके लिये निर्वाचन. ५६४४–४५
अपराधी परिवीक्षा विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५६४६—६२
खण्डवार विचार . . . . . ५६५०—६२
खण्ड २ से १९ तक . . . . . ५६५०—६२
बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक—
विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . ५६६२—६५
हिन्दुस्तान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ५६६५—८१
दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५६८२—८५

पृष्ठ

अंक ५६—मंगलवार, २९ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८९६, १८९८, १९०१, १९०४ से १९०७, १९१० से १९१२, १९१४, १९१५ और १९१८ से १९२२ . ५६८७—५७१०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . . . ५७१०—१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८९७, १९००, १९०२, १९०३, १९०८, १९०९, १९१३, १९१६, १९१७, १९२३, १९२४ और १९८५ . ५७१४—१९
अतारांकित प्रश्न संख्या २९२१ से २९७८ . . . ५७१९—४४
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५७४४
राज्य-सभा से सन्देश ५७४४

प्राक्कलन समिति—

अट्ठारहवां, बीसवां और बाईसवां प्रतिवेदन . . . ५७४५

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५७४५—६०
खण्ड १८ और १ . . . . . . ५७४५—५२
पारित करने का प्रस्ताव . . . . . . ५७५२—६०

बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . . ५७६०—७५
खण्ड १ से ४ . . . . ५७७५
पारित करने का प्रस्ताव ५७७५

हैदराबाद प्रतिभूति संविदा विनियमन (निरसन) विधेयक —

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . . ५७७५—७६
खण्ड २ और १ . . . . . . ५७७६
पारित करने का प्रस्ताव ५७७६

भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५७७६—७८
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव . ५७७८—९३
सदस्य की रिहाई ५७९३
राज्यों में गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५७९३—९९
दैनिक संक्षेपिका . . . . ५८००—०४

पृष्ठ

अंक ५७—बुधवार, ३० अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२६, १९२९, १९३०, १९३२, १९३३, १९३५ से १९४१, १९४३ से १९४५ . . . ५८०५—२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३१, १९३४, १९४२ और १९४६ . . . . ५८२८—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७९ से ३०४४ और ३०४६ से ३०५६ . ५८३०—६३

स्थगन प्रस्ताव—

षष्टमकोटा में विषैले भोजन के कारण मृत्यु . . . ५८६४

नियम समिति—

तीसरा प्रतिवेदन ५८६४

प्राक्कलन समिति—

सत्रहवां तथा पच्चीसवां प्रतिवेदन ५८६५

भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक—

विचार का प्रस्ताव . . . ५८६५–६६, ५८६८, ५८७७

षष्टमकोटा में विषैले भोजन के कारण मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ५८६६—६८

केन्द्रीय बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ५८६६—६८

अतिरिक्त अनुदानों की मांग, १९५४-५५ . . . . ५८७७—८०

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, १९५८—

विचार का प्रस्ताव . . . . ५८८१—९५

खण्डवार विचार . . . . . ५८९२—९५

पारित करने का प्रस्ताव ५८९५

चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) विधेयक, १९५८

विचार का प्रस्ताव ५८९६

कोलार की सोने की खानों के राष्ट्रीयकरण पर दिये जाने वाले प्रतिकर सम्बन्धी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा . . ५८९६–५९११

दैनिक संक्षेपिका ५९११–१५

अंक ५८—गुरुवार, १ मई, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४७, १९४८, १९५०, १९५२ से १९५६, १९६०, १९६१ से १९६४ और १९५८ . . . ५९१७—३५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ . . . ५९३५—३७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४९, १९५१, १९५७, १९५९ और १९६५ . ५९३७—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५७ से ३११८ . . . ५९३९—६४
स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . . ५९६४—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५९६५—६६
राज्य-सभा से सन्देश ५९६६
सिंगोरेनी कोयला खानों के विकास के लिये अग्रिम निधि देने के बारे में
वित्त मंत्री के वक्तव्य की शुद्धि ५९६७
दान कर विधेयक तथा सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाना . ५९६७
विनियोग (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५९६८
चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५९६८—८०
वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प के बारे में प्रस्ताव . . . ५९८१—९६
सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ५९९७—६००१
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६००२—०७

अंक ५९—शुक्रवार, २ मई, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७ से १९७५, १९७७ से १९७९, १९८१,
१९८३ से १९८५ . . . . . ६००९—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८२, १९७६, १९८०, १९८६ से १९९० . ६०३३—३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३११९ से ३१४४, ३१४६ से ३१९२ . ६०३६—६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ६०६४—६५
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५४-५५ . ६०६५
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ६०६५
सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . ६०६५
तारांकित प्रश्न संख्या १९१५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ६०६५—६७
सभा का कार्य . . . ६०६७
भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक—पुरःथापित ६०६८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक—पारित . ६०६८

पृष्ठ

चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) विधेयक—
  विचार करने का प्रस्ताव . . ६०६९—९१
  खण्डवार विचार . . . . ६०८०—८९
  पारित करने का प्रस्ताव . . . . ६०८९—९१
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०९१
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०९१–९२
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ०९१–९२
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०९२
संविधान (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०९२
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—पुरःस्थापित . ६०९२–९३
ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक—पुरःस्थापित ६०९३
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०९३
भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०९३
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ६०९४
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . ६११५
समवाय (संशोधन) विधेयक—
  विचार करने का प्रस्ताव . . . ६०९४—६१०७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . ६१०७—१४
दान-कर विधेयक—
  प्रतिवेदन का उपस्थापन . . . ६११४
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—
  विचार करने का प्रस्ताव ६११५—१६
दैनिक संक्षेपिका . ६११७—२२

अंक ६०—सोमवार, ५ मई, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
  तारांकित प्रश्न संख्या १९९१ से १९९३, १९९५ से २००५ और २००७ से २०१२ . ६१२३—४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
  तारांकित प्रश्न संख्या १९९४, २०१३ और २०१४ . ६१४९–५०
  अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९३ से ३२७६ . ६१५०—८२
जानकारी का प्रश्न . ६१८२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ६१८३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . ६१८४

पृष्ठ

नियम समिति—

कार्यवाही का सारांश ६१८४

लोक लेखा समिति—

आठवां प्रतिवेदन ६१८४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ६१८४
लेखानुदान के सम्बन्ध में प्रथा ६१८४—९३
उड़ीसा में स्थिति ६१९३—९५

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार का प्रस्ताव ६१९५—६२१४
खण्ड १ से ३ ६२१३–१४
पारित करने का प्रस्ताव ६२१४

व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६२१४—२३
औद्योगिक वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ६२२३—३५

कार्य मंत्रणा समिति—

पच्चीसवां प्रतिवेदन ६२२७
दैनिक संक्षेपिका ६२३६—४१

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह +चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, २६ अप्रैल, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नयी दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन घर

+

†*१८५१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को खोटे सिक्के डाले जाने आदि के कारण नई दिल्ली के सार्वजनिक टेलीफोन घरों से घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो १९५७ में कुल कितना नुक्सान हुआ ; और

(ग) क्या इस प्रकार के घाटे से बचने के लिये कोई युक्ति निकाली गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां ।

(ख) ७,५७३.३१ रुपये ।

(ग) सिक्कों के मौजूदा बक्सों में ऐसा यंत्र लगा है जो सिक्कों के आकार और वजन की परख करता है । अभी और कोई युक्ति संभव नहीं प्रतीत होती ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह बात सरकार के ध्यान में कब आई कि घाटा हो रहा है और इस घाटे को रोकने के लिये सरकार ने प्रभावपूर्ण कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस बात के लिये प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है । लेकिन यह खोटे सिक्के डालने वाली बात कुछ नयी नहीं है ; दुनिया भर में ऐसा होता है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस प्रकार के खोटे सिक्कों से बचने के लिये क्या पुराने सिक्कों के स्थान पर दशमिक सिक्के डालने का कोई तरीका निकाला गया है, और यह कब से चालू हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल भिन्न बात है।

†**श्री स० का० पाटिल** : नया तरीका वही है जो हमारे यहां है—सिक्कों के डालने वाला छेद, खरे खोटे सिक्कों की परख करने वाला यंत्र और उसका संतुलन-बाहु:—ये तीनों मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर ला देते हैं। लेकिन कुछ लोग मशीनों का आविष्कार करने वालों से भी तो चालाक होते हैं।

†**श्री हेडा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मशीन का इस्तेमाल केवल दुअन्नियां डालकर ही किया जा सकता है और विशेष रूप से इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि दशमिक प्रणाली लागू होने के बाद से दुअन्नियां नहीं मिलतीं, क्या सरकार इन्हें दस नये पैसे वाले या किसी अन्य सिक्के के लिये बदल रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : आज इस पर एक और प्रश्न आ रहा है और मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

कैल्शियम साइनामाइड

†***१८५३. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक के रूप में प्रयोग के लिये देश में कैल्शियम साइनामाइड का कुछ उत्पादन होता है, और यदि हां, तो कितना ; और

(ख) तो अपने देश में प्रयोग के लिये यह उर्वरक किस भाव पर लाभकारी होगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) कैल्शियम साइनामाइड भारत में नहीं बनता।

(ख) कैल्शियम साइनामाइड एक नाइट्रोजन से बनने वाला उर्वरक है और इस में लगभग २१ प्रतिशत अर्थात् उतना ही नाइट्रोजन होता है जितना अमोनिया के सल्फेट में। इस प्रकार खेती करने वाले पर इसका अमोनिया के सल्फेट से अधिक, अर्थात् ३८० रुपये प्रति टन से अधिक मूल्य नहीं पड़ना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को पता है कि कैल्शियम साइनामाइड कैल्शियम कारबाइड से बनता है जिसकी अधिष्ठापित क्षमता हमारे यहां बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो कैल्शियम साइनामाइड के उत्पादन में इस का उपयोग करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस विशेष प्रकार के उर्वरक का उत्पादन करने का हमारा कोई कार्य-क्रम नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल करने में किसानों को विशेष सावधानी रखनी पड़ती है और इस समय भारतीय किसान इतने शिक्षित नहीं हैं कि इसका उपयोग कर सकें। लेकिन हम भारत के विभिन्न फार्मों में इसका प्रयोग करके देख रहे हैं जहां हमारे विशेषज्ञ इन का इस्तेमाल करते हैं और यह अच्छी सिद्ध हो रही है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि कुछ प्रकार की जमीनों में कैल्शियम साइनामाइड के प्रयोग के बाद ही खेती की जा सकती है, और यदि हां, तो इस प्रकार की जमीनों पर उर्वरक के रूप में कैल्शियम साइनामाइड का प्रयोग करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मनुष्य के संरक्षण और जमीन के संरक्षण में से एक को चुनना है। पोटैशियम साइनामाइड और कैल्शियम साइनामाइड विषैले पदार्थ माने जाते हैं। यही बात मंत्री महोदय कह रहे हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : यह पोटैशियम साइनामाइड नहीं, कैल्शियम साइनामाइड है। पोटैशियम साइनामाइड किसानों को नहीं दिया जाना चाहिये, और उसे तो मंत्री महोदयों को भी नहीं छूना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका ख्याल है कि साइनामाइड तो दोनों में है।

†**श्री वें० प० नायर** : वह कोई मारक विष नहीं है।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह फ्रांस और जर्मनी की तरह की विशेष रूप से अम्लयुक्त जमीनों के लिये ठीक रहता है और इसका वहां बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि किसान बहुत शिक्षित हैं। केसरगोड में नारियल के लिये इसका उपयोग किया जा रहा है, जहां यह बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

†**श्री वें० प० नायर** : मुझे पता चला है कि कैल्शियम कारबाइड बनाने के तीन कारखाने हैं लेकिन यह इसकी आवश्यकता न होने के कारण इस का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। क्या कृषि मंत्रालय में इन कैल्शियम कारबाइड फैक्ट्रियों को राज-सहायता देने की कोई योजना है ताकि वे अपने उत्पादन को बदल कर कैल्शियम साइनामाइड कर सकें ; जो बड़ा ही उपयोगी उर्वरक है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है और जब तक हमें पक्का निश्चय न हो जाये, हम कोई जोखिमपूर्ण कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं।

धूलियान लूप लाइन

†*१८५६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल और आसाम को कलकत्ते से मिलाने वाली एक अनुपूरक रूट खोलने के लिये मुर्शिदाबाद पर धूलियान के बन्देल—बढ़वारा अंश से सम्पर्क करने के क्या प्रस्ताव हैं ;

(ख) हाल ही में विश्व बैंक ने जो अतिरिक्त ऋण दिये हैं क्या उनसे खेजुरिया घाट—माल्दा बलूरघाट रेल परियोजना आरम्भ की जाने वाली है ;

(ग) क्या उस क्षेत्र में रेल का नया मोड़ निकालने के लिये हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में निर्माण के लिये योजना आयोग ने जिन नयी लाइनों का अनुमोदन किया है उनमें यह परियोजना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). जी हां। नीमतीता और तिलडांगा के बीच पटरियों का मोड़ निकालने के लिये, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, जिसे १६५३ में गंगा नदी द्वारा भूमि के कटाव के कारण छोड़ देना पड़ा था; हाल ही में किया गया है। सर्वेक्षण प्रतिवेदन इस समय बोर्ड के विचाराधीन हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इससे हम यह समझें कि नीमतीता से धूलियान तक का रेल का रास्ता बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी नहीं, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन विचाराधीन है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जमीन के कटाव के कारण यह धूलियान–तिलडांगा क्षेत्र भारत के शेष भाग से बिल्कुल विलग हो गया है और क्योंकि उत्तर बंगाल और आसाम की रूट का सर्वेक्षण और कार्य आरम्भ होने वाला है, क्या इस क्षेत्र को, अर्थात् नीमतीता–धूलियान और उत्तर बंगाल वाली रूट को मिलाने का भी कोई प्रस्ताव है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी हां। इस क्षेत्र में रेलवे सुविधायें उपलब्ध करने की बात बांछनीय मानी जाती है। लेकिन, फिर भी संसाधनों के सीमित होने की बात तो है ही। वास्तव में, इस क्षेत्र, खेजुरियाघाट और माल्दा में पर्याप्त सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिये बलूरघाट से मिलाने वाली मीटर लाइन के लिये १६५५ में सर्वेक्षण किये गये थे। कई योजनायें भी हैं। लेकिन धन की कमी के कारण हम उन्हें क्रियान्वित करने में समर्थ नहीं हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि विभाजन के फलस्वरूप दक्षिण बंगाल से उत्तर बगाल का संबंध पिछले दस वर्षों से टूटा हुआ है, क्या इसे प्राथमिकता दी जायेगी और क्या जो तीन या चार सर्वेक्षण हो चुके हैं, उनके बाद इस बात को अगले एक वर्ष में कुछ अन्तिम रूप प्रदान किये जाने की कोई संभावना है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जैसा मैंने पहले कहा, इसे वांछनीय समझा जाता है। लेकिन अभी से कुछ वादा नहीं किया जा सकता। वास्तव में जो मोड़ बनाने का प्रस्ताव है उसकी लम्बाई ६.४ मील है। उस तक को संतोषप्रद नहीं माना जाता फिर भी उसके संबंध में जांच जारी है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इसमें कितना समय लगेगा?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जितना जरूरी हो।

उर्वरक

+

†*१८५७. { **श्री बि० दास गुप्त** :
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखा–पीड़ित क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रभाव का अनुमान लगाया है; और

(ख) क्या यह सच है कि विषालु प्रभाव से पश्चिम बंगाल में उन स्थानों पर जमीन को ज्यादा नुकसान पहुंचा है जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). लोक–सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २४]**

†श्री बि० दास गुप्त : विवरण से पता चलता है कि "पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि उर्वरकों के प्रयोग से फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है न जमीन पर ही उनका कुछ हानिकर प्रभाव शेष रहा।" मैंने विशिष्ट रूप से यह प्रश्न पूछा था कि क्या यह सच है कि भूमि पर उर्वरकों के विषालु प्रभाव ने पश्चिम बंगाल में उन स्थानों पर फसल को अधिक हानि पहुंचाई है जहां पानी का संभरण अपर्याप्त था?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह बात केवल पश्चिम बंगाल के लिये ही नहीं; वरन् सभी जगहों के बारे में है। हम उन स्थानों में कृत्रिम उर्वरकों का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते जहां जल संभरण सुनिश्चित न हो। यदि आप वहां भी इनका इस्तेमाल करें तो इनसे मदद नहीं मिलती; सूखे की स्थिति होने पर ये फसल को जला देते हैं।

†श्री बि० दास गुप्त : सूखे वाले इस क्षेत्र के अलावा, क्या यह सच है कि पूसा और अन्य स्थानों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि रसायनिक उर्वरक भूमि के लिये अच्छे नहीं होते, क्योंकि आगे चलकर इनसे लाभ नहीं होता और ये जमीन के लिये घातक और क्षेयमान व्याधियां पैदा कर देते हैं और इस प्रकार उसके लिये विभीषिका सम सिद्ध होते हैं? क्या मंत्रालय को इस बात का पता है?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह कहना बिल्कुल गलत है कि रसायनिक उर्वरक हानिकर सिद्ध होने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है। बल्कि विश्व भर में रसायनिक उर्वरकों ने जमीन में बार–बार अधिक उर्वरता पैदा की है, बशर्ते कि उनका प्रयोग उचित और संतुलित ढंग से सोच समझ कर किया जाये।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं कि उर्वरकों के वितरण की सरकारी योजनाओं में सूखे वाले क्षेत्र भी शामिल हैं?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हम किसी क्षेत्र को शामिल नहीं करते। हम राज्यों की मांगों के अनुसार उनका संभरण कर देते हैं और यह राज्य सरकारों का काम है कि वह इन्हें केवल उन्हीं क्षेत्रों में वितरित करें जिनमें जल संभरण सुनिश्चित हो।

†श्री लीलाधर कटकी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उर्वरकों के प्रयोग का कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों से इस बात को जल-संभरण व्यवस्था न हो, वहां सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि उर्वरकों का उपयोग उन क्षेत्रों में न किया जाये जिनमें पानी की कमी है?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : ठीक है; राज्य सरकारें यह बात जानती हैं, हम भी जानते हैं और यह सभी को मालूम है। इसलिये कहने की कोई आवश्यता नहीं है। इसलिये जहां सुनिश्चित जल-संभरण व्यवस्था न हो, वहां उन्हें इन उर्वरकों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात तो किसान खुद अपने अनुभव से जानते हैं।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग से खाद्य उत्पादन में वास्तव में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : एक टन उर्वरक से कम से कम दो और टन अनाज पैदा होने की आशा होती है ।

†**श्री फीरोज गांधी** : उर्वरकों का प्रयोग स्पष्ट ही उत्पादन बढ़ाने के लिये किया जाता है। किसानों को सहकार मंत्री की इस सलाह को ध्यान में रखते हुए कि वह अपनी फसल को बाजार में न जाने देने के लिये उसे जला डालें, इन उर्वरकों का इस्तेमाल करने का क्या प्रयोजन है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह प्रणाली अमरीका में कायम है। इसे "सायल बैंक सिस्टम" कहते हैं और इसमें अनाज के भाव चढ़ाये रखने के लिये उत्पादन नहीं किया जाता।

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: मैंने भारतीय किसानों को ऐसी कोई सलाह नहीं दी है।

†**श्री फीरोज गांधी** : यह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है, क्योंकि सहकार मंत्री ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से किसानों को यह सलाह दी है कि वे फसल को बाजार में भेजे जाने से रोकने के लिये उसे जला डालें.....

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी नहीं।

†**श्री फीरोज गांधी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार की ही यह नीति है या मंत्री महोदय ने यह अपनी राय प्रगट की है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं जिस बात पर जोर दे रहा था वह यह थी कि किसी विशेष काल में जब किसान अपने अपने उत्पादों को जल्दी जल्दी बाजार में लेकर आते हैं तो भाव गिर जाते हैं जिससे सभी को नुकसान होता है; और मैंने कहा था कि उन्हें इसे ढंग से तय करना चाहिये कि कौन सा माल वह बाजार में भेजें जिससे भाव गिरें नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : लेकिन उन्हें जलाया क्यों जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय ने उन्हें इसे जलाने की सलाह दी थी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख**: जी नहीं।

†**श्री फीरोज गांधी** : मंत्री महोदय ने अखबारों में प्रकाशित अपने भाषण की खबर का प्रतिवाद नहीं किया है—या उन्होंने उसे देखा नहीं है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं अखबारों में छपने वाली प्रत्येक खबर का प्रतिवाद नहीं करता फिरता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवाद करते रहना असम्भव है।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : त्रिपुरा के नये सिरे से कृष्यकृत क्षेत्रों में, जो उर्वरकों से मुक्त हैं, उत्पादन ७५ मन प्रति एकड़ है। ऐसी जमीन पर उर्वरकों का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर अधिकतर वैज्ञानिक ही दे सकते हैं। लेकिन, सामान्य जन के रूप में मैं यह कह सकता हूं कि जहां उर्वरता अधिक हो वहां उर्वरकों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीकी गेहूं

† १८६०. **श्री नौशीर भरूचा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के ६५० लाख डालर के फालतू गेहूं की अविलम्बनीय बिक्री संबंधी प्रस्ताव के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय हो गया है; और

(ख) (१) भावों; (२) उधार या भुगतान; और (३) पहुँचाने के संबंध में क्या शर्तें हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) अमरीका सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या अमरीका से मैंगनीज अयस्क के बदले में गेहूँ लेने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस पर अब भी चर्चा हो रही है। अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसके बारे में कुछ निश्चय नहीं हुआ है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस हफ्ते खबर आई है कि कैरो में नासिर से इस बात के लिये बड़ी अमरीकी राजनयिक सरगर्मी देखने में आयी है कि उन्हें स्वेज नहर संबंधी जब्त रुपया और साथ ही गेहूँ भी दिया जाय। क्या हम भी कुछ गेहूँ खरीदने वाले हैं; और क्या सरकार उसके दिये जाने वाले मूल्य के सम्बंध में सतर्क रहेगी, क्योंकि पिछली बार मंत्री ने कहा था कि गेहूँ के भाव अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ करार के अनुसार प्रचलित भावों से कम होंगे।

†**श्री च० द० पांडे** : हमें गेहूं और रुपया दोनों चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य लोग भी खरीदने के लिये तैयार हैं। क्या हम पहले जाकर सस्ते मूल्य पर खरीदने का प्रयास करेंगे ? माननीय सदस्य का यही सुझाव है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हम हमेशा सजग रहते हैं और कम से कम मूल्य पर खरीदना चाहते हैं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन की भाड़े की दर

+

†*१८६१. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री भगवती :
श्री बसुमतारी :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वांइट स्टीमर कम्पनियों ने, जो अपने जल-यान गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि में चलाती हैं, अपनी भाड़े की दरें बढ़ा दी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ; और

(ग) भाड़े की दरों में इस वृद्धि की इस परिवहन के प्रयोक्ताओं पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) अनाज को छोड़कर शेष सभी माल की भाड़े की दरों में १ जुलाई, १९५७ से $12^1/_2$ प्रतिशत और फिर १ अप्रैल, १९५८ से लगभग १० प्रतिशत की और वृद्धि की गयी है। अनाजों के भाड़े की दर में १५ फरवरी, १९५८ से $12^1/_2$ प्रतिशत वृद्धि की गयी है।

(ग) प्रयोक्ताओं ने कुछ विरोध किया है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : भाड़े की दरों में इस वृद्धि का आसाम और बिहार के कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : वास्तव में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना तो बड़ा कठिन है। लेकिन मेरे प्रश्न का संबंध बिहार से नहीं है, आसाम से है, क्योंकि परिवहन संबंधी लागत के कारण रेलवे के भाड़े और नावों—स्टीमरों आदि के भाड़े बढ़ गये थे, इसलिये, उपभोग-वस्तुओं के संबंध में भी अवश्य कुछ वृद्धि हुई होगी।

†**श्री कमल सिंह** : इस प्रश्न का संबंध गंगा से है और गंगा बिहार में से होकर भी गुजरती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न गंगा और ब्रह्मपुत्र, दोनों के विषय में हैं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बुरा पड़ता है क्योंकि दरें बढ़ाने पर किसानों और अन्य सभी लोगों को कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन इसके भी कारण होते हैं और हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में नौ—परिवहन के पूरे प्रश्न की जांच कर रहे हैं।

†**श्री बसुमतारी** : क्या ज्वांइट स्टीमर कम्पनियों ने भाड़े बढ़ाने से पहले भारत सरकार से परामर्श कर लिया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ज्वाइंट स्टीमर कम्पनियां प्रायः हर वर्ष भाड़े की दरों में वृद्धि कर देती हैं—पिछले वर्ष उन्होंने $12^1/_2$ प्रतिशत वृद्धि की और इस वर्ष १० प्रतिशत—और इस या उस बहाने यूं ही सब सर्विसों में कटौती कर देती हैं, क्या सरकार ज्वांइट स्टीमर कम्पनियों के व्यय के बारे में कोई जांच कराने वाली है और यदि संभव हो तो क्या उनके अलाभप्रद खर्चों में कुछ कमी कराने वाली है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। यह पूरा प्रश्न विचाराधीन है। यह कम्पनियां पिछले दो या तीन वर्षों से सरकार से निवेदन करती रही हैं क्योंकि उनके कथनानुसार उन्हें घाटा हो रहा है। इस पूरे प्रश्न पर केवल भाड़े की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में ही नहीं वरन् इस सम्बन्ध में भी पूरे तौर पर जांच होनी है कि यह अपनी सर्विसें जारी रख सकती हैं या नहीं क्योंकि अभी यह इन्हें जारी रखने की स्थिति में नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ**: पिछले दो वर्षों में जब भी यह कम्पनियां सरकार से मिलीं क्या सरकार ने इन्हें अपने स्टर्लिंग निक्षेपों का उचित उपयोग करने के बारे में कोई सुझाव दिया....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब दलीलें हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : ....और अपने रक्षित धन का.......

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को यह बताने जाने की अनुमति नहीं दूंगा कि भाड़े की दरों में क्यों कमी की जानी चाहिये। माननीय सदस्य कृपया केवल तथ्य पूछें। लेकिन बातचीत के विषय में माननीय सदस्य मंत्री महोदय का स्थान लेकर उन्हें यह बताना चाहते हैं कि किन-किन मदों में खर्च कम किया जा सकता है। वह इस बात को किसी आगे के समय के लिये रखें। वह मंत्री महोदय से क्या जानकारी चाहते हैं? मैंने भी दो मिनट तक उनकी बात सुनी है और वह केवल यही बता रहे हैं कि मंत्री महोदय को किस ढंग से काम करना चाहिये; पहले वह कहते हैं कि ऊपर के खर्च और दूसरे खर्चों में कमी की जानी चाहिये ताकि वह भाड़ा बढ़ाने की मांग न करें; फिर वह पूछते हैं कि उन्होंने अपने पौण्ड पावने का क्या किया। मैंने यह प्रश्न भी पूछने की अनुमति दे दी थी। फिर वह कोई और प्रश्न पूछने लगते हैं। वह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं या दे रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह केवल गत दो वर्ष के लिये ही है......

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रश्न अस्वीकृत कर दिया गया है। माननीय सदस्यों को प्रश्न काल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये और उसका बाद में उपयोग करना चाहिये। ये बातें कई अन्य तरीकों से भी पूछी जा सकती हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि सभा के समय का कैसे उपयोग करना चाहिये ।

†**श्री याज्ञिक** : क्या माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन देंगे कि इन दरों में और अधिक वृद्धि नहीं की जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में आश्वासन क्यों मांगा जा रहा है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस प्रकार का आश्वासन देना बड़ा कठिन है, परन्तु हमें दो बातों —दरों में थोड़ी सी वृद्धि अथवा उस सुविधा का पूर्ण संयंत्र, अन्त में से एक को चुनना होगा।

†**श्री कमल सिंह** : क्या बकसर तक स्टीमर सेवा जारी है, और यदि नहीं, तो उसे जारी रखने के सम्बन्ध में सरकार क्या क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : बिहार सेवा समाप्त कर दी गयी है। मैं नहीं जानता कि क्या कम्पनी उसे फिर से प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है या नहीं।

†**श्री लीलाधर कटकी** : क्या आसाम सरकार ने भारत सरकार का ध्यान भाड़े की दरों में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी स्थिति की ओर आकृष्ट किया है और क्या उसने समस्या के हल के लिये भारत सरकार के पास कोई प्रस्थापना भेजी है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : आसाम सरकार स्वभावतः न ही केवल भाड़े में वृद्धि के सम्बन्ध में उत्सुक, है अपितु स्टीमर कम्पनियों की इस स्थिति को समझने के लिये भी उत्सुक है कि क्या वे कम्पनियां जारी रहेंगी या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं उस कथन को फिर दोहराना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रश्न पर, जिस में उन स्थानों के प्रश्न भी सम्मिलित हैं, जहां सेवा समाप्त कर दी गई है, विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में हम शीघ्र ही कोई निर्णय करेंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने यह उत्तर दिया परन्तु पिछले सत्र में तत्कालीन परिवहन मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि बिहार में चालू स्टीमर सेवा बन्द नहीं की जायेगी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब उसे क्यों बन्द कर दिया गया है, और फिर उसके भाड़े क्यों बढ़ा दिये गये हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल :** माननीय सदस्य को ज्ञात है कि इन विदेशी कम्पनियों पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं है । हम उन से यह नहीं कह सकते कि वे कब सेवा प्रारम्भ करें और कब बन्द कर दें । हां इस सम्पूर्ण प्रश्न की जांच की जा रही है । कम्पनियों का यह कहना है कि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है । हो सकता है कि इनका कहना ठीक हो, परन्तु जब तक इस सारे प्रश्न की जांच न हो जाये, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता । इसलिये मैंने यह आश्वासन दिया है कि सारे प्रश्न पर विचार करने के उपरान्त और यह तय करने के उपरान्त कि हम उन कम्पनियों को स्टीमर सेवा जारी रखने में और भाड़े की उचित दरें बनाये रखने में किस प्रकार सहायता दे सकते हैं, हम इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर सकेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि पिछले दो वर्षों में ये कम्पनियां सरकार को अपने नुकसानों के सम्बन्ध में सूचना देती रही है । इसी बीच उन्होंने अपने भाड़ों में १९५७ में १२$^{१}/_{२}$ प्रतिशत तथा १९५८ में १० प्रतिशत वृद्धि कर दी । मैं पूछना चाहता हूं कि इन दो वर्षों में इस दृष्टि से क्या कार्यवाही की गई है कि भाड़ों में वृद्धि न हो और इस बात का विनिश्चय करने के लिये भी क्या कार्यवाही की गई है कि क्या उन्हें वास्तव में कोई हानि हुई भी थी ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इसका दूसरा तरीका तो यही था कि हमें उन कम्पनियों को राजकीय सहायता देनी पड़ती । यही तो उनकी वास्तव में मांग थी । परन्तु सरकार बिना प्रारम्भिक जांच के इस प्रकार की राजकीय सहायता नहीं दे सकती । दूसरा विकल्प यह था कि स्टीमर सेवा बन्द कर दी जाती । यह मामला बड़ा गम्भीर था इसलिये सरकार उस सम्बन्ध में कोई निर्णय न कर सकी । इसलिये अब हमें तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि हम इस पर पूर्णरूपेण विचार नहीं कर लेते ।

बांस का फल

***१८६२. श्री आसर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांस का फल एक खाद्य पदार्थ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई गवेषणा की है;

(ग) यदि हां, तो गवेषणा का क्या परिणाम निकला है;

(घ) क्या सरकार ने बांस के फल के एक खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस योजना का स्वरूप क्या है ?

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) से (ङ). बांसों में, लगभग तीस साल के जीवन के अन्त में, केवल एक बार ही फूल तथा धान से मिलते जुलते फल लगते हैं । यह खाने में आता है, मगर घटिया किस्म का है और सिर्फ बहुत कमी की अवस्था में ही खाया जाता है । इस वजह से कि

---

†मूल अंग्रेजी में

यह खाद्य पदार्थ सिवाय लम्बे अर्से के अलावा नहीं मिलता और इस का इकठ्ठा करना भी अनार्थिक है, इस क्षेत्र में कोई अनुसन्धान का काम नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह "बैम्बू शूट" है या "बैम्बू फ्रूट" ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** वे फल के सम्बन्ध में कह रहे हैं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इसे बांस का धान्य (बैम्बू ग्रेन) कहा जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसे अंग्रेजी में भी पढ़ दीजिये ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

†**श्री हेम बरुआ :** समाचार-पत्रों में एक समाचार आया है कि आसाम में गगू के निकट एक गांव में आम की तरह के बांस के फल पाये गये हैं । क्या सरकार बिहारी आमों के समान दीखने वाले इन फलों के खाद्य अर्हा का विश्लेषण करने का विचार रखती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस सम्बन्ध में उन्हें पूरा निश्चय है कि यह फल बांस से ही पैदा हुआ है ?

†**श्री हेम बरुआ :** जी हां । समाचार पत्रों में यही लिखा हुआ है कि उन से ५० वर्ष बाद एक बार फल लगते हैं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** बांस से एक फल पैदा होता है जो कि आम के समान ही दिखाई पड़ता है और आम से छोटा होता है परन्तु मैं समझता हूं कि इस से कोई विशेष लाभ न होगा ।

†**श्री त्यागी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बांस के वृक्ष पर ३० वर्ष के उपरान्त और सारी आयु भर में केवल एक बार ही फल लगता है, क्या सरकार "बैम्बूजलाईजेशन" की इस योजना को निम्नतम प्राथमिकता देगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस सम्बन्ध में कुछ भी करने का इरादा नहीं है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** "त्याग्याइजेशन" ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य पहले फल का स्वाद चख लें फिर सभा में आयें ।

केरल राज्य में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

+

†*१८६३. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री वारियर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल राज्य में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये कोई प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजो में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार से कहा गया है कि वह गोखले समिति से किये गये विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में यातायात तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी सर्वेक्षण करें।

राज्य सरकार माहे पुजहा और मुरातपुजहा के बीच शीघ्र ही एक नई नहर का निर्माण प्रारम्भ करने के लिये उत्सुक है। यह प्रस्थापना विचाराधीन है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन के अतिरिक्त क्या रूमानिया सरकार से कोई इस प्रकार की प्रस्थापना आई है जिस में उस ने सम्पूर्ण अन्तर्राजीय जल मार्गों के लिये डेन्यूब के ढंग के छोटे जहाज बनाने में सहायता करने और उस के बदले में यहां से भारतीय मैंगनीज और लौह अयस्क खरीदने का प्रस्ताव किया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य उस प्रस्ताव के बारे में पूर्व सूचना दें, तो मैं इस सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा।

नारियल जटा के तन्तु (यार्न) और रस्सी के रेल-भाड़ में रियायत

†*१८६४. **श्री कुमारन** : क्या रेलवे मंत्री ११ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६८८ के उत्तर के सम्बन्ध में जिसमें नारियल जटा के तन्तु (यार्न) और रस्सी के कोचीन हार्बर टर्मिनस और कोजीकोड से शालीमार (कलकत्ता) तक ले जाने के लिये भाड़े में दी जाने वाली रियायत के समाप्त किये जाने का उल्लेख था, यह बताने की कृपा करेंगे कि उस रियायत को फिर से लागू करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : इस मामले पर दक्षिण रेलवे और नारियल जटा बोर्ड, एरणाकुलम्, में पत्र-व्यवहार हुआ था। इस संबन्ध में अपेक्षित जानकारी हाल ही में प्राप्त हुई है। इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा।

†**श्री कुमारन** : क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए इस का जल्दी ही निर्णय कर देगी कि इस उद्योग को ३० वर्ष से भी अधिक समय से रियायत दी जा रही है और इस की रियायत बन्द कर देने से इस के व्यापार पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पूरी पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी, इसलिये जानकारी के लिये एक निरीक्षक भेजा गया था। वह पूरी जानकारी ले कर हाल ही में आया है। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा।

†**श्री तंगामणि** : कल भी माननीय मंत्री ने बतलाया था कि उस उद्योग के विकास की दृष्टि से विदेशों को एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है। नारियल जटा उद्योग को दी जाने वाली यह रियायत १-१-५७ से पहले विद्यमान थी . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने तो एक भाषण देना शुरू कर दिया है। यह एक छोटा सा प्रश्न है। वे पूछना क्या चाहते हैं ?

†**श्री तंगामणि** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह बतायें कि वे पूछना क्या चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह रियायत १-१-५७ से बन्द की गयी थी जिस से प्रति मन १½ रुपये की हानि हो रही है, और इस सम्बन्ध में ११ सितम्बर, १९५७ को आश्वासन दिया गया था, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस का निर्णय करने में अभी और कितना समय लगायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरा पहला उत्तर ही इस प्रश्न का उत्तर है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने कह दिया है कि निर्णय शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि** : सितम्बर, १९५७ को भी बड़ा संक्षिप्त सा यह उत्तर दिया गया था कि रिपोर्टें प्राप्त की जा रही है और मामले पर विचार किया जा रहा है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि निर्णय करने में अभी और कितना समय लगेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अब स्थिति बदल गई है क्योंकि अब हमें आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गयी है । यह जानकारी अभी कुछ दिन पूर्व ही प्राप्त हुई है । कृपया सरकार को इस पर विचार करने के लिये कुछ समय दीजिये ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस उद्योग को बहुत समय से रियायत दी जा रही है रेलवे बोर्ड ने किस विचार से इस रियायत को बन्द कर दिया था और क्या रियायत बन्द कर देने से पूर्व सरकार से परामर्श लिया गया था ?

†**श्री सें०वें० रामस्वामी** : यह केवल नारियल जटा के ही सम्बन्ध में नहीं, अपितु एक सामान्य सा प्रश्न था । कई बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेशन से स्टेशन तक की रियायत को बन्द कर दिया गया था । वे चार बातें थीं । पहली बात यह कि हमें रेलों से आय की वृद्धि करनी थी, फिर डिब्बों की कमी थी, संचालन बढ़ गया था, और माल के वहन के लिये अन्य साधनों—विशेषकर समुद्र परिवहन के उपयोग की आवश्यकता थी । हम ने इन्हीं बातों को दृष्टि में रख कर वैसा किया था ।

†**श्री कुमारन्** : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि जहाजों में स्थान प्राप्त करने की कठिनाई के कारण और इस कारण से भी कि तन्तु (यार्न) स्टीमर से भेजने में खराब हो जाता है, नारियल जटा तन्तु (यार्न) के व्यापारी रेल के मार्ग को बेहतर समझते हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

खाद्य उत्पादन

†*१८६५. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने अतिरिक्त खाद्य उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) द्वितीय योजना की अवधि के लिये खाद्य आयात के क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक १५५ लाख टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) द्वितीय योजना में ६० लाख टन खाद्यान्न आयात करने की व्यवस्था थी । यह स्पष्टतया प्रतीत होते हुए भी कि इस अनुमान में वृद्धि हो जायेगी, सम्पूर्ण योजना काल के लिये कोई परिवर्तित आंकड़े निर्धारित नहीं किये गये हैं । प्रतिवर्ष आयात की जाने वाली मात्रा कई बातों, जैसे कि फसल की हालत, मांग को देखते हुए बिक्री योग्य फालतू अनाज, प्रचलित कीमतें, विश्व में संभरण की स्थिति आदि, पर निर्भर करती हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या सरकार ने खाद्यान्न जांच समिति द्वारा आयात के सम्बन्ध में प्रस्थापित आधार को स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: उस ने यह आधार प्रस्तुत किया था कि भारत को प्रतिवर्ष कुल ३० लाख टन की आवश्यकता होगी, और हमारे पास १५ लाख टन से अधिक खाद्यान्न का 'बफर स्टाक' है और लगभग २५ लाख टन आयात करने का कार्यक्रम है । यह इस बात पर निर्भर करता है कि आगामी मौनसून कैसे प्रारम्भ होगी, उस का कैसा प्रभाव होगा और आगामी फसल कैसे होगी । न सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या अतिरिक्त खाद्य के उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये कोई अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस के लिये कोई अतिरिक्त राशि निर्धारित नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में केवल यही किया गया है कि जहां अन्य मंत्रालयों के आयव्ययक में कांट छांट की गई है, वहां कृषि मंत्रालय के आयव्ययक में कोई कमी नहीं की गयी ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : अतिरिक्त खाद्य के लक्ष्यों के सम्बन्ध में विभिन्न आंकड़े दिये जा रहे हैं । कुछ समय पूर्व अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य १०५ लाख टन बताया गया था और अब उप-मंत्री जी बता रहे हैं कि अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य १५५ लाख टन है । इन दोनों में से कौन सा आंकड़ा ठीक है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : दोनों ही ठीक हैं । प्रारम्भ में यह निर्णय किया गया था कि १०० लाख टन का अतिरिक्त उत्पादन किया जाये । फिर बाद में योजना आयोग, मंत्रालय तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निर्णय किया कि हमें किसी न किसी प्रकार से १५५ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन करना ही चाहिये । अतः लक्ष्य को बढ़ा दिया गया । अतः दोनों ही आंकड़े ठीक हैं ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक अधिक अन्न उत्पादन का सम्बन्ध है अभी कुछ दिन पहले इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए छोटी सिंचाई की योजनाओं के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि इस विषय में विशेष रूप से विचार किया जा रहा है और साथ ही यह भी कहा गया था कि इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि हर राज्य से हम कितना अधिक अन्न उत्पादन करा सकते हैं, इसकी भी एक योजना बनाई जाये । मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में राज्य सरकारों से कितनी दूर तक लिखा पढ़ी हो चुकी है, मेरा मतलब यह है कि सिंचाई की छोटी योजनाओं में क्या प्रगति हुई है और दूसरे यह कि जहां तक हर गांव का सम्बन्ध है, वहां तक हर गांव का उत्पादन बढ़ाया जाये, इस सम्बन्ध में सरकार राज्य सरकारों से क्या लिखा पढ़ी कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): २६ जनवरी को मैं ने एक पत्र भेजा था राज्य सरकारों के पास । उसमें मैं ने बहुत सारी बातें लिखी थीं । उनमें से दो खास बातें यह हैं कि जो छोटे सिंचाई के साधन हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाये, अगर कोई और स्कीम वे बना सकती हैं तो

---

†मूल अंग्रेजी में

बनायें । उसमें में ने यह भी लिखा था कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन का टार्गेट है, उसको वे खाली सूबों तक ही सीमित न रखें बल्कि उन टार्गेट्स को वे डिस्ट्रिक्ट्स तक ले जायें और गांवों तक ले जायें और जिस जगह सम्भव हो सके वहां पर वे इसको फार्मर तक ले जायें और खास तौर से यह बात उन इलाक़ों पर लागू होती है जहां पर सिंचाई के साधन हैं । यह प्रेरणा काफी होती है । उसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने उसका जवाब दिया है, कुछ लोग आये है और हम से मिले हैं और हमने उनको मशवरा दिया है और हम कुछ आगे भी बढ़ रहे हैं । लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है हमें अभी वहां से कोई जवाब नहीं आया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय उपमंत्री ने यह कहा है कि सरकार के पास १५ लाख टन का स्टाक है और उसे एक वर्ष में २० से ३० लाख टन की आवश्यकता होगी । क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनायी है जिससे देश में जल संभरण के सभी साधनों का सदुपयोग करके इस कमी को पूरा किया जा सके ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** जी, हां । हमारी ऐसी एक योजना है । वास्तव में अशोक मेहता समिति का यह प्राक्कलन ठीक है कि गत वर्षों के आधार पर प्रतिवर्ष २० से ३० लाख टन की कमी हो जाया करेगी । अब हम उत्पादन को बढ़ाकर उस कमी को पूरा करना चाहते हैं । हमारी मुख्य योजना यह है कि सिंचाई क्षमता के उस भाग का उपयोग किया जाये जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, पुराने सिंचाई साधनों का पुनर्नवन और नये सिचाई साधनों की व्यवस्था की जाये ।

†**श्री याज्ञिक** : उस बात को ध्यान में रखते हुये कि अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य १०० लाख से बढ़ाकर १५० लाख टन कर दिया गया है, क्या उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये सभी राज्यों ने अपने अपने राज्य में उत्पादन बढ़ाना स्वीकार कर लिया है ; उस लक्ष्य में से कितना भाग गत दो वर्षों में वास्तव में पूरा हो गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : राज्य सरकारों की सहमति के बाद ही तो १५५ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । १९५६–५७ में ५ से ६ प्रतिशत तक अतिरिक्त उत्पादन हुआ था जो कि प्रस्थापित लक्ष्य में इस वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य से अधिक था । जहां तक १९५७–५८ का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस वर्ष देश के बहुत से भागों में सूखा पड़ा रहा । हमारे पास कोई निश्चित आंकड़े नहीं हैं, परन्तु सम्भव है कि १९५७–५८ के उत्पादन के आंकड़े, १९५६–५७ के आंकड़ों की तुलना में कम हों ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** अब जबकि लक्ष्य को १०५ लाख टन से बढ़ा कर १५५ लाख टन कर दिया है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है और क्या उसके लिये विभिन्न राज्यों के खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने की कोई संभावना है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** जी हां । राज्यों के कृषि मंत्रियों तथा केन्द्र के कृषि मंत्री में और राज्यों के कृषि मंत्रियों तथा योजना आयोग में इस प्रकार के कई सम्मेलन हो चुके हैं । राष्ट्रीय विकास परिषद् की गत बैठक में इस मामले पर पूर्णरुपेण विचार विमर्श किया गया था । उस बैठक में राज्यों के मुख्य मंत्री तथा कृषि मंत्री उपस्थित थे। उत्पादन की वृद्धि के लिये ठोस कार्यवाहियां की गयी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से क्या क्या कार्यवाही की गयी है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं ने अभी अभी बताया है कि अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग. अप्रयुक्त सिंचाई साधनों का पुनर्नवन नई सिंचाई साधनों की व्यवस्था, सुधरे हुए बीजों का प्रयोग, हरी खाद इत्यादि ठोस कार्यवाहियां की गयी हैं ।

†**श्री पाणिग्रही :** ६० लाख टन खाद्यान्न के प्रस्थापित आयात में से चावल कितना आयात होगा और किन किन देशों से किया जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं कोई निश्चित आंकड़े तो नहीं बता सकता । परन्तु में यही बता सकता हूं कि चावल का आयात तुलना में कम होगा । मेरा ख्याल है कि १९५६ में यह लगभग ३ लाख टन था । १९५७ में यह लगभग ८ लाख टन था ।

गंगा नदी पर पुल का निर्माण

+
*१८६६. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरठ और मुरादाबाद के बीच गंगा नदी पर एक पुल बनाने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस पुल के निर्माण पर अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) शेष काम को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). मांग गई सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिय परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ग) कार्य प्रगति पर है और यथासंभव उसको शीघ्र पूरा करने की हर कोशिश की जा रही है ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

†**श्री च० द० पांडे :** इस परियोजना के लिये चार वर्ष पहले आय-व्ययक में व्यवस्था की गयी थी, और यह पुल है भी राष्ट्रीय राजपथ पर । मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में इतनी अधिक देर लगने के क्या कारण हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यद्यपि उसे १९५६ में पास कर दिया गया था, परन्तु एक वर्ष तक कोई योग्य ठेकेदार न उपलब्ध हुआ । फिर विदेशी मुद्रा की भी कठिनाई थी । परन्तु अब वे सभी कठिनाइयां दूर कर दी गयी हैं और काम प्रारम्भ कर दिया गया है । यह योजना काल में ही पूरा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेमराज : जो विवरण रक्खा गया है उस से मालम होता है कि जो प्राविजन रक्खा गया था वह ९२ लाख रु० का था, और उस में से सिर्फ १२ लाख रु० खर्च हुए हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस का महत्व जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, उन के लिये बहुत ज्यादा है, इस काम की प्रगति बढ़ाने के लिये क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री स० का० पाटिल : यह कारण तो बताया जिस की वजह से इतनी देर हो गई, लेकिन अब वह समय निकल गया है और दो तीन वर्ष के अन्दर यह काम पूरा हो जायेगा ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में लिखा हुआ है कि इस पुल के निर्माण के लिये ९२.९२ लाख रुपये मंजूर किये गये थे और अभी तक कुल १२.१० लाख रुपये ही वास्तव में खर्च किये गये हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गत तीन चार वर्षों में इतनी थोड़ी सी राशि खर्च की गयी है, क्या योजना काल के अन्त तक यह परियोजना पूरी हो जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने श्री पांडे के प्रश्न के उत्तर में उसका उत्तर दे दिया है । उन्होंने बताया है कि ९२ लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी थी और उनमें से केवल १२ लाख रुपये ही खर्च किये गये हैं ।

†**सरदार हुक्म सिंह :** ये आंकड़े श्री हेमराज ने बताये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अतः उसी प्रश्न को पूछने से क्या लाभ है । वे तो वहीं के रहने वाले हैं । हम तो कभी कभी गंगा में स्नान करने के लिये जाते हैं, परन्तु वे तो वहीं के रहने वाले हैं ।

†**श्री तंगामणि :** मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने बता दिया है कि यह इसी योजना काल में पूरा हो जायेगा ।

बालासोर-नीलगिरि रोड लाइन

†***१८९८. श्री का० च० जेना :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान बालासोर-नीलगिरि रोड ब्रांच लाइन के निर्माण के लिये भूमि कब प्राप्त की गयी थी ;

(ख) क्या भूमि के स्वामियों को प्रतिकर अदा कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) से (ग). दक्षिण पूर्वी रेलवे पर बालासोर रेलवे स्टेशन से एक पत्थर की खान (स्टोन क्वैरी) तक लगभग १० मील लम्बा

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पथ है। यह पथ गत युद्ध काल में सैनिक अधिकारियों द्वारा बनवाया गया था। उसे रेलवे मंत्रालय ने १९४८ में लिया था। भूमि अधिग्रहण तथा भूमि के स्वामियों को प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित जनकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्राप्त होने पर जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री का० च० जेना :** इसके बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** किस का निर्णय ?

†**श्री का० च० जेना :** प्रतिकर के सम्बन्ध में।

†**श्री शाहनवाज खां :** हमने प्रतिरक्षा मंत्रालय से कुछ जानकारी मांगी है। जानकारी प्राप्त होने पर उस सम्बन्ध में विचार करेंगे।

†**श्री आचर :** प्रतिकर कब अदा किया जायेगा—हमारा यही प्रश्न है। भूमि लिये हुए बहुत समय बीत गया है, परन्तु प्रतिकर अभी तक अदा नहीं किया गया है।

†**श्री शाहनवाज खां :** यह लाइन युद्धकाल में १९४३–४४ में तैयार की गयी थी। यह पूर्णरुपेण एक प्रतिरक्षा सम्बन्धी परियोजना थी। हम नहीं जानते कि उन्हें उस समय कोई प्रतिकर अदा किया गया था या नहीं। सम्भवतः उन्हें कोई प्रतिकर नहीं दिया गया था, और यदि कोई दिया भी गया था तो केवल अस्थायी रूप में दिया गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे से प्राप्त प्राक्कलन में स्थायी प्रतिकर के लिये ८६,००० रुपये निर्धारित किये गये हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय से जानकारी प्राप्त होते ही हम यह प्रतिकर अदा कर देंगे।

†**श्री का० च० जेना :** क्या इस लाइन को छोड़ दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, नहीं। वह तो एक बैलास्ट लाइन के समान थी। उसे रेलवे मंत्रालय ने १९४८ में अपने अधिकार में लिया था। वह लाइन अभी तक काम में आ रही है।

†**श्री का० च० जेना :** क्या वह आजकल भी प्रयुक्त होती है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जब भी बैलास्ट (गिट्टियों) की आवश्यकता होती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं।

†**श्री सूपकार :** वह भूमि किस तारीख को ली गयी थी और प्रतिरक्षा मंत्रालय से अभी तक जानकारी क्यों नहीं प्राप्त हुई है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री नि० वि० माईति :** यह बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि गत पन्द्रह वर्षों से कोई प्रतिकर अदा नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने अपना उत्तर दे दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक का आयात

†*१८६९. **श्री याज्ञिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ५ वर्षों में रासायनिक उर्वरक के आयात पर प्रतिबन्धों के कारण कितनी विदेशी मुद्रा बचायी गयी है ; और

(ख) उर्वरक के आयात में कमी के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कितनी कमी हुई है और उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २६]**

†**श्री याज्ञिक :** विवरण में यह बताया गया है कि पिछले वर्ष १० करोड़ रुपये के मूल्य का उर्वरक आयात नहीं किया जा सका । वास्तव में कितना आयात किया गया था और इस वर्ष कितना आयात किया जावेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** मेरा ख्याल है कि इस वर्ष लगभग १३·४ लाख टन की मांग है और पुनरीक्षित प्राक्कलनों में यह १५·२ लाख टन तक हो जाती है । देश में ५ लाख टन से भी कम का उत्पादन होता है । हमारा विचार ३·६ लाख टन आयात करने का है और बाकी की हमें कमी पड़ेगी ।

†**श्री याज्ञिक :** विवरण में दिये गये आंकड़ों से यह पता चलता है कि उर्वरक के आयात पर एक रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च करके अगले वर्ष हमें २ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत हो जाती है क्योंकि हमें उस उर्वरक के फलस्वरूप उतने मूल्य का अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त हो जाता है । क्या देश की कुल आवश्यकता को उर्वरक के आयात पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करके पूरा नहीं किया जा सकता जिससे हम अगले वर्ष खाद्यान्नों के आयात में अधिक विदेशी मुद्रा बचा सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अधिक उर्वरक का आयात क्यों न किया जाये ? प्रश्न यह है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** इस सभा में अधिक उर्वरक का आयात करने के लिये मेरे से अधिक कोई भी माननीय सदस्य उत्सुक न होगा । विदेशी मुद्रा सीमित है । अपने प्रयत्नों के बावजूद भी मैं उर्वरकों के आयात के लिये कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं कर सका हूं । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह कुछ भ्रम पर आधारित है । यह नहीं है कि हम आयात किये गये सारे खाद्यान्नों का मूल्य विदेशी मुद्रा द्वारा चुका रहे हैं । इस मंत्रालय की मांगों पर विवाद के समय मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमें अपनी आयात के एक थोड़े से ही अंश की कीमत का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, अर्थात् उस चावल का मूल्य जो हम बर्मा से आयात करते हैं और उस गेहूं का मूल्य जो हम पी एल ४८० से बाहर के साधनों से प्राप्त करते हैं, हमें विदेशी मुद्रा में देना पड़ता है । पी एल ४८० के अन्तर्गत खरीदे गये खाद्यान्नों का मूल्य रुपयों में चुकाया जाता है और उसका भी लगभग ७५ प्रतिशत भाग हमें विकास कार्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

पर व्यय के लिये उपलब्ध रहता है । मैं समझता हूं कि मैं ने ये आंकड़े बताये थे कि खाद्यान्न के आयात पर हमें १९५६–५७ में लगभग ४५ करोड़ रुपये के मूल्य की और १९५७–५८ में १०० करोड़ रुपये से भी अधिक के मूल्य के आयात में से लगभग ३६ करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा देनी पड़ी थी । अतः यह बात नहीं है कि उर्वरक पर विदेशी मुद्रा के खर्च के किये जाने से हम खाद्यान्नों के आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि किसानों में अनाज की फसलों को कम करने और वाणिज्यिक फसलों को अधिकाधिक उगाने को प्रवृत्ति है, क्या उर्वरक का वितरण करते समय इस बात का कोई ध्यान या लेखा रखा जाता है कि कितना उर्वरक खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और कितना फलोद्यानों इत्यादि में ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमने कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया है । परन्तु माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । यह प्रश्न अशोक मेहता समिति के समक्ष भी था । उस समिति ने कहा है कि किसी न किसी प्रक्रम पर हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर डालें या खाद्यान्नों के उत्पादन पर परन्तु खाद्यान्न की वर्तमान कमी की स्थिति में हमें खाद्यान्नों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। हमने कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया है ; इसको हमने किसानों पर ही छोड़ दिया है कि वे जिस प्रकार उचित समझें उर्वरक का प्रयोग करें ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह समझा जाय कि किसानों के लिये यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि इतनी भूमि पर वे केवल खाद्यान्न ही पैदा करेंगे ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी, नहीं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि पी एल ४८० के पाशन और प्रलोभन में पड़ कर सरकार किसानों की अधिक उगाने की प्रेरणा को समाप्त कर रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं ऐसा नहीं समझता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : रासायनिक उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं, और यदि हां, तो क्या ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : केवल एक प्रयत्न किया गया है और वह यह है कि हम मूंगफली की खली निर्यात कर रहे हैं और इससे जो भी आय होगी वह अधिक उर्वरक आयात करने पर लगायी जायेगी । इसके अतिरिक्त हम जापान, इटली और फ्रांस से दुर्लभ मुद्रा के जरिये, जो हमें प्रविधिक सहयोग मिशन से मिलती है, कुछ खरीद कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । माननीय सदस्य देर में उठे हैं । मैं अगले प्रश्न के लिये कह चुका हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र के बगैर विमान

+

†*१८७०. { **श्री भोगजी भाई :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय पंजीकृत विमान उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्रों के बगैर उड़ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विमानों की संख्या क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). कोई भी भारतीय पंजीकृत विमान जिसके पास नियमों के अन्तर्गत उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र होना चाहिये, ऐसे प्रमाणपत्रों के बगैर नहीं उड़ रहा है । ३१-१२-१९५७ को ५३६ भारतीय पंजीकृत विमानों में से ३०७ विमान उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र के बगैर थे । इसमें ५२ विमान जिनके उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्रों का नवीकरण किया जा रहा था और १५२ विमान जो उड़ने योग्य न थे, भी सम्मिलित हैं ।

†**श्री भोगजी भाई :** इस तरह के बगैर वर्दिनेस सर्टिफिकेट पाये हुए, बगैर पास किये हुए जो एयरक्राफ्ट हैं, सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** सब के लिये उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र के आवश्यक किये जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था और १९५१ में एक ड्राफ्ट नियम जारी किया गया था। गैर-सरकारी स्वामियों ने इसका घोर विरोध किया । बाद में एक संशोधित प्रमाणपत्र आरम्भ किया गया । गैर-सरकारी स्वामियों के लिये प्रमाण-पत्र का प्राप्त करना वैकल्पिक रखा गया । उन स्वामियों ने अभी इस प्रस्ताव का उपयोग नहीं किया है ।

†**श्री त्यागी :** क्या मैं यह समझूं कि प्रमाणपत्र के बगैर यात्रियों के साथ विमान उड़ाये जा सकते हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी, नहीं । जैसा कि मैं ने अभी बताया, वे विमान जो यात्री, भाड़े पर अन्य वस्तु, माल और डाक ले जाते हैं या अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन के लिये प्रयोग किये जाते हैं उनको नियमों के अन्तर्गत उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ता है। उनके लिये ये प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है । केवल गैर-सरकारी विमान मालिकों के लिये जो यात्री, भाड़े पर अन्य वस्तु या माल नहीं ले जाते, प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** गैर-सरकारी संचालकों की सूची में अधिक अपराधी हैं या अन्तर्राष्ट्रीय और हमारे अपने विमान संचालकों की सूची में ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस सम्बन्ध में अपराधियों का कोई प्रश्न नहीं है । तमाम अनुसूचित संचालकों और गैर-अनुसूचित संचालकों को जो यात्री, भाड़े पर अन्य वस्तु या माल ले जाते हैं, उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ता है । इस मामले में किसी

---

†मूल अंग्रेजी में

अपराधी का कोई प्रश्न नहीं है और वे इसे प्राप्त करते हैं । केवल प्राइवेट विमानों के मालिकों के सम्बन्ध में . . .

†**श्री त्यागी :** केवल उन्हें आत्महत्या करने की अनुमति है !

†**श्री मुहीउद्दीन :** . . . . . उदाहरण . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय को उस बात को और अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है । जब वही प्रश्न दुहराया गया है, तो वह कह सकते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे वास्तव में दुख है, मैं सब प्रश्न समाप्त करना चाहता हूं ।

†**श्री याज्ञिक :** यह एक महत्वपूर्ण विषय है । मैं यह जानना चाहूंगा कि किस आधार पर . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है । क्या यह क्षय रोगियों से अधिक महत्वपूर्ण है ? माननीय सदस्य अगले प्रश्न की ओर देखें । यह दिल्ली में क्षय और डिपथैरिया के सम्बन्ध में है ।

दिल्ली में क्षय और डिपथैरिया[1]

+

†*१८७१. **श्री कोडियान :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भोगजी भाई :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्लो में क्षय और डिपथैरिया रोग बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन रोगों की वृद्धि को रोकने के लिये सरकार क्या अतिरिक्त पग उठायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) १९५७ में दर्ज किये गए दिल्ली में क्षय और डिपथैरिया के रोगियों को संख्या से पता चलता है कि उनमें पहले वर्षों की तुलना में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) दर्ज किये गये आंकड़ों में वृद्धि अंशतः (१) भीड़भाड़ और (२) रोगियों के दर्ज किये जाने और पता लगाने के लिये अच्छी सुविधायें ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Diptheria.

†**श्री कोडियान :** विवरण से पता चलता है कि क्षय और डिपथैरिया को फैलने से रोकने के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं । क्या यह सच नहीं है कि निधि की कमी के कारण डिपथैरिया निरोधक आन्दोलन सन्तोषजनक प्रगति नहीं कर रहा है; और यदि हां, तो क्या सरकार इस आन्दोलन को अधिक सुचारु रूप से चलाने के लिये अधिक निधि का आवंटन करना चाहती है ?

†**श्री करमरकर :** क्या माननीय मित्र का निर्देश बी० सी० जी० आन्दोलन की ओर है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं । वे डिपथैरिया की ओर निर्देश कर रहे थे ।

†**श्री करमरकर :** जी नहीं । जैसा मैं ने कहा है, डिपथैरिया को रोकने के लिये चार उपाय किये गये हैं --रोगरोधक टीका लगाना, डिपथैरिया रोगियों का पृथक्करण, गृह रोगाणुनाशन आदि ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कहते हैं कि उन्हें विवरण से यह पता चलता है कि निधि की कमी के कारण डिपथैरिया आन्दोलन इतनी प्रगति नहीं कर पा रहा है जितनी कि इसको करनी चाहिये थी ।

†**श्री करमरकर :** विवरण में इसकी प्रगति आदि के बारे में कुछ नहीं बताया गया है । डिपथैरिया जैसे मामले में मैं वास्तव में चाहता हूं कि जनता अधिकाधिक सहयोग प्रदान करे। यह सम्भव नहीं है कि हम प्रत्येक आसन्न मामले और संभावित मामले की देखभाल करें । अधिक अच्छा होगा यदि जनता डिपथैरिया के बारे में पर्याप्त सावधानी बरते । किसी के रोगी होने के बाद ही हम उसका उपचार करते हैं और सामान्यतः हम उसको रोगरोधक टीका लगाने के द्वारा रक्षा करते हैं । परन्तु एक बात है । रोगरोधक टीका लगाये जाने को हम किसी भी मात्रा में आवश्यक नहीं बना सकते । मैं चाहता हूं कि जनता अब से अधिक मात्रा में टीका लगवाने के लिये अपने आपको प्रस्तुप कर हमारे साथ सहयोग करे ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या जनता इस लाभदायक योजना के साथ सहयोग नहीं कर रही है या उनको इस योजना के अस्तित्व के बारे में उचित जनकारी नहीं दी गयी है ?

†**श्री करमरकर :** उनको जानकारी दिये जाने पर भी, मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है, इस विषय में जनता इतनी सावधान नहीं है जितनी कि उसे होना चाहिये । हम चाहते हैं कि इस सभा में हमारे मित्र इस विषय में हमारे साथ सहयोग करें और अधिकाधिक स्वास्थ्य चेतनता उत्पन्न कराने के प्रयत्न में हमारी सहायता करें । व्यक्ति निरोधक उपाय अपनाने की अपेक्षा, रोग के आ जाने पर अधिक चिन्तित होते हैं (**अन्तर्बाधा**) । मैं किसी की निन्दा नहीं कर रहा हूं परन्तु वास्तविक वस्तुस्थिति बतला रहा हूं ।

†**श्री हेम बरुआ :** जनता का सहयोग मांगने के लिये क्या जनता में कोई प्रचार सामग्री वितरित की जा रही है ?

†**श्री करमरकर :** जी, नहीं । हम पोस्टर, जलूस और अन्य बातों द्वारा इसका प्रचार करते हैं, परन्तु जनता मंद है (**अन्तर्बाधा**) । माननीय सदस्य मेरी बात सुनें । मैं चाहता

---

†मूल अंग्रेजी में

हूं कि अधिक सहयोग हो । यह सामान्य समस्या है । यह बात नहीं है कि मैं सरकार की ओर से वकालत कर रहा हूं और यह बात नहीं है कि मेरे माननीय मित्र केवल सरकार को बुरा भला कहने में अभिरुचि रखते हैं । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें मुझे मेरे सामने बैठे मित्रों के सहयोग का पूरा भरोसा है । मैं चाहता हूं कि हम सब शहर का चक्कर लगायें और कुछ स्वास्थ्य प्रचार करें——यह एक महत्वपूर्ण विषय है । **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । मेरे विचार में प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

†**श्री याज्ञिक :** यह तथ्यों का प्रश्न है कि जनता में कोई प्रचार सामग्री बांटी गई है या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानने के लिये उत्सुक हैं कि जब कोई महामारी फैले या इस बात का कुछ संशय हो कि यह महामारी का रूप धारण कर लेगी तो जनता को यह बताने के लिये कि अस्पतालों में पर्याप्त सुविधायें हैं, विभिन्न स्थानों पर पोस्टर चिपकाये जाने चाहियें जिससे जनता उस सुझाव से लाभ उठा सके । क्या पोस्टर और अन्य तरीकों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर :** यह किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय चाहते हैं कि सब माननीय सदस्य छुट्टी के समय में स्थानों का चक्कर लगायें और रोगों की रोकथाम के लिये प्रचार करें ।

†**श्री करमरकर :** वह बहुत लाभदायक होगा ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि

+

श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री पाणिग्रही :
†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६. **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्री प्रभात कार :
श्री खुशवक्त राय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में खाद्यान्नों के भाव बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यों में वृद्धि रबी की फसल नष्ट होने के कारण हुई है ;

(ग) इन जिलों में मूल्यों को बढ़ाने से रोकने और दुर्भिक्ष दूर करने के लिये सरकार केन्द्रीय द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ;

---

†मुल अंग्रेजी में

(घ) क्या खाद्यान्न साहाय्यित दरों पर दिया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो साहाय्यित दरों पर खाद्यान्नों के क्या भाव हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में चावल के भाव में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु गेहूं, जवार और बाजरा के मूल्य स्थिर हैं । रबी खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(ग) खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक है और केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी अग्रेतर आवश्यकता को पूरा करने को तैयार है ।

(घ) और (ङ). जी, हां । खाद्यान्न निम्नलिखित साहाय्यित थोक भाव पर दिये जा रहे हैं :—

गेहूं	१५ रुपये मन
चना	९ रुपये ६० नये पैसे प्रति मन
बेझड़	११ रुपये ३८ नये पैसे प्रति मन
मक्का	१० रुपये ९८ नये पैसे प्रति मन

†**श्री स० म० बनर्जी** : एक मूल्य स्थायीकरण बोर्ड की नियुक्ति के बारे में क्या खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या बोर्ड का गठन कर दिया गया है ; और यदि नहीं तो क्या शीघ्र ही बोर्ड का गठन किया जावेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस प्रश्न का मूल्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इसका सम्बन्ध है । मूल्य बढ़ रहे हैं । मंत्री महोदय कह चुके हैं कि सब राज्यों में विशेषतः चावल के मूल्य बढ़ गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सिफारिश यह थी कि मूल्यों को समय समय पर देखा जाये, और जब भी आवश्यक हो मूल्यों पर नियंत्रण किया जाये । क्या उस समिति द्वारा की गयी सिफारिश को कार्यान्वित करने का कोई विचार है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : सिफारिश विचाराधीन है । हम अभी किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं ।

†**श्री त्यागी** : मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गेहूं, ज्वार और बाजरा के मूल्य स्थिर हैं । यह एक प्रकार का चिंताजनक समाचार है क्यों कि गेहूं के मूल्यों की कुछ नीचे जाने की आशा थी । मुझे आश्चर्य है कि गेहूं के मूल्य क्यों नहीं गिरे हैं जब कि फसल की कटाई का समय आ गया है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : निस्सन्देह यह कुछ क्षुब्ध घटना है परन्तु गेहूं, बाजरा और मक्का के मूल्य पिछले वर्ष के मूल्यों से पर्याप्त कम हैं ।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश के इन पूर्वी जिलों में जहां कि १४ जिलों में से कम से कम १० में निरन्तर सूखा पड़ रहा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए—

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : "इस बात को ध्यान में रखते हुए" क्या है ? सारे विचार और तथ्य मालूम है । प्रश्न क्या है ?

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये क्षेत्र भी चावल--भक्षी क्षेत्र हैं--

†**अध्यक्ष महोदय** : सब जानते ह कि माननीय सदस्य चावल--भक्षी क्षेत्र से आये हैं ।

†**श्री तंगामणि** : मुझे इन क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है--

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न नहीं पूछा है ।

†**श्री तंगामणि** : इन स्थानों में चावल किस साहाय्यित दर पर बेचा जा रहा है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं प्रत्येक मामले में साहाय्यित दर की राशि तो नहीं बता सकता, परन्तु .

†**श्री याज्ञिक** : जिस मूल्य पर यह सस्ते अनाज की दुकानों और उचित मूल्य वाली दुकानों पर बेचा जाता है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : जो मूल्य मैं ने बताये हैं वे उनमें आठ आने से बारह आने प्रति मन तक और जोड़ने होंगे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : चावल के मूल्य में राजसहायता कितनी है ? मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन**: मैंने वह नहीं कहा ।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उचित मूल्य वाली दूकानों में चावल किस मूल्य पर बेचा जाता है क्यों कि वे कहते हैं कि मूल्य चढ़ गये हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : ठीक वही मैं कह रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने कहा है कि बताये गये मूल्यों पर आठ आने और बारह आने प्रति मन अधिक है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : जैसा मैंने कहा है, खाद्यान्न इन मूल्यों पर दिये जा रहे : गेहू--१५ रुपये प्रति मन ; चना--९ रुपये ६० नये पैसे प्रति मन ; बेझड़--११ रुपये ३८ नये पैसे प्रति मन और मक्का--१० रुपये ९८ नये पैसे प्रति मन । ये थोक भाव हैं ।

†**श्री तंगामणि** : चावल के बारे में क्या है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं वह भी बता रहा हूं । अब खुदरा भाव इन मूल्यों पर आठ आने से एक रुपया तक अधिक है । जहां तक चावल का सम्बन्ध है, उचित मूल्य वाली दूकानों पर कोई चावल नहीं बेचा जा रहा है ।

†**श्री याज्ञिक** : क्या कोई राजसहायता दी जा रही है ?

†**श्री तंगामणि** : उचित मूल्य वाली दूकानों में कोई चावल उपलब्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को एक के बाद एक प्रश्न पूछने चाहियें । यदि सब एक साथ ही प्रश्न पूछें तो कोई भी यह नहीं समझ सकता कि प्रश्न क्या है । मंत्री महोदय निश्चित रूप से यह कह चुके हैं कि उचित मूल्य वाली दूकानों में चावल नहीं बेचा जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री याज्ञिक** : क्या मकई, गेहूं और अन्य अनाज की बिक्री से सम्बन्धित कोई उचित मूल्य वाली दूकानें हैं और यदि इन को घटी दरों पर बेचा जाता है, तो उनको कितनी राजसहायता दी जाती है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में लगभग २००० उचित मूल्य वाली दूकानें हैं और ये सब खाद्यान्न साहाय्यित दरों पर बेचे जा रहे हैं ।

†**श्री याज्ञिक** : उन मूल्यों पर जो मंत्री महोदय ने बताये हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी, हां ।

†**श्री याज्ञिक** : व्यय की राशि जोड़कर ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने कहा है कि गेहूं के मूल्य नहीं बढ़े हैं परन्तु उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता ने बताया है कि चावल के मूल्य दो रुपये प्रति मन और गेहूं के मूल्य बारह आने प्रति मन बढ़ गये हैं । इनमें से कौन सा वक्तव्य ठीक है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरा वक्तव्य ठीक है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नेल्लौर का चावल

†*१८५२. **श्री र० ल० रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९५७ और जनवरी, १९५८ में नेल्लौर के चावल के मूल्य और वहन में पर्याप्त कमी हुई है ;

(ख) मूल्यों के कम करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने मद्रास राज्य को चावल भेजे जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाये हैं और क्या सरकार के आग्रह पर बैंक सुविधायें पर्याप्त कम कर दी गयी हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जनवरी, १९५८ में फसल की कटाई के बाद नेल्लौर में चावल के मूल्य में कुछ मौसमी गिरावट आ गई थी । वेल्लौर से रेल द्वारा चावल का वहन दिसम्बर, १९५७ और जनवरी, १९५८ में बढ़ा और प्रचुर मात्रा का सड़क द्वारा भी वहन किया गया ।

(ख) मूल्य स्तर को नीचा रखने के लिये सरकार द्वारा किये गये मुख्य उपायों में से कुछ ये हैं ; दक्षिणी चावल जोन का बनाया जाना, बैंक ऋणों में कमी, आन्ध्र में नियंत्रित मूल्यों का लागू किया जाना, भंडारों का अधिग्रहण और सरकारी भंडारों से खाद्यान्न का वितरण ।

(ग) भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश से मद्रास राज्य को चावल के वहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं । किसी हद तक बैंक सुविधाओं में कमी कर दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आंध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना

*१८५४. { **श्री मधुसूदन राव :**
श्री र० ल० रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तेलंगाना में गोदावरी नदी पर "पोचमपाद परियोजना" को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करवाने के लिये हाल ही में अभ्यावेदन भेजा है, और

(ख) क्या उस पर कोई निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं, परन्तु अगस्त, १९५७ में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 'पोचमपाद परियोजना' के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिये ५ लाख रुपये का ऋण मांगा था ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि, इस परियोजना के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु इन्वेस्टिगेशन इस ढंग से होनी चाहिये कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई मीडियम सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित इन्वेस्टिगेशन के पूरे कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन तेलंगाना क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन के लिये ९.५ लाख रुपये का प्रबन्ध है जिसमें से १९५८–५९ की वार्षिक योजना में ५ लाख रुपये के खर्चे की व्यवस्था है ।

हड़ताल के दौरान स्वैच्छिक सेवा

†*१८५५. **श्री वाजपेयी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९५७ में डाक हड़ताल की आशंका के समय जिन व्यक्तियों ने डाक तथा तार विभाग में स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिये अपने को प्रस्तुत किया था क्या उन्हें लिपिक तथा सम्बद्ध वर्ग में भर्ती करने के सम्बन्ध में विशेष रियायतें दी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या रियायतें दी जा रही हैं ; और

(ग) कितने व्यक्तियों ने स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवायें प्रस्तुत की थीं और उन में से कितने व्यक्तियों को इन रियायतों से लाभ पहुंचने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है ।

(२) मैट्रिक की परीक्षा में या इसके बराबर की परीक्षा में सभी चार निर्धारित विषयों में पास होने पर ज़ोर नहीं दिया जायेगा बल्कि उम्मीदवार को मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी के विषय में पास होना चाहिये ।

(३) उम्मीदवार के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा में प्राप्त किये गये कुल अंकों को इस प्रकार माना जायेगा कि जैसे वे कुल ४०० अंकों में से प्राप्त किये गये हों और २५ अंकों की और रियायत दी जायेगी ।

(ग) व्यक्तियों की संख्या

जितने व्यक्तियों ने अपनी सेवायें प्रस्तुत की थीं	जितने व्यक्तियों के चुने जाने की संभावना है
८१२६	५००

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीकी "लिबर्टी" जहाज़ों का खरीदा जाना

†*१८५८. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीकी 'लिबर्टी' जहाज़ों के खरीदने के सम्बन्ध में अब तक बातचीत में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : कुछ अमरीकी मॉथ बॉल जहाज़ खरीदने के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार के साथ बातचीत में अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है । इस मामले में अमरीकी सरकार का निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

बम्बई उपनगरीय रेलवे में दुर्घटना

†***१८५९. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ मार्च, १९५८ को सवेरे के समय माटुंगा के एक समपार के निकट बम्बई वी० टी० से थाना जा रही एक उपनगरीय गाड़ी के पिछले चार डिब्बे पटरी से उत्तर गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) जी, हां । लगभग ०८.४३ बजे संख्या टी/१७ डाउन बम्बई-थाना बहु-एकक उपनगरीय गाड़ी चल रही थी और उस समय मध्य रेलवे के बम्बई-कल्याण चौहरी बिजली की लाइन के सैक्शन पर माटुंगा और सिओन स्टेशनों के बीच मील संख्या ६/२६ पर इसके चार डिब्बे पटरी से उतर गये थे ।

(ख) कारण की जांच की जा रही है ।

लकड़ी के लट्ठों का निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र[1]

†***१८६७. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लकड़ी के लट्ठों के निर्माण से सम्बन्धित एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र किस स्थान पर स्थित है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां । मार्च, १९५८ के मध्य से केन्द्र स्थापित किया गया है ।

(ख) बटोत में ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Logging Training Centre.

मेडिकल कालेज

†*१८७२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कुछ मेडिकल कालेजों में पर्याप्त मात्रा में उपकरण नहीं हैं और वे भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों के विरुद्ध चल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख) भारत सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कुछ मेडिकल कालिजों में पर्याप्त मात्रा में उपकरण नहीं हैं। अधिकांश कालेज राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य निकायों के अधीन हैं और उचित कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को वे अभाव बता दिये गये हैं जिसकी ओर भारतीय चिकित्सा परिषद् ने संकेत किया है। यह भी बताया जाता है कि केन्द्रीय सरकार की प्रथम पंच वर्षीय योजना में मेडिकल कालेजों तथा गवेषणा संस्थाओं को उपकरण के संभरण के लिये ७१.५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। केन्द्रीय सरकार की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी इस प्रयोजन के लिये १०० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने १९५७-५८ में उपकरण खरीदने के लिये मेडिकल कालेजों तथा गवेषणा संस्थाओं को ६,७१,८७६ रुपये के नकद अनुदानों के भुगतान की मंजूरी भी दी थी।

बम्बई राज्य के नासिक ज़िले में अकाल

†*१८७३. { **श्री जाधव** :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त नासिक ज़िले (बम्बई राज्य) में खरीफ़ तथा रबी की फ़सलों के अभाव के कारण अकाल की गम्भीर परिस्थितियां विद्यमान है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां अनाज तथा चारे की कमी है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नासिक ज़िले में अकाल की गम्भीर परिस्थितियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कुछ नहीं कहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बारासेत-हसनाबाद लाइन

†*१८७४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारासेत से हसनाबाद तक रेलवे की बड़ी लाइन के अन्तिम समरेखण तथा भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार से केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

(ख) क्या निर्माण-कार्य शुरू हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा रेलवे को क्षेत्रवास-क्षेत्र (होमस्टैंड एरिया) सहित भूमि का कब्ज़ा दिये जाते ही निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

टेलीफोन मशीनों के लिये नये सिक्के

†*१८७५. { **श्री कुमारन :**
श्री रामकृष्ण रेड्डी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता द्वारा सार्वजनिक टेलीफ़ोन का दुअन्नी के सिक्के की अपेक्षा दशमिक सिक्कों से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में क्या टेलीफ़ोन मशीनों में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: जी, हां ; वर्तमान मशीनों में यथा संभव शीघ्र ही परिवर्तन किये जाने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं ।

दिल्ली बिजली बोर्ड

†२७८७. **श्री वाजपेयी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि दिल्ली बिजली बोर्ड को १९५७-५८ में शुद्ध लाभ हुआ है तो उसकी राशि कितनी है ; और

(ख) क्या बोर्ड की अपनी कोई प्रार्थित पूंजी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) क्योंकि अभी १९५७-५८ के लिये लेखों का संकलन नहीं किया गया है इस लिये इस चरण पर यह बताना संभव नहीं है कि इस वर्ष में दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड को कितना लाभ हुआ था ।

(ख) बोर्ड की अपनी कोई प्रार्थित पूंजी नहीं थी । पूंजी व्यय सम्बन्धी इसकी अपेक्षायें केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋणों से ही पूरी की जाती थीं ।

मोकामा पुल

†२७८८. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री कमल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोकामा के निकट गंगा नदी पर रेल एवं सड़क पुल के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक निर्माण कार्य पर कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) कार्य की कुल प्रगति ६५ प्रतिशत है । नदी नियंत्रण कार्य तथा पुल की नीवों से सम्बन्धित कार्य पूरा किया जा चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

मुख्य गर्डर मेहराबें खड़ी करने का काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है—तीन मेहराबें खड़ी की जा चुकी हैं । सहायक मदों सहित बी जी/एम जी ट्रांसशिपमेंट यार्ड के कार्य में भी प्रगति हो रही है ।

(ख) ३१-३-५८ तक लगभग ११.३४ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे ।

(ग) आशा है कि १९५९ के पिछले अर्द्ध वर्ष में पुल बन कर तैयार हो जायेगा ।

उड़ीसा में अधिक अनाज उगाओ आन्दोलन

†२७८९. **श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से अब तक विभिन्न योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को अल्पावधि तथा दीर्घावधि ऋणों तथा अनुदानों के रूप में कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से अब तक (अर्थात्, १९५६-५७ तथा १९५७-५८) उड़ीसा सरकार को अल्पावधि तथा दीर्घावधि ऋणों तथा अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन रकमों की मंजूरी दी गई थी वे सभी नीचे दी जाती हैं :—

अल्पावधि ऋण	**दीर्घावधि ऋण**	**अनुदान**
(रुपये लाखों में)	(रुपये लाखों में)	(रुपये लाखों में)
४०.३०	१३७.४०	९७.३२

उपरोक्त आंकड़ों में अधिक अनाज उगाओ सहायता के आंकड़े भी शामिल हैं और वे इस प्रकार हैं :—

रुपये लाखों में	रुपये लाखों में	रुपये लाखों में
४०.३०	८४.८३	१४.०१

अन्नामलाई विश्वविद्यालय में कृषि कालेज

†२७९०. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय में कृषि कालेज के लिये केन्द्र द्वारा १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में कितनी रकम आवंटित की गई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** अन्नामलाई विश्वविद्यालय को उनके कृषि कालेज के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है ।

मैसूर की रेलवे वर्कशाप सम्बन्धी संवरण समिति

†२७९१. **श्री सिदय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर की रेलवे वर्कशाप में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का संवरण करने के लिये संवरण समिति में अनुसूचित जातियों के एक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). क्योंकि अनुसूचित जातियों की भर्ती की देख भाल का कार्य अब एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसे विशेष रूप से यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है इसलिये इस सम्बन्ध में कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं । कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती है ।

रेलवे में सुरक्षा-निरीक्षक

†२७९२. श्री सिदय्या : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारत सरकार की रेलों में सुरक्षा-निरीक्षक नियुक्त करने के लिये कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ज़ोन में कुल कितने निरीक्षक नियुक्त किये जायेंगे ; और

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा आंग्ल-भारतीयों के लिये कितनी जगहें रक्षित की गई हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख)

रेलवे का नाम	**की जाने वाली नियुक्तियों की कुल संख्या**
१. मध्य	२१
२. पूर्व	१३
३. उत्तर	२८
४. पूर्वोत्तर	१२
५. पूर्वोत्तर सीमा	१२
६. दक्षिण	३२
७. दक्षिण-पूर्व	१७
८. पश्चिम	३३

(ग) कोई नहीं, क्योंकि पदोन्नति द्वारा रिक्तताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में कोई जगह रक्षित नहीं की जाती है ।

चिकोरी की खेती

†२७९३. श्री नारायणस्वामी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति वर्ष चिकोरी की कुल कितनी मात्रा आयात की जाती है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि देश में कुछ पहाड़ी स्थानों में चिकोरी की कुछ मात्रा उगाई जाती है ; और

(ग) यदि हां तो अपने देश में इस खेती को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) समुद्रव्यापार लेखों में चिकोरी को पृथक् रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है । किन्तु बैल्जियम तथा नीदरलैण्ड, ये दो मुख्य देश हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

जो भारत को चिकोरी निर्यात करते हैं ; इन देशों के दूतावासों से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार भारत को निम्न मात्रायें निर्यात की गई थीं :—

वर्ष	मात्रा (दशमिक टन में)
१९५१	१३४४
१९५२	१०३९
१९५३	७८०
१९५४	१०८६
१९५५	१३१९
जनवरी—सितम्बर, १९५७ के दौरान आयात की गई भुनी हुई चिकोरी	१७९८ हज़ार पौंड

(ख) जी, हां। ४,००० से ११,००० फ़ुट की ऊंचाई पर चिकोरी के जंगली पैदावार के रूप में उगने की बात मालूम है।

(ग) भारत में चिकोरी की बहुत सीमित मांग है। एक सार्थ ने चिकोरी का आयात करने के लिये लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में आवेदित किया था और उसे पिछले वर्ष पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों के कृषि निदेशकों के सहयोग से भारत में चिकोरी का उत्पादन करने के लिये प्रयत्न करने की सलाह दी गई थी। उसे २,००० पौंड चिकोरी के बीज आयात करने के लिये लाइसस भी दिया गया था।

रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

†२७९४. **श्री कुमारन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनलू तथा शेंकोटा स्टेशनों के बीच प्राय: रेलगाड़ियां पटरी से उतर जाती हैं और वर्षा ऋतु में विशेष रूप से ऐसी दुर्घटनायें होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) इस सैक्शन पर गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या १९५५–५६ से १९५७–५८ तक की अवधि में इस प्रकार थी :—

मास	गाड़ियों के पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं की संख्या		
	१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८
मार्च	—	१	२
अप्रैल	—	१	—
अगस्त	—	१	—
वर्ष का कुल जोड़	—	३	२

पटरी से उतरने की उपरोक्त दुर्घटनाओं में से कोई घटना लाइन पर वर्षा ऋतु के प्रभाव के कारण नहीं हुई थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। किन्तु वर्षा ऋतु में और आंधी तूफान की ऋतु में लाइन की पर्याप्त रूप से गश्त की जाती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कोटारक्करा रेलवे स्टेशन का सुधार

†२७९५. **श्री कुमारन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के कोटारक्करा रेलवे स्टेशन के सुधार तथा विस्तार के सम्बन्ध में प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ; और

(ग) इस कार्य के लिये प्राक्कलित राशि कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) रेलवे उपभोक्ता सुविधा समिति ने तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय के विस्तार तथा मोटर तांगों के खड़े होने की जगह में सुधार करने का कार्य अनुमोदित किया है । इन्हें १९५८–५९ के लिये कार्यों की सूची में सम्मिलित किया गया है ।

(ख) १९५८–५९ के पिछले भाग में ।

(ग) १०,५०० रुपये ।

पर्यटकों का हीराकुड बांध देखने के लिये जाना

†२७९६. **श्री पांगरकर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ की अवधि में कितने विदेशी पर्यटक हीराकुड बांध देखने के लिये गये थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : २१ विदेशी पर्यटक ।

बम्बई के लिये उर्वरक

२७९७. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ तथा १९५८–५९ वर्षों के लिये बम्बई राज्य के सम्बन्ध में उर्वरक का कितना कोटा नियत किया गया है ; और

(ख) क्या इससे अपेक्षित मांग पूरी हो सकेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: उर्वरक सम्बन्धी मांग तथा संभाव्य सम्भरण की मात्रायें इस प्रकार हैं :—

सभी आंकड़े टन में हैं

उर्वरक का नाम	१९५७–५८ (जनवरी १९५७ से मार्च, १९५८)		१९५८–५९	
	मांग	कुल मात्रा जो दी जायेगी	मांग	कुल मात्रा जिसके दिये जाने की संभावना है
सल्फ़ेट अमोनिया	१,०७,०००	९१,३७५	१,२०,०००	५४,०००
यूरिया	४,६६३	४,६६३	६,०००	४,५००
एमोनियम सल्फ़ेट नाइट्रेट	८,३२९	२,४१९	१८,०००	१५,३००
कैल्शियम एमोनिया नाइट्रेट	—	—	४,०००	४,०००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मांगें निम्न सीमा तक पूरी की जायेंगी (पौधा-पोषक नाइट्रोजन के रूप में अभिव्यक्त) :—

१९५७–५८	८४ प्रतिशत
१९५८–५९	५५ प्रतिशत

बम्बई में फल परिरक्षण उद्योग

†२७९८. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में फल परिरक्षण उद्योग की स्थापना के लिये भारत सरकार ने १९५७–५८ वर्ष के लिये किसी रकम की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम की मंजूरी दी गई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं। बड़े पैमाने पर फलों के परिरक्षण के लिये डिब्बों में बन्द करने के कारखानों तथा छोटे पैमाने की फल परिरक्षण इकाइयों की स्थापना के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऋण देने की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अधीन ऋण के निबन्धन तथा शर्तें बम्बई सरकार को स्वीकार नहीं थीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बम्बई में पर्यटन

†२७९९. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने राज्य में १९५८–५९ में पर्यटन विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का क्या स्वरूप है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). बम्बई सरकार ने अहमदाबाद, राजकोट, महाबलेश्वर, मंगलेश्वर, पानीरन, तनसा और वैतरण में पर्यटन ब्यूरो की स्थापना और अहमदाबाद में अल्प आय वर्ग के लिये एक विश्रान्ति गृह के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता की मांग की है। राज्य सरकार को पहले ही बता दिया गया है कि राजकोट में पर्यटन ब्यूरो के लिये सहायता प्रदान करना भारत सरकार के लिये संभव नहीं है। अन्य पर्यटन ब्यूरो के लिये वित्तीय सहायता स्वीकार करने का प्रश्न विचाराधीन है। अहमदाबाद में अल्प आय वर्ग विश्रान्ति गृह की स्थापना के बारे में यह सुझाव दिया गया है कि निम्न बातों को ध्यान में रखते हुये अल्प आय वर्ग विश्रान्ति गृह की आवश्यकता पर वे पुनः विचार करें :—

(१) आन्तरिक क्षेत्र में पर्यटन करने वालों के लिये अहमदाबाद में पहले से उपलब्ध होटल तथा आवास, और

(२) यदि वर्तमान में आवास उपयुक्त नहीं है तो प्राइवेट पार्टियों द्वारा सस्ते होटल चालू करने की संभावना क्योंकि अहमदाबाद समृद्धिशील नगर है और इस प्रकार की आवास व्यवस्था बाद में मितव्ययतापूर्ण सिद्ध होगी।

राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारी

†२८००. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में १९५६–५७ और १९५७–५८ में कितने कर्मचारी चिकित्सा दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किये गये ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में चिकित्सा आधार पर कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

	१९५६–५७	१९५७–५८
(क)	४२४	६५३
(ख)	१२७	१५६

वाराणसी-दोहरीघाट राष्ट्रीय राजपथ

†२८०१. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी-गाजीपुर-दोहरीघाट के राष्ट्रीय राजपथ मार्ग के पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण पर १९५५–५६, १९५६-५७ और १९५७–५८ में यथार्थतः कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ख) वाराणसी-दोहरीघाट राष्ट्रीय राजपथ वास्तविक रूप में कितने मील लम्बा है ;

(ग) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में इस मार्ग पर पुलों का निर्माण प्रारम्भ कर सम्पन्न कर दिया जायेगा ;

(घ) क्या उपरोक्त मार्ग उन क्षेत्रों से हो कर गुजरता है जहां बाढ़ के समय वर्तमान सड़कों पर यातायात का काफी भार रहता है ; और

(ङ) इस सड़क का कितना भाग बाढ़ से प्रभावित होता है तथा भविष्य में बाढ़ों से उत्पन्न दरारों को रोकने के लिये क्या सावधानी बरती गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क). पिछले तीन वर्षों में खर्च सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं :

	रुपये
१९५५–५६	१२,८१,७४६
१९५६–५७	२२,०७,६४२
१९५७–५८	५,८७,३३६

(ख) ९४ मील और १ फर्लांग ।

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस सड़क पर गोमती, टोंस और घाघरा के ऊपर तीन बड़े पुलों के निर्माण का विचार है। टोंस नदी पर पुल निर्माण का कार्य स्वीकार किया जा चुका है और चालू योजना की समाप्ति के पूर्व इसके पूरे हो जाने की आशा है। अन्य दो पुलों की डिजाइनें और प्राक्कलन तैयारी की विभिन्न अवस्था में है और यदि निधि उपलब्ध हुई तो योजना अवधि में ही इस कार्य को प्रारम्भ करने का विचार है यद्यपि पुल योजना के अन्त तक यातायात के लिये चालू नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) और (ङ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में गौशालाएं

†२८०२. **श्री भगवती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय क्षेत्रों में दुग्ध संभरण में वृद्धि करने और गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत उन्नत प्रकार के ढोरों के प्रजनन के लिये भारत सरकार द्वारा आसाम राज्य में १९५६–५७ में कितनी गौशालायें मंजूर की गई हैं ; और

(ख) आसाम में १९५७–५८ के लिये कितनी गौशालायें स्वीकार की गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) एक ।

(ख) एक ।

आसाम में मीन क्षेत्र का विकास

२८०३. **श्री भगवती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में मछवाहों की सहकारी समिति के संगठन तथा मछली सम्बन्धी अन्य विकास कार्यक्रम के लिये राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कितनी रकम मंजूर की गई है ; और

(ख) क्या आसाम के मछली विभाग एवं कृषकों को टेकनीकल परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिये आसाम में मछली विस्तार यूनिट की स्थापना का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में निम्न रकम स्वीकार की गई हैं :—

(१) मछवाहों की सहकारी समितियों के संगठन के लिये :—

वर्ष	अनुदान	ऋण (लाख रुपयों में)
१९५६–५७	कुछ नहीं	कुछ नहीं
१९५७–५८	—	०.२५

(२) मीन क्षेत्र के अन्य विकास कार्यक्रम के लिये :—

वर्ष	अनुदान	ऋण
१९५६–५७	०.०५	—
१९५७–५८	१.५०	३.७६

(ख) एक मछली विस्तार यूनिट मार्च, १९५६ में गौहाटी में स्थापित की जा चुकी है ।

आसाम में प्रादेशिक कुक्कुटादि पालन केन्द्र[1]

†२८०४. **श्री भगवती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुक्कुटादि पालन विकास योजना के अधीन आसाम राज्य के लिये किसी प्रादेशिक कुक्कुटादि पालन और प्रदर्शन तथा विस्तार केन्द्र का अनुमोदन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह आसाम में कब और किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Regional Poultry Farm in Assam.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) आसाम में प्रादेशिक कुक्कुटादि पालन केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है हां, अखिल भारतीय कुक्कुटादि पालन विकास योजना के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य को १४ कुक्कुटादि पालन विस्तार केन्द्र आवंटित किये गये हैं ।

(ख) १६५५-५६ में भोई में एक कुक्कुटादि पालन विस्तार केन्द्र स्थापित किया गया था जब कि १६५६-५७ में कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था । १६५७-५८ में राज्य सरकार सिलचर, पानीटोला, नौगांव, बरपेटा रोड और बारभेटा में इस प्रकार के पांच केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डाक की सुविधायें

२८०५. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पांच पहाड़ी जिलों तथा देहरादून, टिहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में १६५७-५८ में कहां-कहां निम्नलिखित सुविधायें दी गयीं और वापिस ली गयीं :—

(१) नये डाक घर (२) तार घर (३) नये टेलीफ़ोन घर और टेलीफ़ोन एक्सचेंज और (४) विभागातिरिक्त डाक-घरों का विभागीय डाक-घरों में बदला जाना; और

(ख) इन जिलों में किन-किन स्थानों पर १६५८-५६ में उपरोक्त सुविधायें देने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २८]**

उड़ीसा में डाकघर

†**२८०६. श्री बि० चं० प्रधान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में अभी तक उड़ीसा में खोले गये डाकघरों की संख्या के साथ यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष अवधि में कितने और नये डाकघर खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** :

(१) १ अप्रैल, १६५६ से ३१ मार्च १६५८ तक खोले गये डाकघर . .	४०५
(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में खोलने का विचार . .	६२६

गुड़गांव स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

†**२८०७. श्री चुनीलाल** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़गांव (पंजाब) के रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों तथा अन्य मुसाफिरों के लिये बनाये गये वेटिंग रूम और शेड में कितनी आवास क्षमता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) धार्मिक त्यौहारों की मुख्य अवधि में इस स्टेशन पर उतरने वाले मुसाफिरों की औसत संख्या कितनी है, और

(ग) इस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** (क) गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर इस समय तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये लगभग ७३० वर्गफीट और अपर क्लास वेटिंग रूम के रूप में २८० वर्ग फीट स्थान है। इसके अतिरिक्त ५०० वर्गफीट क्षेत्र का एक शेड है जो मेले के दिनों में प्रयुक्त किया जाता है।

(ख) धार्मिक त्योहारों वाले महीनों में लगभग ३२०० मुसाफिर औसतन यहां उतरते हैं। मुख्य दिनों में मुसाफिरों की अधिकतम संख्या ४०० है।

(ग) वेटिंग हाल और वेटिंग रूम को विस्तृत करने का विचार है और इस कार्य को १९५८-५९ में करने की सम्भावना है।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†२८०८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था ने १९५७-५८ में फलों की खेती और संरक्षण, आधारभूत उत्पत्ति, पौधों के जीवाणु रोग, कीट शरीर विज्ञान और निदाई सम्बन्धी गवेषणा को गहन रूप प्रदान किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं; और

(ग) क्या जीवाणु रोग सम्बन्धी गवेषणा के परिणाम का व्यापक प्रकाशन किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २९]**

दिल्ली और नयी दिल्ली की सड़कों के नाम

२८०९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री हेमराज :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली की कुछ और सड़कों के नाम बदल कर उनके भारतीय नाम रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

---

†मूल अंग्रेजी म

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सड़कों के लिये क्या क्या नाम चुने गये हैं और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सड़कों के भारतीय नाम रखने का प्रस्ताव सदा के लिये छोड़ दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह प्रश्न भी नहीं उठता है, क्योंकि ऐसे प्रस्तावों के उपस्थित होने पर उन पर विचार करना दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगरपालिका का काम है; इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु-पालन में प्रशिक्षण

२८१०. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिसार के पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु-पालन कालेज में पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु-पालन की शिक्षा प्राप्त करने के लिये दिल्ली प्रदेश से प्रति वर्ष ४ उम्मीदवारों को भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इन उम्मीदवारों के चुनाव का तरीका क्या है; और

(ग) प्रशिक्षण में कितना समय लगता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) योग्य उम्मीदवारों से प्रार्थना-पत्र मंगवाने के बाद सेलेक्शन बोर्ड द्वारा ।

(ग) चार वर्ष ।

दिल्ली में मछली पालन

२८११. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रदेश में सरकार द्वारा मछली पालने के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा संक्षिप्त में निम्न प्रकार है :—

स्कोनोमिक स्पीसिस के मछली के अंडों का नदी से इक्कट्ठा करना और गांवों के तालाबों में उनका रखना; मछली पालन के लिये उपयुक्त तालाबों के चुनाव और अंडे इकट्ठे करने के केन्द्रों का सर्वे करना ; फिश कल्चर के तरीकों का प्रचार; नदी में फिशब्रूडर्स और मछली के अंडों को बचाने के लिये संरक्षण के उपाय करना ; फिश कल्चर के लिये गांव के तालाबों में सुधार

---

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिये ५० प्रतिशत की सहायता की मंजूरी; मछली पालने के लिये दलदल को साफ कराने की तजवीज़ ; मछली के पणन के लिये मछियारों की सहकारी संस्थाओं का संगठन और जामा मस्जिद के पास एक कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट लगाना ।

(ख) जी हां ।

(ग) लगभग ६००० मन मछली वार्षिक ।

उत्तर रेलवे में उम्मीदवारों का चुनाव

†२८१२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में तृतीय श्रेणी के पदों (टेकनीकल और गैर टक्नीकल) के लिये १९५५, १९५६ और १९५७ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इन जातियों में से कितने उम्मीदवार चुने गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३०]**

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता

†२८१३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी स्वास्थ्य परियोजनाओं के बारे में १९५७–५८ में अमरीकी सरकार से सहायता स्वरूप कितनी रकम प्राप्त हुई है ; और

(ख) इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १,१८,८०,५९६.२२ अमरीकी डालर

(ख) भारत-अमरीका करार —कार्य संचालन करार संख्या १९ के अधीन —भारत के मैडिकल कालेजों और सम्बन्धित संस्थाओं को सहायता ;

(२) भारत-अमरीका करार—कार्य संचालन करार संख्या ३०—के अधीन ओरियन्टेशन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के लिये सहायता ;

(३) भारत-अमरीका करार—कार्य संचालन करार संख्या २५—के अधीन राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के लिये सहायता ;

(४) भारत-अमरीका करार—कार्य संचालन करार संख्या ९— के अधीन राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये सहायता; और

(५) भारत-अमरीका करार—कार्य संचालन करार संख्या ३३—के अधीन राष्ट्रीय फिलैरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये सहायता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल वाली सारडीन मछलियां

†२८१४. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल समुद्र तट पर तेल वाली सारडीन मछलियां १९५७ की अन्तिम तिमाही और जनवरी १९५८ में अनुमानतः कितनो पकड़ी गई थीं और अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में पकड़ी गई मछलियों से इसकी क्या तुलनात्मक स्थिति है; और

(ख) मछलियों की उपरोक्त मात्रा में से कितनी खाद्य के रूप में प्रयुक्त की गई और कितनी से (१) तेल और (२) खाद तैयार की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) केरल और अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में प्राप्त तेल वाली सारडीन मछलियों का अनुमानित विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) (१) केरल राज्य के अतिरिक्त अन्यत्र तेल वाली (सारडीन) मछलियों को खाद्य रूप में प्रयुक्त करने और तेल तथा खाद्य के लिये काम में लेने के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । पकड़ी गई मछलियों में से केवल ३० प्रतिशत ही सुरक्षित रखी जाती हैं और उनके प्राप्त होने की अवधि में ताजा अवस्था में बहुत कम मछलियों का उपयोग किया जाता है । अधिकांश मछलियां तेल निकालने के लिये और 'ग्वानों' या 'फिशमील' उत्पादन के लिये काम में ली जाती हैं । एक मछली से प्रायः उनके बजन का दसवां हिस्सा तेल निकलता है तथा 'फिशमील' की मात्रा वजन का पांचवां भाग होता है ।

(२) जहां तक केरल राज्य का सम्बन्ध है, दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाली तिमाही में अनुमानतः १,४७,४०० मीट्रिक टन सारडीन प्रकार की मछलियां पकड़ी गईं थीं इनमें से विचित्र प्रयोजनों के लिये निम्न मात्रा प्रयुक्त की गई :

	मीट्रिक टन
(क) खाने के लिये	८९.२८५
(ख) तेल निकालने के लिये	३९.१९१
(ग) खाद बनाने के लिये	१८.९२४
कुल .	१,४७,४०० मीट्रिक टन

पिछले वर्ष अर्थात् १९५५ और १९५६ में पकड़ी गई सम्पूर्ण मछलियां प्रायः खाने के लिये ही प्रयुक्त की गई । किन्तु १९५४ में मलाबार तट पर पर्याप्त मात्रा में मछलियां पकड़ी गई और विभिन्न कार्यों के लिये निम्न मात्रा में मछलियां प्रयुक्त की गई :—

	मीट्रिक टन
(क) खाने के लिये	३५,४६५.५४
(ख) तेल निकालने के लिये . . .	२,४७४.३४
(ग) खाद बनाने के लिये . . .	३,२९९.१२
कुल .	४१,२३९.०० मीट्रिक टन

---

†मूल अंग्रेजी में

कैंसर संस्थाएं

†२८१५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कैंसर का उपचार करने में कितनी कैंसर संस्थायें और सरकारी अस्पताल संलग्न हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: कैंसर के उपचार के लिये तीन कैंसर संस्थायें और २७ सरकारी अस्पताल संलग्न हैं ।

गन्ना

२८१६. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दस वर्षों में गन्ने पर राज्यवार कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया और उसमें राज्यों का हिस्सा कितना था और केन्द्र का कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : गत दस वर्षों में गन्ने पर राज्यवार उत्पादन शुल्क की वसूली के अंकों के दो विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३२**] । सन् १९५२–५३ से सन् १९५६–५७ तक इस उत्पादन शुल्क का कोई भी भाग किसी भी राज्य को नहीं दिया जाता था । द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिश पर सभी राज्य सरकारों को सन् १९५७–५८ से इस शुल्क की वसूली का २५ प्रतिशत भाग राज्य सरकारों को दिया जा रहा है ।

रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना

†२८१७. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर १९५८–५९ में बिजली लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों के क्या नाम हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख) . दक्षिण रेलवे के निम्न स्टेशनों पर १९५८–५९ में बिजली लगाने का कार्यक्रम है :

१. अच्चर पाक्कम
२. मधुरान्नकम
३. मल्लियम्
४. बेतंचेर्ला
५. कम्बम
६. कालिकिरि
७. मुदिगुबबा
८. पामिदि
९. पोनपटी
१०. राजपेट
११. बिजापूर
१२. रूकड़ी
१३. दौउनेट्ट
१४. गिडुनहल्लि
१५. जन्नघट्ट
१६. क्वलंदे
१७. माक्ली दुर्ग
१८. मन्दगेरे
१९. ओडडरहल्लि

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक का भेजा जाना

†२८१८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली से जोधपुर डाक गाड़ी में जोधपुर के लिये डाक ले जाई जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है; और

(ग) इस रेलगाड़ी के द्वारा डाक भेजने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नही होता।

अन्तर्देशीय जलपथों का सवक्षण

†२८१९. **श्री घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल पथों के सर्वेक्षण के लिये और गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के लिये एक जाल खरीदने के सम्बन्ध में क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी, नहीं। किन्तु पश्चिमी बंगाल में अन्तर्देशीय जल पथों के सर्वेक्षण के लिये और पश्चिमी बंगाल के लिये एक जाल के निर्माण के सम्बन्ध में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक योजना सम्मिलित की है।

(ख) जल पथों के सर्वेक्षण के लिये एक उपयुक्त सर्वेक्षण संगठन स्थापित किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा मिलने में कठिनाई के कारण जाल का निर्माण स्थगित करना पड़ेगा।

रॉवाल्फिया पौधे के सम्बन्ध में गवेषणा

†२८२०. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीडन के प्रतिरक्षा मंत्रालय के चिकित्सा बोर्ड सम्बन्धी वैज्ञानिकों द्वारा रांवाल्फिया पौधे के सम्बन्ध में जो गवेषणा-कार्य किया गया है क्या भारत सरकार को वह विदित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वीडन सरकार से गवेषणा के परिणाम प्राप्त किये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

रेलवे के स्टोरवान और डिलीवरी क्लर्क

†२८२१. **श्री पाणिग्रही :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे के स्टोरवान क्लर्कों तथा डिलीवरी क्लर्कों की वेतन-श्रेणी तथा पदोन्नतियों के अवसरों के सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या वह निर्णय अब कार्यान्वित किया जा चुका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि स्टोरवान क्लर्क तथा डिलीवरी क्लर्क ८० रुपये से २२० रुपये की वेतन श्रेणी के क्लर्कों में से लिये जाने चाहिये ।

(ग) पूर्व रेलवे के अतिरिक्त अन्य किसी रेलवे में अभी यह निर्णय लागू नहीं किया गया है ।

गव्यशालाओं[1] की स्थापना

†२८२२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर, रूरकेला तथा भिलाई के इस्पात नगरों में गव्यशालाओं की स्थापना के लिये सरकार का कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस योजना को लागू करने में कितनी रकम खर्च होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (ग). दुर्गापुर, रूरकेला तथा भिलाई के इस्पात नगरों के लिये अब तक कोई दुग्ध सम्भरण योजना तैयार नहीं की गई है। इस्पात नगरों के लिये एक योजना तैयार करने की संभावना तथा योजनाओं के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्रमशः संबंधित राज्य सरकारों और खाद्य तथा कृषि संगठन की सलाह के साथ विचार किया जा रहा है ।

मनीपुर के मछुए

†२८२३. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में मछुओं के गांवों के आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण-कार्य के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) तथा (ख). क्योंकि मनीपुर में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां गांवनिवासियों द्वारा इस सीमा तक मछलियां पकड़ने का कार्य व्यवसाय रूप में किया जाता हो कि उन्हें अनन्य रूप से मछुओं के गांव कहा जा सके इस लिये मनीपुर में मछुओं के गांवों का कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है । किन्तु झीलों के निकट स्थित कुछ महत्वपूर्ण गांवों में वैयाक्तिक आधार पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था और इस सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Dairies.

अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का चुनाव

†२८२४. **श्री सिदय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशिष्ट समय में किसी वर्ग के अधीन वास्तव में जितनी रिक्ततायें हों क्या रेलवे सेवा आयोगों द्वारा उन से अधिक संख्या में उम्मीदवारों का चुनाव किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं जिनके अधीन वे उम्मीदवारों का चुनाव कर सकते हैं और उनकी सूची रख सकते हैं ; और

(ग) १ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के तथा अन्य वर्गों के कितने उमीदवार, वर्ग-वार, किन तिथियों पर चुने गये थे और वस्तुतः कितने उमीदवारों को नियोजित किया गया था और कितने उमीदवारों के नाम अभी तक तालिका में दर्ज हैं।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) तथा (ख) रेलवे सेवा आयोग उपयुक्त प्रार्थियों की परीक्षा लेते हैं और उन में से अधिक उपयुक्त उमीदवार ढूंढने के लिये उनकी पर्याप्त संख्या से भेंट करते हैं ; ऐसा हो सकता है कि उपयुक्त उमीदवारों की वास्तविक संख्या तात्कालिक अपेक्षा से अधिक हो, किन्तु योग्यता के क्रम में केवल उतने ही उमीदवारों को नौकरियां दी जाती हैं जितनी रिक्ततायें हों। उन्हें इस प्रक्रिया का पालन करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनाज का आयात

†२८२५. { **श्री भगवती :**
श्री बसुमतारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में विभिन्न पत्तनों में आयात किये गये माल में से उपहृत अनाज की मात्रा कितनी थी ;

(ख) १९५७ में माल जमा करने के गोदामों में उपहृत अनाज तथा बोहारन की कितनी मात्रा इकट्ठी की गई थी ; और

(ग) १९५७ में इस प्रकार की मात्रा की कितनी प्रतिशत मात्रा, जो मानव उपभोग के लिये आयोग्य थी, ढोरों के लिये अथवा मुर्गियों आदि की खुराक के रूप में उपयोग के लिये, खाद अथवा मांड बनाने के लिये बेची गई थी और कितनी मात्रा नष्ट की गई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) लगभग ६,५६७ टन।

(ख) लगभग १,१५५ टन।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जिन मात्राओं की ओर निर्देश किया गया है वे नीचे दी जाती हैं:

	टन
(१) ढोर, मुर्गियों आदि को खुराक अथवा खाद	२५४
(२) मांड बनाने के लिये	२,७१५
(३) नष्ट की गई (अर्थात फेंकी गई) . . .	२

ऊपर (क) तथा (ख) में जो मात्रायें दिखाई गई हैं उन के सम्बन्ध में मद संख्या (१) तथा (२) की प्रतिशतता लगभग ३८ १/२ प्रतिशत है।

कृषि तथा खाद्य मूल्यों सम्बन्धी गोष्ठी

†२८२६. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री प्रभात कार : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, १९५८ में दिल्ली में कृषि तथा खाद्य मूल्यों के संबंध में एशियाई गोष्टी हुई थी ; और

(ख) यदि हां तो क्या निर्णय किये गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नई दिल्ली में २१ मार्च, १९५८ से ३ अप्रैल, १९५८ के बीच एशिया तथा सुदूर पूर्व में कृषि मूल्यों तथा आय के आलम्ब तथा स्थायीकरण के लिये नीतियों के संबंध में खाद्य तथा कृषि संगठन एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के केन्द्र की बैठक हुई थी।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३३]**

राज्यों में चावल की वसूली

†२८२७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को अपने राज्यों में चावल की वसूली की रीति तथा ढंग के सम्बन्ध में कोई हिदायतें जारी की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) वर्षा के अभाव के कारण चालू वर्ष में अनाज संबंधी प्राक्कलित मांग कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वर्षा के अभाव के कारण पृथक रूप से अनाज की मांग निर्धारण करना कठिन है।

बरसी रेलवे स्टेशन पर रोशनी की व्यवस्था

†२८२८. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बरसी रेलवे स्टेशन पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में कितनी ही शिकायतें की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने में विलम्ब का कारण क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) बरसी नगर स्टेशन पर उच्च शक्ति के ११ पेटरोमेक्स तथा मिट्टी के तेल के ६ लैम्पों की व्यवस्था की गई है और यह प्रबन्ध पर्याप्त समझा जाता है।

(ख) बरसी नगर स्टेशन पर रोशनी की अपर्याप्तता के संबंध में जनता की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र में धान

†२८२९. **श्री र० ल० रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में काफ़ी मात्रा में धान प्राप्य है और मद्रास नगर तथा मद्रास राज्य की अन्य मंडियों को अपक्रय संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : नेल्लोर ज़िले में धान के पर्याप्त स्टॉक प्राप्य होने का समाचार मिला है और कहा गया है कि हाल ही के सप्ताहों में मद्रास के लिये धान के वहन में कुछ सीमा तक कमी हुई है।

वनस्पति घी का उपभोग

†२८३०. **श्री घोषाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी के राज्यवार लगभग उपभोग के संबंध में सरकार को आंकड़े मालूम हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) तथा (ख). १९५७ में विभिन्न राज्यों में वनस्पति घी के लगभग उपभोग के आंकड़े इस प्रकार थे :—

राज्य	(हज़ार टन में)
आन्ध्र प्रदेश	३.७
आसाम	८.३
बिहार	२१.३
बम्बई	५०.०
केरल	०.८
मध्य प्रदेश	१६.३
मद्रास	९.९
मैसूर	५.०
उड़ीसा	४.०
पंजाब	३९.०
राजस्थान	१३.७
उत्तर प्रदेश	५१.८
पश्चिमी बंगाल	३२.२
दिल्ली	२६.३
हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पांडीचेरी और अन्डमान तथा निकोबार द्वीप	०.३
जोड़	२८२.६

यात्री सुविधायें

†२८३१. श्री म० रा० मुनिस्वामी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ मार्च, १९५८ को दिल्ली के मुख्य स्टेशन से फ्रन्टियर मेल के साथ एक अतिरिक्त वातानुकूलित डिब्बा जोड़ा गया था ;

(ख) यदि हां तो इसका क्या कारण था; और

(ग) उस डिब्बे में कितने यात्रियों ने यात्रा की थी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). अमृतसर–दिल्ली–बम्बई सैन्ट्रल वातानुकूलित डिब्बे में दिल्ली से तीन यात्रियों को जगह देने के लिये दिल्ली से बम्बई सैन्ट्रल तक पहिले ही से स्थान आरक्षित किये गये थे ; परन्तु ग़लती से अमृतसर कर्मचारीवृन्द द्वारा तीन अन्य यात्रियों के लिये उन जगहों का उपयोग किया गया था।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केरल को चावल का भेजा जाना

†२८३२. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५८ से २८ फरवरी, १९५८ तक मद्रास से चावल की कितनी मात्रा केरल भेजी गई थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १ जनवरी, १९५८ से २८ फ़रवरी, १९५८ तक मद्रास के स्टेशनों से २,९७९ मीटर लाइन के माल डिब्बों में और ४ बड़ी लाइन के माल डिब्बों में चावल भर कर केरल के स्टेशनों को भेजा गया था ।

मद्रास में उचित मूल्य वाली दुकानें

†२८३३. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में इस समय उचित मूल्य वाली दुकानों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन में से कितनी दुकानें मद्रास नगर में स्थित हैं ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इस समय चिंगलेपुट, उत्तर आरकोट, सलेम तथा तिरुचिरापल्ली ज़िलों को छोड़ कर मद्रास राज्य के अन्य स्थानों पर ५८६ उचित मूल्य वाली दुकानें खुली हुई हैं । इन ज़िलों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ख) २१० दुकानें ।

रेलवे सुरक्षा बल[1]

†२८३४. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ में दक्षिण रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई कोटा आरक्षित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति चुने गये थे ; और

(ग) रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती के लिये क्या अर्हतायें अपेक्षित हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख)	**अनुसूचित जातियां**	**अनुसूचित आदिम जातियां**
तृतीय श्रेणी	५	२
चतुर्थ श्रेणी	७५	—

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Railway Protection Force.

(ग)

वर्ग	अर्हतायें
सैनिक	१. शिक्षा—साक्षर अवश्य होना चाहिये अर्थात् कम से कम एक प्रादेशिक भाषा आसानी से लिखनी पढ़नी अवश्य आती हो । २. कद—५ फ़ुट ६ इंच होना चाहिये (जिन व्यक्तियों की आयु १८ से २० वर्ष तक के बीच हो उनके लिए ५ फ़ुट ५ इंच की छूट है) ३. छाती—बिना फैलाये ३२ इंच और फैलाकर ३४ इंच होनी चाहिये (१८ से २० वर्ष के बीच की आयु के व्यक्तियों के लिये बिना फैलाये ३० इंच और फैला कर ३२ इंच होने की छूट दी जा सकती है) ४. आयु—१८ से २५ वर्ष के बीच होनी चाहिये (भुतपूर्व सैनिकों के मामले में ३६ वर्ष तक की छट है) पहाड़ी व्यक्तियों को और अन्य वर्गों को विशेष रूप से छट दी गई है और इनका कद ५ फ़ुट ४ इंच से कम नहीं होना चाहिये ।
सब इन्स्पेक्टर (द्वितीय श्रेणी) . . .	१. शिक्षा—किसी अभिज्ञात संस्था से इंटरमीडियेट या उस के बराबर की कोई भी परीक्षा पास की होनी चाहिये । २. कद—५ फ़ुट ६ इंच होना चाहिये पहाड़ी व्यक्तियों तथा अन्य जिन वर्गों को छट दी गई है उनका कद ५ फ़ुट ४ इंच होना चाहिये) ३. छाती—३२ इंच बिना फैलाये । ४. आयु—१९ और २४ वर्ष के बीच होनी चाहिये ।

डाक घर

†२८३५. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के गिंची जिले में कितने डाक-घर गैर सरकारी इमारतों में काम कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : गिची ज़िले में ६३ डाक घर गैर सरकारी इमारतों में काम कर रहे हैं ।

दिल्ली का कलावती शिशु अस्पताल[1]

†२८३६. **श्री रामकृष्ण रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कलावती शिषु अस्पताल में टेलीफोन न लगाये जाने के संबंध में कोई शिकायत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । किन्तु टेलीफ़ोन प्राधिकारियों ने पूर्ववर्तिता आधार पर टेलीफोन लगाने का वचन दिया है ।

तिलहन

†२८३७. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त हुये परिणाम क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में स्थिति स्पष्ट की गई है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या** ३४]

रेलवे कर्मचारियों के अभ्यावेदनों का निबटारा।

†२८३८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे कर्मचारियों से प्राप्त कितने अभ्यावेदन एक वर्ष से अधिक समय से उत्तर रेलवे के मुख्य प्रबंधक तथा विभागीय अधीक्षक के समक्ष लम्बित हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित अभ्यावेदनों की संख्या :—

(१) मुख्य प्रबन्धक ३२

(२) विभागीय अधीक्षक — . जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Kalavati Childern's Hospital.

राष्ट्रीय राजपथ

† २८३९. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में किसी नये राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण किया जायेगा, और

(ख) यदि हां तो, उसका ब्यौरा क्या है ?

† **परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख). अनुमोदित व्यवस्था में किसी नये राष्ट्रीय राजपथ को सम्मिलित करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु हिन्दुस्तान तिब्बत सड़क पर, जिसे पहिले ही राष्ट्रीय राज पथ संख्या २२ के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है, नारकुंडा से परे मोटर चलाये जा सकने योग्य एक सड़क निर्मित करने का कार्य जारी रखा जायेगा और द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किये जाने को आशा है।

राष्ट्रीय राजपथ

† २८४०. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में किसी नये राष्ट्रीय राज पथ का निर्माण किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर कतनी रकम खर्च करने का प्रस्ताव है ?

† **परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख). पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राज पथों की व्यवस्था में किसी नये राष्ट्रीय राजपथ को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु जिन सड़कों को परन्तु पहले ही से राष्ट्रीय राजपथ के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है उन सड़कों पर स्थित नगरों के इर्द गिर्द कुछ उपमार्ग निर्मित करने का प्रस्ताव है। इन कार्यों के प्राक्कलित व्यय की राशि २९.२६ लाख रुपये है ।

डाक तथा तार बिभाग में वरिष्ठ अधीक्षकों के पद[1]

† २८४१. **श्री घोषाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में १९५१ के बाद से वरिष्ट अधीक्षकों के कितने पदों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) इन पदों पर अब तक कुल कितना अतिरिक्त व्यय हुआ है ; और

(ग) कितने और नये पदों की व्यवस्था करने के संबंध में विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Senior Superintendents.

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) दो।

(ख) लगभग ५०,००० रुपये।

(ग) एक ।

भरतपुर को सिंचाई की सुविधायें

२८४२. **श्री पहाड़िया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ओखला के निकट जमुना नदी से एक बड़ी नहर निकाल कर भरतपुर जिले को सिंचाई की सुविधायें देने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर हां में है । पंजाब की गुड़गांव नहर परियोजना के अधीन आगरा नहर के १५वें मील से निकाली जाने वाली नहर, बरसात के मौसम में गुड़गांव जिले की सिंचाई के अतिरिक्त भरतपुर को ५०० क्यूज़क पानी देगी।

(ख) सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की सलाहकार समिति ने अपनी २७-२-५८ की बैठक में इस योजना पर विचार किया और यह निश्चय किया गया कि राजस्थान में सींचे जाने वाले वास्तविक क्षेत्र के बारे में छान बीन की जाय। इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा नहीं हुआ ।

गन्ना

†२८४३. **श्री नारायणस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में कोयम्बटूर के संपरीक्षा केन्द्र में गन्ने के चरी के साथ संकरण के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९२९ में गन्ना अभिजनन संस्था में पहली बार गन्ने तथा चरी में संकरण संबंधी कार्य किया गया था । अफ्रीकी, अमरीकी तथा भारतीय जंगली किस्मों सहित चरी के विभिन्न वर्गों तथा किस्मों का उपयोग कर के कई बार संकरज कार्य किया गया था । इन में से कुछ संकरजों में कई विशुद्ध प्रसंकर प्राप्त किये गये थे जिन में से अधिकांश निम्न उत्पत्ति वाले थे। उन में से जो सर्वोत्तम थे वे भी प्रति एकड़ पैदावार तथा चीनी की मात्रा के मामले में अन्य गन्नों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिये वे वाणिज्यिक स्तर तक नहीं पहुंच पाये थे।

हिमाचल प्रदेश में पशु पालन का विकास

†२८४४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के लिये पशु पालन के विकास और पशुचिकित्सा के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत योजनाओं का क्या स्वरूप है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : योजनाओं का ब्यौरा और उन के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना में किया गया उपबन्ध निम्न प्रकार है :

योजना का नाम	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिकतम उपबन्ध (लाख रुपये में)
१. ढोर अभिजनन	८.४८
२. देशी ढोरों का संकरण	१.३४
३. कुक्कुटादि पालन योजना	२.४६
४. भेड़ अभिजनन योजना	५.७३
५. नये अस्पताल खोलना	४.२९
६. पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा . . .	.२९
७. पशु-महामारी का उन्मूलन	२.६९
८. आधार ग्राम योजना	२.३९
९. नाहन और चम्बा में सहायक पशु-पालन पदाधिकारी के कार्यालय की स्थापना . .	१.२४
१०. रोग अनुसंधान योजना	.४९
११. बकरी अभिजनन योजना	१.३६
कुल . . .	३०.७६

रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

†२८४५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ३०० रुपये प्रति माह से कम मूल वेतन वाले रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस से कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दार्जिलिंग में लेबोंग डाक घर

†२८४६. **श्री मनायन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग में छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत और बड़ी संख्या में चाय बागानों के निकट के लेबोंग डाकघर को बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां। २४-६-५७ से अस्थायी रूप से।

(ख) इमारत के ठीक ऊपर पहाड़ों में एक बड़ी दरार पड़ जाने के कारण विभागीय इमारत को, जिस में डाकघर स्थित था, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा गैर-सुरक्षित घोषित कर दिया गया था और डाकघर स्थापित करने के लिये कोई और उपयुक्त इमारत किराये पर प्राप्त न की जा सकी। तथापि डाकघर को दुबारा खोलने के लिये किराये पर एक इमारत प्राप्त करने के प्रयत्न जारी हैं।

पंजाब में फलों का उत्पादन

†२८४७ { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री हेमराज :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ के लिये पंजाब में फलोत्पादन के विकास के लिये बनाई गई योजना का क्या स्वरूप है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी सहायता दी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पंजाब में फलोत्पादन के विकास की योजना १९५७-५८ से चालू है। फल उत्पादकों को नये फलोद्यान लगाने के लिये और पुराने फलोद्यानों की कायाकल्प करने के लिये क्रमशः ३०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दीर्घकालीन ऋण और १५ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं।

योजना को क्रियान्वित करने के लिये और फल उत्पादकों को प्रविधिक परामर्श देने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों पर खर्च का ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

(ख) योजना आयोग के कार्यकारीवर्ग (वर्किंग ग्रुप) ने १९५८-५९ के लिये दीर्घकालीन ऋण के रूप में ९ लाख रुपये और राजसहायता के रूप में ७ लाख रुपये आवंटित किये हैं। सब राज्यों के लिये अल्पकालीन ऋण के रूप में भी ३ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

ऋण और राजसहायता की ठीक धनराशि का पंजाब सरकार से १९५८-५९ के लिये सविस्तार योजनाओं के प्राप्त होने पर पता लगेगा।

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२८४८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में उत्तर रेलवे में रेल कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे; और

(ख) १९५८-५९ के लिये इस रेलवे में कितनी धनराशि का खर्च किया जाना मंजूर किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २५८६।

(ख) लगभग ७० लाख रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

लसूर और ऐलोरा स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना

†२८४९. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ मार्च, १९५८ को नं० ८०८ अप माल गाड़ी लसूर और ऐलोरा स्टेशनों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या कारण था ; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) ८-३-५८ को प्रात: लगभग ३ बज कर ५० मिनट पर जब नं० ८०८ अप मालगाड़ी लसूर और एलोरा रोड स्टेशनों के बीच जा रही थी, इंजन से १८वां माल डिब्बा ५४/७–८ मील पर पटरी से उतर गया। उस के फलस्वरूप गाड़ी के १५ अन्य डिब्बे भी पटरी से उतर गये और उलट गये।

(ख) १८वां माल डिब्बा, माल डिब्बे में रखे चीनी पीसने के रोलर (शूगर क्रशर रोलर) के एक ओर हट जाने के कारण पटरी से उतरा जोकि अच्छी तरह से नहीं रखा गया था।

(ग) ९२,६५० रुपये।

राज्यों में भूमि का कटाव

†२८५०. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि के कटाव से कौन कौन से राज्य अधिक प्रभावित हुए हैं ;

(ख) उन में से किन-किन राज्यों ने इस सम्बन्ध में विधान तैयार कर लिया है ; और

(ग) १९५८-५९ में राज्यों को भू-संरक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार कितना अनुदान दिये जाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) भूमि के कटाव से सब से अधिक प्रभावित राज्य ये हैं : आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और संघ-राज्य-क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, जम्मू तथा काश्मीर और पश्चिमी बंगाल के भी कुछ भाग प्रभावित हुए हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश द्वारा उचित विधान बना लिये गये हैं। अन्य राज्यों में विषय विचाराधीन है।

(ग) विभिन्न राज्यों को अस्थायी रूप से दिया जाने वाला अनुदान निम्न प्रकार है :

राज्यों के नाम	पये लाखों में
१. आन्ध्र प्रदेश	६.६६
२. आसाम	१.१५
३. बिहार	९.२७
४. बम्बई	२८.७८
५. जम्मू तथा काश्मीर	२.६५

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों के नाम	रुपये लाखों में
६. केरल	०.५६
७. मद्रास	३.७८
८. मध्य प्रदेश .	८.१८
९. मैसूर	८.४१
१०. उड़ीसा	५.८९
११. पंजाब	३.४४
१२. राजस्थान .	२.४८
१३. पश्चिमी बंगाल	२.७७
१४. उत्तर प्रदेश	४.५९
१५. दामोदर घाटी निगम .	४.३०*
कुल	९३.००

*योजना आयोग द्वारा अनुमोदित करने पर

संघ राज्य-क्षेत्रों में खर्चा क्षेत्रीय बजट में से पूरा किया जायेगा ।

रेलवे में पदोन्नतियां

†२८५१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे 'कैरिज और वैगन' शाखा के पढ़े लिखे अकुशल श्रमिकों के जल्दी-जल्दी अर्ध-कुशल पदाली में पदोन्नत किये जाने और फिर बाद में उन्हें ट्रेन एग्ज़ामिनर्स के कोर्स में प्रशिक्षण दिये जाने की आज्ञा देती है ; और

(ख) क्या ऐसी ही सुविधायें अन्य भारत सरकार के रेलवे में भी दी जाती हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

†२८५२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास परियोजना क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने के लिये पंजाब सरकार को कोई धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने दान की मंजूरी की गई है ; और

(ग) किन स्थानों पर प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की योजनायें

२८५३. **श्री ब० प्र० सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी सिंचाई योजनायें पूरी हो जायेंगी ;

(ख) उन योजनाओं के नामों की सूची क्या है और उन में से प्रत्येक योजना से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होगी ; और

(ग) उन पर कितना व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जिन योजनाओं के पूरे होने की आशा है उन की संख्या २३५ है ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३५**] इन योजनाओं पर कुल ४३५.१४ करोड़ रुपये व्यय होंगे और पूरा होने पर इन से १४०.३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

उड़ीसा में उचित मूल्य वाली दुकानें

†२८५४. **श्री कुम्भार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १४ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में किन स्थानों पर उचित मूल्य वाली दुकानें स्थित हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्रास में चीनी के सहकारी कारखाने

†२८५५. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार को राज्य में चीनी के सहकारी कारखाने स्थापित करने के लिये अब तक कोई धन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना धन दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी, हां । केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास सरकार को चीनी के तीन सहकारी कारखानों की अंश-पूंजी में अंशदान के लिये अब तक ३५ लाख रुपये की राशि दी गई है जिस का विवरण नीचे दिया गया है :—

(१)	उत्तर अर्काट कोआपरेटिव शुगर मिल्स, वेल्लौर, जिला उत्तर अर्काट	१० लाख रुपये
(२)	अमरावती कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटिड, उदमलपेट, जिला कोयम्बटूर . . .	१५ लाख रुपये
(३)	मदुरान्तकम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटिड, मदुरान्तकम, जिला चिनालपेट .	१० लाख रुपये

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

†२८५६. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास परियोजना क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिये मद्रास सरकार को कोई धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां तो कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ग) किन स्थानों पर प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक १८,०२,२८० रुपये मंजूर किये हैं ।

(ग) सभा पटल पर एक सूची रखी जाती है जिस में उन स्थानों के नाम दिये गये हैं जहां प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३६]**

हिमाचल प्रदेश में गोशाला विकास योजना

†२८५७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५८-५९ में हिमाचल प्रदेश में गोशाला विकास योजनाओं के सम्बन्ध में कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ख) इस निधि की सहायता से क्या कार्य किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५७-५८ में हिमाचल प्रदेश में कोई गोशाला विकास योजना मंजूर नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में पशु प्रदर्शनी

†२८५८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में अब तक कितनी पशु प्रदर्शनियां की गई हैं ;

(ख) ये पशु प्रदर्शनी किन स्थानों पर की गईं ;

(ग) इन प्रदर्शनियों में किस प्रकार के इनाम दिये गये ; और

(घ) उन पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर, १९५७ में अखिल भारतीय पशु प्रदर्शनी समिति द्वारा आयोजित एक प्रादेशिक पशु प्रदर्शनी चम्बा में की गई । प्रदर्शनी पर कुल लागत ७६,१२५ रुपये आई । चैलेंज कप और मिनियेचरों के अतिरिक्त १४,५९५ रुपये के नकद इनाम दिये गये ।

इसके अतिरिक्त प्रशासन ने भी कुछ पशु प्रदर्शनियों आयोजित कीं । इन के बारे में प्रशासन से जानकारी प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन

†२८५६. { **श्री दलजीत सिंह :**
श्री चुनी लाल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को संतति-निग्रह के लिये एक औषधि 'स्टोपोकेन'[1] का नमूना प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस को परिवार नियोजन केन्द्रों में प्रयोग करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) स्टोपोकेन के नमूने की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस औषधि में क्या क्या चीजें हैं और यह किस सीमा तक प्रभावी और हानिरहित है ।

यदि इसे संतोषजनक पाया गया तो इस को परिवार नियोजन केन्द्रों द्वारा प्रयोग के लिये सिफारिश की गई गर्भरोधक-सामग्रियों की अनुमोदित सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

रेलवे के इंजन तथा डिब्बे

†२८६०. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर रेलवे के कांगड़ा वैली सैक्शन में कितने माल-डिब्बे, सवारी-डिब्बे और इंजन चालू हालत में हैं ; और

(ख) कितने क्षतिग्रस्त हालत में हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

माल-डिब्बे	६३
सवारी-डिब्बे .	५४
इंजन	१७

(ख) कोई भी नहीं । निम्नलिखित कारखानों में नियत कालिक 'ओवरहाल' किया जा रहा है :

माल डिब्बे . . .	६
सवारी डिब्बे . .	६
इंजन .	२

मनीपुर में पशु गणना

†२८६१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में की गई पशु गणना पूरी हो गई है और मनीपुर प्रशासन द्वारा विवरणी भेज दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Stopocane

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इस कार्य पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५६ में इकट्ठे किये गये आंकड़ों में पशुधन और कुक्कुटादि की संख्या सम्मिलित है : इस के अन्तर्गत आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

(१) ढोर	संख्या
३ वर्ष से ऊपर के नर . . .	९०,८५३
३ वर्ष से ऊपर की मादा . .	९६,०५२
बच्चे	८०,८१७
कुल . .	२,६७,७२२
(२) भैंसें	
३ वर्ष से ऊपर के नर	१३,२०८
३ वर्ष से ऊपर की मादा .	२२,८४८
बच्चे . . .	१६,२३९
कुल	५२,२९५
(३) भेड़ें . . .	१,५७८
(४) बकरे, बकरियां .	१२,६२१
(५) घोड़े और टट्टू . .	२१३
(६) सूअर	८२,२९८
कुल पशुधन . .	४,१६,७२७
(७) मुर्गे मुर्गी इत्यादि	
(क) कुक्कुटादि . . .	७,४२,७६०
(ख) बत्तखें . . .	३०,६८१
(ग) अन्य . . .	१२,०६८
कुल	७,८५,५०९

५,२०८ रुपये ४४ नये पैसे खर्च किये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे में आरक्षण सम्बन्धी सुविधाएं[1]

†२८६२. **श्री आसर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता-बम्बई मेल में बरास्ते नागपुर विरामगांव के लिये एक डिब्बा लगाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस डिब्बे में यात्रियों द्वारा स्थान आरक्षित कराये जाने की व्यवस्था है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यात्रियों द्वारा स्थान आरक्षित कराये जाने की सुविधा दी जाने के लिये कई अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां; विरामगांव और हावडा के बीच गाड़ी में तीसरे दर्जे का एक सीधा डिब्बा लगाया जाता है ।

(ख) हावड़ा में यात्री यात्रा आरम्भ करने के ४८ घंटे पहले स्थान आरक्षित करा सकते हैं और इस प्रयोजन के लिये तीसरे दर्जे की २५ सीटें अलग रखी जाती हैं ।

१-५-१९५८ से विरामगांव से भी तीसरे दर्जे की ३० सीटें के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) ऐसी कुछ प्रार्थनायें प्राप्त हुई थीं ।

(ङ) जैसाकि उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है, आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था अब कर दी गई है ।

कोटा रेलवे स्टेशन पर दर्ज शिकायत

२८६३. **श्री डामर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५८ से अब तक पश्चिम रेलवे के कोटा स्टेशन पर रखी हुई शिकायत पुस्तिका में कितनी शिकायतें दर्ज की गईं ; और

(ख) कितने शिकायत करने वालों को उन की शिकायतों को निबटाने के बाद सूचना दी गई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १६; इन में माल गोदाम की शिकायत की किताब में दर्ज शिकायतें भी शामिल हैं ।

(ख) ११ शिकायतों को निबटा कर शिकायत करने वालों को अन्तिम उत्तर दिया जा चुका है ; एक शिकायत वापस ले ली गई ; एक शिकायत का उत्तर नहीं दिया जा सका क्योंकि शिकायत करने वाले का पता मालूम नहीं था; बाकी ३ शिकायतों की जांच अभी की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Reservation facilities on Railways.

टेलीफोन

२८६४. श्री डामर : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश के कितने स्थानों में टेलीफोन लगाने का विचार है ; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३७]**

टेलीफोन के कनैक्शन

†**२८६५. श्री मनायन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग और सिलीगुडी में टेलीफोन के कनैक्शनों के लिये पर्याप्त संख्या में आवेदनपत्र बहुत समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दार्जिलिंग के बाहरी क्षेत्रों में टेलीफोन के कनैक्शन बहुत अधिक किराया (रेंट) दिये जाने पर ही दिये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) दार्जिलिंग और सिलीगुडी जिलों में ३३० आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ।

(ख) टेलीफ़ोन एक्सचेंजों में अतिरिक्त क्षमता की कमी ।

(ग) दार्जिलिंग में एक्सचेंजों से ३ मील के भीतर लगे टेलीफोनों पर २८८ रुपये प्रति वर्ष लिया जाता है ।

३ मील से अधिक और ४ मील से कम के फासले के लिये ३६ रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक आधा मील या उस के भाग के लिये अतिरिक्त लिया जाता है। ४ मील से अधिक के फासले के लिये किराया विशेष दर पर लिया जाता है जो कनैक्शन देने में आई लागत के आधार पर फैलाया जाता है ।

(घ) साधारणतः, एक एक्सचेंज के क्षेत्र में टेलीफोन के कनैक्शन ३ मील के भीतर या अधिकतम ४ मील के भीतर ही रहते हैं । कनैक्शन देने में हुई निर्माण लागत बंट जाती है । अतः एक्सचेंज से ४ मील के फासले तक की दरें औसत आधार पर निश्चित की गई हैं । अधिक फासले के स्थानों पर अलग अलग ग्राहकों के लिये विशेष निर्माण करना पड़ता है और किसी विशेष कनैक्शन के लिये हुए खर्चे के अनुसार ही किराया निश्चित करना पड़ता है ।

रेलों में भ्रष्टाचार

२८६६. श्री लच्छीराम : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५८ को रेलों में भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कितने व्यक्ति लगे हुए थे और उन के वेतनों तथा भत्तों, आदि के रूप में कितना वार्षिक व्यय हुआ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७-५८ में इस विभाग ने भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े ;

(ग) उन में से कितने अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये ;

(घ) कितने मामलों में अपराधियों को सजा हुई ;

(ङ) कितने व्यक्ति अदालत द्वारा छोड़ दिये गये ;

(च) कितने मामले अब भी अदालतों में विचाराधीन हैं ; और

(छ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में बताये गये मामलों में से कितने मामले अधिकारियों द्वारा स्वयं पकड़े गये तथा कितने दूसरों की सूचना पर पकड़े गये ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) ३४३ आदमी लगे हुए थे जिन पर सालाना खर्च ८,३३,५७३ रुपये हुआ ।

(ख) २५८८

(ग) ५०

(घ) २२

(ङ) १

(च) २७

(छ) २१७६ मामले दूसरों की सूचना पर पकड़े गये ।

उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें

२८६७. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार की किन किन चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने की फसल खड़ी है ;

(ख) गन्ने की खड़ी फसल की पेराई कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(ग) क्या ८ मई, १९५८ से पहले गन्ने की खड़ी फसल की पेराई को पूरा करने के कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश और बिहार की निम्नलिखित १३ चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने की फसल खड़ी है : पेराई समाप्ति की सम्भावित तारीख प्रत्येक के सामने अंकित है :

१. उत्तर प्रदेश

१. गोलागोकरननाथ	२८–४–१९५८
२. मुहीउद्दीनपुर	२८–४–१९५८
३. पिपराइच	३०–४–१९५८
४. बुढ़वाल	१–५–१९५८
५. सिम्भावली	२–५–१९५८
६. पीलीभीत	४–५–१९५८
७. डोईवाला	५–५–१९५८
८. काशीपुर	१०–५–१९५८

---

†मूल अंग्रेजी में

९. शामली	१२–५–१९५८
१०. बहेडी	१५–५–१९५८

२. बिहार

१. बघा .	२८–४–१९५८
२. हरीनगर	३०–४–१९५८
३. चनपटिया	३–५–१९५८

(ग) केवल तीन मिलें, यानी काशीपुर, शामली और बहेडी—८ मई के कुछ दिन बाद तक पेराई जारी रखेंगी । मिलें पूरे जोर से अपना कार्य कर रही हैं अतः इस ओर और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(१) जी० एस० आर० संख्या २१७, दिनांक ७ अप्रैल, १९५८ ।

(२) पंजाब चावल (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली जी० एस० आर० संख्या २१८, दिनांक ८ अप्रैल, १९५८ ।

(३) अमृतसर और गुरदासपुर जिला चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या २१९, दिनांक ८ अप्रैल, १९५८ ।

(४) बम्बई गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या २४१, दिनांक १५ अप्रैल, १९५८ ।

(५) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या २४२, दिनांक १५ अप्रैल, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—६७४/५८]

प्राक्कलन समिति

सोलहवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन

†**श्री मुरारका** : (झुंझनू) : प्राक्कलन समिति के सभापति की ओर से, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(१) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, पुरातत्व और मानव-विज्ञान विभाग, संग्रहालय आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी और राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के सम्बन्ध में शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय पर सोलहवां प्रतिवेदन ।

(२) योजना आयोग के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक लेखा समिति

चौथा प्रतिवेदन

†श्री त्रि० ना० सिंह (चन्दौली) : मैं विनियोग लेखे (रेलवे), १९५४-५५ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५६ के बारे में लोक लेखा समिति का चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आप की हिदायत के मुताबिक, आप की अनुमति से, मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि सोमवार, २८ अप्रैल से, आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :

१. आज के कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट पद पर विचार ।

२. निम्नलिखित पर विचार और उन्हें पारित करना :
बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक,
हैदराबाद प्रतिभूति संविदा विनियमन (निरसन) विधेयक,
भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक,
केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक,

३. वर्ष १९५४-५५ के लिये अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य आय-व्ययक) पर चर्चा तथा मतदान ।

४. निम्नलिखित पर विचार और उन्हें पारित करना :
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक,
चावल कुटाई उद्योग (विनियमन) विधेयक,
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक ।

५. निम्नलिखित विषयों पर भी उल्लिखित तिथियों को उक्त समय पर चर्चा होगी :

१. श्री दीवान चन्द शर्मा द्वारा सोमवार, २८ अप्रैल, को ३.०० म० प० बजे एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड की वर्ष १९५६-५७ की वार्षिक रिपोर्ट ।

२. श्री हरिश्चन्द्र माथुर तथा अन्य सदस्यों द्वारा मंगलवार, २९ अप्रैल को ४ म० प० बजे एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर दिसम्बर, १९५३ से मार्च, १९५७ तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट ।

३. श्री मोहम्मद इमाम द्वारा बुधवार, ३० अप्रैल, को ४.०० म० प० बजे एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर कोलार के सोने के क्षेत्र और खानों के राष्ट्रीयकरण पर दिये जाने वाले प्रतिकर सम्बन्धी तदर्थ समिति की रिपोर्ट ।

४. श्री वें० प० नायर तथा अन्य सदस्यों द्वारा गुरुवार, १ मई, को ४.०० म० प० बजे एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर दिनांक ४ मार्च, १९५८ का भारत सरकार का वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*केन्द्रीय बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक

†**आर्थिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं प्रस्ताव करती हूं कि केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं ।

भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक

†**आर्थिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं ।

कार्य मंत्रण-समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से, जो २५ अप्रैल, १९५८ को सभा में उपःस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से, जो २५ अप्रैल, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय शपथ अधिनियम, १८७३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक केवल एक लाइन का है जिसमें भारतीय शपथ अधिनियम की धारा १९ का निरसन करने की व्यवस्था की गई है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। भारतीय शपथ अधिनियम की धारा १९ इस प्रकार है :—

"धारा ३ तथा ५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति से, अपने पद का कार्य आरम्भ करने से पूर्व शपथ लेने, अथवा प्रतिज्ञान करने के लिये नहीं कहा जायेगा ।"

इस उपबन्ध निरसन की आवश्यकता इस प्रकार हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर, उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा से एक प्रथा अपनाई गई थी जिसके अनुसार पूरे समय काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों ने निर्धारित कार्य पर निष्ठा की शपथ ली थी। १४ अगस्त, १९४७ के पश्चात् प्रथम दिन शपथ ली गई थी उस समय शपथ की शब्दावलि इस प्रकार थी :

"मैं.........शपथ लेता हूं कि मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे ।"

इससे पहले शपथ केवल कुछ पदाधिकारियों को दिलाई जाती थी, संभवतया केवल उन पदाधिकारियों को जिनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा स्वयं अथवा उन की ओर से की जाती थी। उस शपथ की शब्दावलि इस प्रकार थी :

"मैं तत्र महान सम्राट जार्ज षष्ठ, भारत सम्राट, तथा विधि के अनुसार उनके उत्तराधिकारियों के प्रति श्रद्धा तथा निष्ठा रखूंगा, आदि ।"

इस नई शपथ से सभा ने देखा होगा कि सम्राट के स्थान पर भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की व्यवस्था की गई है। बाद में यह निर्णय किया गया कि सरकारी सेवाओं में नियुक्त होने वाले सभी नये व्यक्तियों को इसी प्रकार की शपथ लेनी चाहिये और इसे नियुक्ति की एक शर्त माना जाये। १९५२ में इस शपथ में कुछ परिवर्तन कर दिया गया और उसकी शब्दावलि इस प्रकार करदी गई है :—

"मैं.......शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा अपने पद सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन निष्ठा, ईमानदारी तथा निष्पक्षता से करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे।"

---

†मूल अंग्रेजी में

जो विदेशी भारत सरकार के अधीन काम करते हैं उनकी शपथ में कुछ अन्तर है। उसकी शब्दावलि इस प्रकार की है :—

> "मैं अमुक देश का नागरिक, जो अस्थाई रूप से रह रहा हूं तथा भारत सरकार के अधीन एक पद पर नियुक्त हूं, शपथ लेता हूं और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि अमुक राज्य के प्रति श्रद्धा तथा निष्ठा के अतिरिक्त, मैं अपनी सेवा विधि में भारत के प्रति तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा तथा अपने कर्त्तव्यों का पालन निष्ठा, ईमानदारी तथा निष्पक्षता से करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे।"

लगभग दस वर्ष से यही प्रथा चली आ रही है। मुझे खेद है कि भारतीय शपथ अधिनियम की धारा १६ पर अब तक ध्यान नहीं गया था।

अब, भारत सरकार का विचार शपथ दिलाने की व्यवस्था चालू रखने का है। जैसा कि सभासद् जानते हैं कि निष्ठा की शपथ राज्य के उच्चतम पदाधिकारियों को दिलाई जाती हैं। उदाहरणत: अनुच्छेद ६० के अधीन राष्ट्रपति, अनुच्छेद ६९ के अधीन उप राष्ट्रपति, अनुच्छेद ७५ (४) के अधीन संघ के मंत्री, अनुच्छेद ९९ के अधीन संसद् सदस्य, अनुच्छेद १२४ (६) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अनुच्छेद १५९ के अधीन राज्यों के राज्यपाल तथा अनुच्छेद २१९ के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। इसलिये राज्य के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये जो व्यवस्था उचित मानी गई है वह सरकारी कर्मचारियों के लिये भी, चाहे वे कुछ निम्नस्तर के हों, उचित ही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें ऐसा एक खण्ड क्यों नहीं रख दिया जाता कि अमुक व्यक्तियों को शपथ लेनी होगी। धारा ५ में दिया है कि गवाहों आदि को शपथ दिलाई जायेगी। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित वर्गों के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जायेगी।

†**श्री हजारनवीस** : आपका सुझाव बहुत उत्तम है और इस धारा के निकाल दिये जाने के पश्चात् जब कभी इसके पुनरीक्षण का प्रश्न आयेगा हम इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

हमने इसका पता लगाने का प्रयत्न किया कि पहले अधिनियम में धारा १६ को क्यों रखा गया था परन्तु जो तर्क उस समय के विधि मंत्री श्री हौबाडस ने दिये वह संतोषजनक नहीं थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा था कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव के पश्चात् यह खण्ड जोड़ा गया था, क्योंकि मद्रास के न्यायालयों ने इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया था। उन्होंने इस विषय पर समिति के विचारों को बताया था और यह स्पष्ट किया था कि ब्रिटिश बर्मा के न्यायिक पदाधिकारियों के मामले में सब प्रकार की उद्घोषणायें हटा दी गई थीं। उन्होंने आगे बताया कि मद्रास में भी ऐसा ही किया गया। यदि यह सिद्धान्त भारत के उन भागों के लिये उचित हो सकता है तो शेष देश के लिये भी ठीक होगा। और जो सिद्धान्त न्यायिक अधिकारियों के लिये ठीक हो सकता है वह अन्य अधिकारियों के लिये भी ठीक होगा। इसलिये उनकी यह धारणा थी कि इस प्रश्न पर बहुत कम मतवैभिन्य होगा। यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया कि विधेयक द्वारा थोड़ा सा परिवर्तन ही किया जा रहा है। विधेयक की पुर:स्थापना के समय उस समय के विधि मंत्री ने केवल यही कारण बताया था कि इसको समस्त भारत में समानता लाने के लिये लागू किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अजीब सी बात है कि न्यायिक पदाधिकारी शपथ न लें। जब वह दूसरों को शपथ दिलाता है तो स्वयं क्यों छटा रहे।

†**श्री हजारनवीस** : ऐसा ही है। मेरा विश्वास है कि वर्तमान नियमों के अधीन उन्हें भी शपथ लेनी होती है। परन्तु जैसा आपने बताया ऐसा कार्यपालिका निदेशों के अधीन किया जाता है, किसी संविहित उपबन्ध के अधीन नहीं।

सरकार का विचार है कि शपथ दिलवाना एक उचित व्यवस्था ही है। तथा उसको रखा जाना चाहिये। शपथ लेने से हृदय में एक पवित्र भावना आ जाती है। विवाह आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर लोग शपथ लेते हैं, जिससे अवसर की गंभीरता बढ़ती है। इसलिये सरकार का विचार है कि धारा १६ का निरसन कर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय शपथ अधिनियम, १८७३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ तथा २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ तथा २, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री हजारनवीस** । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराधी परिवीक्षा विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब अपराधी परिवीक्षा विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में चर्चा होगी। सभा जानती है कि इसके लिये आठ घंटे आवंटित किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनका आवंटन किस प्रकार किया जाये।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व-खानदेश) : मेरा सुझाव है कि सामान्य चर्चा के लिये पांच घंटे तथा संशोधनों और तृतीय वाचन के लिये ३ घंटे रखे जाने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि अपराधियों को परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी देने के बाद उन्हें रिहा करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

---

† मूल अंग्रेजी में

यह विधेयक सभा के समक्ष आ चुका है तथा अपराधियों को परिवीक्षा के सिद्धान्तों पर संयुक्त समिति में इस पर पर्याप्त विचार किया जा चुका है। अपराधियों की परिवीक्षा का विषय इस देश में या किसी अन्य प्रगतिशील देश में नया विपय नहीं है। इस देश में हम अपराधी परिवीक्षा पर १९३१ से विचार कर रहे हैं। १९३१ से इस पर चर्चा किये जाने के पश्चात् अन्त में केन्द्र ने यही निर्णय किया कि राज्य स्वयं इसको लागू कर लें और उसी के परिणामस्वरूप भारत के कई राज्यों ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम बना लिये। परन्तु अब हमने यह निर्णय कर लिया है कि इस अधिनियम को केन्द्रीय अधिनियम के रूप में लागू किया जाये ।

विधेयक की क्रियान्विति स्वविवेक पर निर्भर है तथा इसीलिये यह विभिन्न राज्यों में विभिन्न तिथियों को लागू होगा। सभा जानना चाहेगी कि ऐसा क्यों है; ऐसा इस कारण से है कि परिवीक्षा की व्यवस्था बड़ी उलझन वाली है और निश्चय ही इसका कार्यवहन राज्यों पर ही छोड़ा जायेगा। इसलिये हमें उन्हें स्वविवेक का अधिकार देना पड़ा है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६२ के अनुसार परिवीक्षा दी जाती है। बाद में हमने धारा ५६२ (क) इसमें और जोड़ दी जिसके अनुसार प्रथम अपराधियों को तथा २१ वर्ष से कम आयु वालों के लिये परिवीक्षा की व्यवस्था की गई। यह विधान केवल वर्तमान सुधारकों के विचारों के आधार पर ही नहीं लाया गया है; इनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ के अपराध विज्ञान विशेषज्ञ, डा० रैकलैस ने जो भारत आये थे, अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया है कि भारतीय जेलों, हवालातों, आदि में जिन बन्दियों से वह मिले और उन्होंने देखा कि वे लोग अच्छे खासे सामान्य प्रकार के व्यक्ति थे। उनका विचार है कि पुलिस तथा न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को जेल में भेज देते हैं जो जेल के बाहर वाले व्यक्तियों से भिन्न नहीं होते। उनका कहना है कि अन्य देशों में यह बात नहीं है। भारत के जेलों में जिन लोगों से विशेषज्ञ मिले उनका विशेषज्ञ पर अच्छा प्रभाव पड़ा।

जब हमारे विशेषज्ञों तथा विदेशी विशेषज्ञ की यह अनुमति है तो इसको केन्द्रीय अधिनियम बनाना आवश्यक ही हो गया था।

विश्व का दृष्टिकोण बदल रहा है कि अपराधी को ठीक करने के लिये दण्ड देने के स्थान पर उसका सुधार करना वांछनीय है। किसी भी राज्य को अपराधी को गुलाम बना कर नहीं रखना चाहिये अपितु अपने को उसका अभिभावक समझना चाहिये। इसलिये हमारा विचार है कि जब अच्छे नागरिक हमारी जेलों में हैं तब हमें उन्हें समाज में पुनर्वासित कराने का प्रयत्न क्यों नहीं करना चाहिये। इसलिये हमने तथा संयुक्त समिति ने इसमें निहित सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। मुख्य समस्या यह है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम को किस प्रकार लागू किया जाये। इसी की बड़ी आलोचना हुई है कि हम इन परिवीक्षकों को बिना किसी दण्ड के जो छोड़ेंगे तो यह समाज में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर देंगे। मैं इन आलोचकों को बता देना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है। हमारी जेलों में आज बड़ी शीघ्रता से सुधार हो रहा है और हमारे जेल लोगों को पुनर्वासित करने योग्य होते जा रहे हैं। सभा को यह समझना चाहिये कि सभी अपराधी परिवीक्षक नहीं बना दिये जायेंगे। यदि आप अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का विभिन्न राज्यों में संचालन देखें तो पता लगेगा कि बन्दी पर लगातार ध्यान दिया जाता है जिससे वह जेल से छटने के पश्चात् अपने को निस्सहाय न समझे। हम चाहते हैं कि देश में इस प्रगतिशील विधेयक की क्रियान्विति करें और पहली बार तथा दूसरी बार के अपराधियों को सुधारने का अवसर दें। परन्तु यह अवसर किस प्रकार दिया जाये यही प्रश्न है।

[श्रीमती आल्वा]

हम परिवीक्षा पदाधिकारी नियुक्त करेंगे जो न्यायालय तथा बन्दी के बीच एक कड़ी के रूप में होंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि किन कारणों, परिस्थितियों और वातावरण के परिणामस्वरूप उसने अपराध किया। इस विधेयक में हम सीमित रूप में उपबन्ध कर रहे हैं; उन्हीं को परिवीक्षा दी जायेगी जो छोटे छोटे अपराध करेंगे। हमारा विचार बड़े अपराधों में परिवीक्षा पर लोगों को छोड़ने का नहीं है। परिवीक्षा का अर्थ है "निलाम्बित कारावास', अर्थात् उसको परिवीक्षा पर्याप्त पदाधिकारी अथवा जमानती, अथवा ऐसे अभिकर्त्ता की देखरेख में रखा जायेगा जो उसकी सहायता कर सकेगा तथा उसको अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न करेगा, यह परिवीक्षा किसी समय भी रद्द की जा सकती है। जो परिवीक्षक अच्छा व्यवहार न करेगा उसको न्यायालय परिवीक्षा रद्द करके कारावास में भेज सकेगा। इसलिये जो लोग यह समझते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं तथा अपराधियों के प्रति उदारता बरत रहे हैं ठीक नहीं सोचते हैं। हम उन बहुत से अपराधियों को पुनर्वासित करना चाहते हैं जिन्होंने सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति और अन्य कठिनाइयों के कारण अपराध किया हो। इसलिये हमने यह व्यवस्था रखी है कि भारतीय दण्ड संहिता की कुछ धाराओं के बारे में ही न्यायालय, परिवीक्षा की अनुमति देगा।

संयुक्त समिति ने मुख्य विधेयक में अधिक परिवर्तन नहीं किये हैं केवल 'दंडित' के स्थान पर 'दोषी पाया गया' शब्द रखे हैं जो मेरे विचार से आधुनिक भावना, मनोविज्ञान, और मानवी दृष्टिकोण के अनुकूल हैं। आज जब छोटे से अपराध पर दंडित होने पर लोग जेल में जाते हैं, तो लौटने पर वे बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं क्योंकि समाज उनका बहिष्कार कर देता है और वे पुनर्वासित नहीं हो पाते। हमारा विचार इस कठिनाई को दूर करने का है जिससे हम ऐसे लोगों को पुनर्वासित कर सकें।

जहां तक आयु का प्रश्न है संयुक्त समिति ने इसे दो वर्गों में विभाजित किया है, एक २१ वर्ष से कम और दूसरा २१ से अधिक। हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहली बार अपराध करने वाले के साथ व्यवहार में और बार बार अपराध करने वाले तथा २१ वर्ष से अधिक आयु वाले के साथ किये जाने वाले व्यवहार में अन्तर होगा। हम ने खण्ड ५ तथा ७ में परिवर्तन किये हैं जिससे विधि स्पष्ट हो जाये। नियम बनाने के अधिकार तथा परिवीक्षा पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व राज्यों का होगा।

माननीय सदस्यों ने इस बात पर भी संदेह व्यक्त किया है कि परिवीक्षा का काम कौन लोग करेंगे। हम ऐसे पुरुष तथा स्त्रियों को क्यों न ढूंढें जो सेवा-भाव से लोगों को सुधारने का काम करें, और स्वयं शारीरिक एवं मानसिक दृष्टिकोण से हृष्ट-पुष्ट हों। मूल खण्ड ७, खण्ड ५ के एकदम बाद रख दिया गया है जिससे सुविधा और स्पष्टता रहे। मूल खण्ड ११ को खण्ड १३ बना दिया गया है जिसमें जिलाधीश द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के पालन की व्यवस्था की गई है।

मैं समझती हूं कि यह एक बड़ा प्रगतिशील विधेयक है तथा आशा करती हूं कि सभा संयुक्त समिति से वापस आये इस विधेयक को स्वीकार कर लेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । संयुक्त समिति ने इस में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं । जिनकी ओर मंत्री महोदय ने हमारा ध्यान आकृष्ट करवाया है । खंड ३ में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी व्यक्ति को एक बार अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया है तो दोबारा अपराध करने पर उसे इस उपबन्ध का लाभ नहीं दिया जायेगा । खंड ६ में व्याख्या की गयी है कि परिवीक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय केवल इस प्रश्न पर विचार करेगा कि अभियुक्त को खंड ३ अथवा ४ के अन्तर्गत रखा जाय अथवा नहीं । उसको दी जाने वाली सजा के प्रश्न पर परिवीक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर विचार नहीं किया जायेगा । इस सम्बन्ध में जो भ्रांति थी वह दूर कर दी गयी है । खंड ७ में व्यवस्था है कि अभियुक्त को परिवीक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन का सारांश बता कर उसे सम्बद्ध मामले के संबंध से साक्ष्य उपस्थित करने का अवसर दिया जायेगा । इस से अभियुक्त परिवीक्षा अधिकारी के पक्षपातपूर्ण प्रतिवेदन के प्रभाव से बच सकता है । खण्ड १८ में कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के अपराध में यह रियायत नहीं दी जायेगी । अपराधिक कदाचार के मामलों में भी उन्हें इस विधेयक के उपबन्धों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : यह विधेयक सब व्यक्तियों पर लागू होगा । केवल उन पर नहीं लागू होगा जिन के अपराध दुराचरण अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं और जिस के लिए कम-से-कम एक वर्ष की सजा का उपबन्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इस से अधिक सजा हो तो स्थिति क्या होगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : तो यह लागू होगा । साधारणतया केवल उन्हीं मामलों को छोड़ा जायेगा ।

†**श्री रघुबीर सहाय** : यदि हम संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि कई सदस्यों ने बड़ा विचित्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । श्री नौशीर भरूचा का कहना है कि इस विधेयक से काफी शरारत फैलेगी और न्याय व्यवस्था की जड़ हिल जायेगी । पर शायद उन्हें यह पता नहीं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता तो हमारे यहां काफी समय से चालू है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६२ में लगभग यह सभी बातें आ जाती हैं । इसके अतिरिक्त कई राज्यों में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम भी हैं । इन राज्यों में से किसी ने यह शिकायत नहीं की कि इससे सुरक्षा स्थिति को कोई विशेष खतरा पैदा हुआ है । इसलिए मेरा कहना यह है कि यह मत निराधार है, इसका औचित्य नहीं । विदेशों में भी इस प्रकार के उदाहरण हैं । "अपराध, अदालतों और परिवीक्षा" नाम की एक पुस्तक में एक अमरीकी न्यायाधीश ने जिसका नाम गोल्डस्टीन है, इसी विषय पर विचार प्रकट करते हुये कहा है कि परिवीक्षा से सामूहिक तौर पर अपराधों को रोकने में काफी सहायता मिली है । इस से युवक अपराधी न केवल जेल जाने से

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुबीर सहाय]

बचते हैं प्रत्युत अपना विकास और सुधार भी कर सकते हैं। न्यायाधीश महोदय ने यह आशा प्रकट की कि न्यायालय इस प्रणाली का समुचित लाभ उठायेंगे। इससे पता चलता है कि अन्य देशों में इसका कितना लाभदायक प्रभाव रहा है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि इस विधेयक के उपबन्ध पूर्णतः आवश्यक नहीं हैं, स्वविवेकीय हैं।

इन उपबन्धों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते समय अभियुक्त की आयु और अपराध की स्थिति का भी ध्यान रखा जायेगा और सब कुछ देखते हुए यदि यह ठीक समझा गया कि खंड ३, ४ और ६ का लाभ उसे दिया जा सकता है, तो दिया जायेगा, अन्यथा, न्यायालय को अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति को इन उपबन्धों का लाभ देने से इनकार कर दे। इसमें एक कमी रह गयी है वह यह कि एक और बात का ध्यान रखे जाने का अधिकार भी न्यायालय को दिया जाना चाहिये था कि अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया है अथवा नहीं। न्यायालय में सत्य बोलने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। क्योंकि यह तो बात आज आम हो गयी है कि हमारे न्यायालयों में झूठी गवाहियां दी जाती हैं। डा० काटजू के प्रश्नों के बावजूद भी यह रोग दूर नहीं हो सका। मैं इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करूंगा कि न्यायालयों को उपरोक्त बातों का ध्यान रखने के अतिरिक्त यह भी देखना चाहिये कि अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष कहां तक सब बातें सत्य कही हैं। निर्णय करने का अन्तिम अधिकार तो न्यायालय के पास है ही।

श्री पु० र० पटेल ने विमति टिप्पण प्रस्तुत करते हुए कहा कि मेरे विचार में यह परिवीक्षा तभी दी जानी चाहिये जब कोई अपराधी पक्षपात की भावना से इसकी मांग करे। और यह काम अभियुक्त अपने मुकदमें के आरम्भ में ही करे। श्री गोल्डस्टीन की भी यही राय है, न्यायालयों में सच कहना लाभदायक रहता है और इससे किसी को हानि नहीं होती। अमेरिका में परिवीक्षा अधिनियम की धारा ७२४ के अन्तर्गत यदि अभियुक्त सारा मामला न्यायालय में ठीक ठीक प्रस्तुत कर देता है तो उसके मामले पर सहानुभूति पूर्ण विचार किया जाता है। मेरे विचार में मेरा यह सुझाव संयुक्त समिति को स्वीकार करना चाहिये था। अब भी यह किया जा सकता है, और मेरा अनुरोध है कि मेरे दो संशोधन स्वीकार कर लिये जायें। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : सरकार की भावना तो अच्छी है, परन्तु उसे पता नहीं कि इस विधान से काफी शरारत होने की भी सम्भावना है। आम तौर पर आदर्शवादी लोग यह शिकायत करते हैं कि न्यायालया अपराधियों को सजा देते समय मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाते। शिकायत तो ठीक है परन्तु न्यायाधीश को मामले के आन्तरिक पहलू को देखने की क्या आवश्यकता ? खंड ४ में व्यवस्था की गयी है कि परिवीक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन पर भी विचार किया जाये। परन्तु प्रवर समिति के प्रतिवेदन में स्वयं पं० ठाकुर दास भार्गव ने इस सम्बन्ध में कहा है कि यदि यह प्रतिवेदन अभियुक्त के पक्ष में न रहा तो अभियुक्त को अधिक सज़ा मिलेगी। यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि न्यायालय पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दृष्टि से यह उपबन्ध ठीक नहीं रहेगा। इसीलिये तो यह मांग होती है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाना चाहिये। अभियुक्त पर अपराध लगाना और उसका न्याय करना, जब ये दोनों काम एक ही दंडाधिकारी के पास होते हैं, तो निश्चित है कि न्याय नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि जेल सुधार के मामले में यदि हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की उपेक्षा की गयी तो यह अनर्थ ही होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दस वर्ष व्यतीत होने पर भी इन स्वाभाविक अपराधियों के सुधार के लिये क्या किया है ? हालांकि संविधान के अनुच्छेद ३९ (च) में कहा है कि "शैशव और किशोर अवस्था को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण दिया जायेगा"। छः वर्ष हुए हमने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को स्थापना की, परन्तु युवकों का अपराधों से रोकने के लिये क्या किया गया ? क्या देश में ऐसी कोई संस्था है जो कि जेल से मुक्त होते ही कैदियों को अपनी शरण में लेकर उन्हें जीवन व्यतीत करने का अच्छा मानवीय ढंग सिखाये। जैसे आचार्य विनोबा भावे भूदान का कार्य कर रहे हैं स्वर्गीय ठाकर बापा ने हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिये काम किया। परन्तु आज देश में कोई भी एसा व्यक्ति या संस्था नहीं है जिसका नाम लिया जा सके कि वह इस दिशा में काम कर रही है। जब तक हमारे देश में समाज सेवा भी भावना से प्रेरित ऐसी संस्थायें काफी मात्रा में नहीं बन जातीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या विधेयक में किसी ऐसी संस्था की व्यवस्था है जो परिवीक्षा के बाद इन अपराधियों की देख भाल करे ?

†**श्रीमती आल्वा** : ऐसी संस्थायें बनाई जायेंगी। यदि न्यायालय उस व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की देख रेख में रखे जाने का आदेश देता है तो वैसा किया जाता है, अन्यथा उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। परिवीक्षा प्रणाली इसीलिये चालू की जा रही है ताकि लोगों को उनके वातावरण के अनुसार पुनः बसाया जा सके। जिन राज्यों में इस प्रकार के विधान बनाये गये हैं वहां अपराधियों को फिर से योग्य नागरिक बनाने के अभिकरणों व साधनों की व्यवस्था की गयी है।

†**श्री सूपकार** : में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के हाल के एक प्रतिवेदन को पढ़ रहा था। यह बोर्ड केवल बच्चों और महिलाओं की नैतिक समस्याओं तक ही सीमित है। ऐसे लोगों की देखभाल के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। समस्या यह है कि यदि कोई परिवीक्षा पर चेतावनी के बाद छोड़ दिया गया तो वह कहां जाये। कोई साधन न मिलने पर वह अपने पुराने रवैये पर आ जाता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि यह परिवीक्षा अधिकारी गुप्तचर विभाग के अधिकारियों की भांति कार्य न करें, कि प्रतिवेदन देने के पश्चात् अपना काम समाप्त समझ लें। इससे दंडाधिकारी पर प्रतिवेदन का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

मेरा निवेदन है कि सरकार और हम सब की सद् इच्छायें होने के बावजूद भी जब तक हम इसके लिये आवश्यक वातावरण निर्माण नहीं करते, इस विधेयक से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके लिये धन की अधिक आवश्यकता नहीं है। इसके लिये तो समाज के नैतिक उत्थान के लिये समुचित संस्थाओं की आवश्यकता है। डा० रेकलेस का कहना है कि लम्बी सजायें देकर कैदियों का सुधार नहीं किया जा सकता। हम जेलों और कैदियों के सुधार की बहुत बातें करते हैं, परन्तु अमली तौर पर हमने कैदियों के लिये नैतिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है। जेल अथवा जेल से बाहर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे उनका सुधार हो सके। इस सम्बन्ध में अमरीका के लोगों का कहना है कि जेल के कैदियों के सुधार में धर्म ही नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने का सर्वोत्तम साधन है। क्या हमने इसका कोई प्रबन्ध किया है ताकि अपराधों की कुछ तो रोक थाम हो ? क्या कोई ऐसी संस्था है जो उन्हें ठीक ढंग से काम पर लगा सके और वे आत्म सम्मान से अपना पेट पाल सकें ? यदि हमने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की तो इस विधेयक से क्या लाभ हो सकता है ?

डा० रेकलेस का यह भी कहना है कि छोटे छोटे अपराधों अर्थात् बिना टिकट यात्रा करना, राशन नियमों को तोड़ना इत्यादि, में परिवीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें तो जुर्माने से ही काम चल जाता है। परन्तु इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सूपकार]

श्री रघुबीर सहाय ने कहा है कि यदि कोई न्यायालय के समक्ष अपराध स्वीकार करले तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिये। परन्तु मेरा मत है कि यह कोई ठोस बात नहीं है। हम देखते हैं कि कई गलत बातें भी अदालतों के समक्ष स्वीकार की जाती हैं। मेरा निवेदन है कि यदि विधेयक पारित कर दिया जाता है तो हमें इस मामले में बहुत सचेत हो कर चलना चाहिये। यदि हमने इन उपबन्धों का व्यापक प्रयोग किया तो अपराधों की वृद्धि का भय बराबर लगा रहेगा। इसको दूर करने के लिये तो हमें धार्मिक अथवा नैतिक वातावरण निर्माण करना होगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : यह विधेयक मौलिक सुधारों से सम्बन्ध रखता है इसलिये हमें सचेत होकर इस पर विचार करना चाहिये। यह बात अब सर्वत्र मानी गयी है कि बहुत से अपराध व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से तंग आकर ही करता है। उसे जेल इत्यादि की जो भी सजा दी जाती है उससे सुधरने के स्थान पर वह और बिगड़ जाता है। इसलिये देश के फौजदारी कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ; इस बात पर कहीं भी दो राय नहीं हैं। भारतीय दंड संहिता में केवल एक धारा ५६२ की ही व्यवस्था है, परन्तु इससे काम नहीं चलता, विशेषकर उन हालतों में जब कि सभी ओर परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही हो। आधारभूत बात यह है कि २१ वर्ष से कम आयु वाले अपराधी युवकों को सुधारा जा सकता है और वे अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इसमें अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि श्री भरूचा ने अपने विमति-टिप्पण में कहा है। ऐसे भी हैं जिनका व्यवसाय ही अपराध करना बन जाता है। परन्तु इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, यदि सजा देते समय अदालत इस बात का भी ध्यान रखे कि अपराधी ने अपराध किन हालतों में किया, और इसके अनुसार ही सजा दे। मैं समझता हूं कि इस बारे में आदेशक उपबन्ध होने चाहियें कि जब कोई अदालत किसी को जेल की सजा दे तो वह उसके कारण लिखित में दर्ज करे। धारा ५६२ तो सदा के लिये किसी व्यक्ति को अपराधियों की पंक्ति में रख देती है। जेल में भेजने से किसी का सुधार नहीं हो सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि खंड ६ में अच्छी व्यवस्था की गई है।

आयु का जहां तक प्रश्न है, मेरे मत में १६ और १८ वर्ष कम हैं, इसलिए २१ वर्ष ठीक ही है। परन्तु यदि इससे कम आयु का भी कोई अभ्यस्त अपराधी हो तो अदालत उसे सजा दे सकती है। २१ वर्ष की आयु में कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति सचेत और जागरूक होता है। विधेयक के अन्तर्गत दो प्रकार के अपराध होंगे। एक वह जिसमें दो साल अथवा इससे कम की जेल की सजा होगी। विधेयक के खंड ४ के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी अपराध भी इसी श्रेणी में आयेंगे। विधेयक की व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के दोषी सिद्ध हो जाने पर भी उसे हालात के अनुसार चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। यह ठीक है कि इससे हानि भी हो सकती है। परन्तु हालात को देख कर निर्णय करने का अधिकार अदालतों को रहेगा। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अपराधी ने अपराध किसी हालत से तंग आकर किया है और अन्यथा उसका चरित्र और व्यवहार अच्छा ही रहा है, तो अदालत अपने अधिकार से उसे डांट-डपट कर छोड़ सकती है। यह खंड ठीक ही है और आज के युग की विचार धारा के अनुरूप ही है।

खंड ४ के अन्तर्गत यदि किसी का अपराध आजीवन कारावास सजा के अपराध से कम है, तो अपराध की गंभीरता और उसके किये जाने के हालात तथा अपराधी के चरित्र को देख कर उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। कई बार हालात बताते हैं कि अपराधी पर रहम किया जाना चाहिए परन्तु वर्तमान दंड संहिता में इसकी कोई व्यवस्था नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसी अवस्था में अपराधी को परिवीक्षा पर न छोड़ना भी समझ में नहीं आता। यदि सचमुच हम सुधार चाहते हैं तो हमें अपनी अपराध विधि में संशोधन करना ही होगा। ऐसे उदाहरण हैं जहां बड़े-बड़े डाकू प्रयत्न करने पर सुधर गये और जेल से बाहर आने के पश्चात् देश के अच्छे नागरिक बन गये। परिवीक्षा, अपराधियां के सुधार का अच्छा इलाज है और समुचित देख भाल करने पर इसके अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। मंत्रालय ने इस दिशा में अच्छा ही काम किया है। परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति में बाद में शायद कुछ सुधार करना पड़े, परन्तु आरम्भ तो कर ही देना चाहिए। यदि यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी ने अपराध अपने हालात के प्रभावाधीन किया है, और बाकी सब कुछ ठीक है, तो कोई कारण न ीं कि अदालत उस पर रहम कर परिवीक्षा प्रदान न करे।

इस सुधारवादी विधान की बहुत पहले से आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, और इस पर मंत्रालय को बधाई दी जा सकती है। यह भी ठीक है कि जेल से बाहर आने पर भी उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं विधेयक के सभी उपबन्धों का समर्थन करता हूं।

†**श्री आचार** (मंगलौर): मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरी यह इच्छा थी कि संयुक्त समिति इस पर एक मत से कोई परिणाम निकाले। परन्तु ३६ सदस्यों में से आधे से अधिक ऐसे हैं जिन्होंने विमति टिप्पण प्रस्तुत किये हैं। उन पर सविस्तार विचार करना सदन के लिए कठिन है। अच्छा था यदि उसमें कुछ संशोधन स्वीकार कर लिये जाते और अन्तिम रूप में यह एक सुन्दर सुधारवादी विधान बन जाता।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अपराधों की रोक थाम के लिए सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि भय बना रहे। परन्तु इसके बावजूद सजा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि अपराधी सदा के लिए अपराधी बन कर ही रह जाये। सुधार का विचार हमेशा हमारे समक्ष रहना चाहिए। इस प्रकार के स्कूलों और सदनों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उस वातावरण को ही बदला जाये जिसमें अपराध करने और होने की सम्भावना रहती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यद्यपि विधेयक बहुत कड़ा है परन्तु फिर भी खंड ४ और ५ के उपबन्ध ऐसे हैं जिनका कि स्वागत किया जाना चाहिए। खंड ४ के अन्तर्गत अदालत को यह अधिकार है कि सजा देने से पूर्व हालात देखकर, अथवा आश्वासन लेकर अथवा इसके बिना, अपराधी को मुक्त कर दे। इसमें वे सभी अपराध आ जाते हैं जिनके लिए सजा आजीवन कारावास अथवा फांसी से कम होती हैं। सफे प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस प्रारम्भिक अवस्था में ही हम सभी अपराधों में खंड ४ की सुविधा प्रदान कर देंगे। बाद में तो यह सम्भव हो सकेगा, परन्तु क्या अब ऐसा करना उचित रहेगा, इस बात पर सभा को विचार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त परिवीक्षा अधिकारियों की बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। दंडाधिकारी अथवा न्यायाधीश सजा दे े से पूर्व इन अधिकारियों की रिपोर्टों पर विचार करेंगे, और इस बात का निर्णय करेंगे कि परिवीक्षा अथवा सजा दी जाये। यह भी सम्भव है कि किसी समय परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी। ऐसी अवस्था में भी मामले पर विचार तो होगा और अदालत की इच्छानुसार अपराधी को परिवीक्षा प्राप्त हो जायेगी। यह बात उचित दिखाई नहीं देती।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवीक्षा अधिकारी, सारे विधेयक का महत्वपूर्ण अंग हैं। अपराधों और सुधार किये जाने वाले मामलों के सम्बन्ध में अधिनियम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना इन्हीं पर ही आश्रित रहेगा। यह बड़ा कठिन काम है इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। हमारे अपराधी भी बहुत चतुर हैं। वे भी इसका लाभ उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। वे घूस इत्यादि से इन परिवीक्षा अधिकारियों को अपने पक्ष में करके, सजा से बच जाया करेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि इन अधिकारियों को जिला दंडाधिकारियों के आधीन नहीं रखा जाना चाहिए। यह समाज सेवा का कार्य है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो साधारण जनता से मेल जोल रखें और लोगों के मनोविज्ञान को समझें। इसके लिए वे लोग होने चाहिए जो धार्मिक भावना से सुधार करना चाहते हों। यह सब इस लिए भी आवश्यक है क्योंकि सजा देने, न देने, छोड़ने अथवा परिवीक्षा प्रदान करने के लिए अदालत को हमेशा इन परिवीक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही आश्रित रहना होता है। यह इस विधेयक का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।

अन्य महत्वपूर्ण खंड ६ है, जिसका सम्बन्ध बाल अपराधियों से है। इस सम्बन्ध में अभी श्री अजित सिंह सरहदी ने २१ वर्ष की आयु की बात की है। मेरे विचार में हमें वर्तमान अवस्था में १८ वर्ष से आरम्भ करना चाहिए। खंड ४ और ६ में थोड़ा अन्तर है। खंड ४ के अन्तर्गत निर्णय करने के सभी अधिकार दंडाधिकारी को प्राप्त हैं। खंड ६ के अन्तर्गत उसे बाल अपराधी को जमानत पर मुक्त करना ही होता है जब तक कि उसे सजा देने के कोई विशेष कारण न हों। युवकों के सुधार की दृष्टि से यह उपबन्ध काफी लाभदायक रहेगा। एक बात यह है कि यदि कोई अपने अपराध के लिए अन्त तक लड़ता है, अथवा अपना अपराध स्वीकार नहीं करता, और अन्त में दोषी सिद्ध हो जाता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उसे धारा ४ का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि सभी अपराधों के स्थान पर यदि हम छोटे-छोटे अपराधों की अनुसूची बना लें अच्छा रहेगा। डाका इत्यादि गम्भीर अपराधों को अलग रखा जा सकता है। छोटे अपराधों की अनुसूची को विधेयक के साथ जोड़ा जा सकता है और उन्हीं अपराधों के लिए ही विधेयक को लागू किया जा सकता है। इन बातों के सम्बन्ध में प्रवर समिति में एकमत से निर्णय हो जाता तो अच्छा था। इस पर सदन को विचार करना चाहिए। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें सजा का भय रखना भी बड़ा आवश्यक प्रतीत होता है। परिवीक्षा अधिकारियों के अधिकारों आदि का भी परीक्षण करना होगा। इनके आधार पर ही अपनी दंड विधि को ढीला कर देना ठीक नहीं रहेगा। बहुत से विमति टिप्पणों में भी जो इनके बातों का उल्लेख है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस समय कोई कड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं। मुझे विश्वास है कि विधेयक को अन्तिम रूप में पारित करने से पूर्व कुछ संशोधनों को स्वीकार कर लिया जायेगा, ताकि विधेयक अपने समुचित रूप में आ जाये।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो विधेयक गृह-मंत्रालय ने प्रवर समिति से वापस हाउस को भेजा है, उस का अभिनन्दन करता हूं और मंत्रालय को इस के लिये धन्यवाद देता हूं। मेरी अपनी यह राय है कि इस प्रकार के बिल की बहुत आवश्यकता थी और इस बिल के आने से वह आवश्यकता एक हद तक पूरी होगी।

यह ठीक है कि हमारे देश में जो अपराधों की संख्या है या जो अपराध होते हैं उन को देखते हुए बहुत डर लगता है कि इस किस्म का कानून जब चालू किया जायेगा तो उस से क्या नतीजे निकलेंगे।

मगर किसी भी अच्छे काम को करने के लिये जरूरत होती है साहस और हौसले की और तब तक वह नहीं होता जब तक हम हौसले और साहस से उस काम को आगे न बढ़ायेंगे। कानूनी पहलू को सामने रखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि देश में इस प्रकार का विधेयक जब चालू किया जायेगा तो कानून कुछ ढ़ीला पड़ेगा और उन लोगों को जो अपराध करते हैं कुछ सहूलियत मिल सकेगी। हो सकता है कि जो अपराध कम करने की इच्छा हमारे देश में है उस में किसी किस्म की रुकावट भी पैदा हो, लेकिन आज हम यह देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे अनेक नौजवान हैं, नवयुवक हैं, जो कारण अकारण से अपराध कर बैठते हैं और उन के मन में कोई अपराध करने की इच्छा नहीं होती, बल्कि उन को कुछ ऐसे सर्कम्स्टान्सेज, ऐसा वातारवरण, ऐसी हवा मिल जाती है उन को और वह अपराध कर बठते हैं। अगर इस प्रकार के अपराधी को आप यह समझ लें कि वह जन्म भर ऐसे ही अपराध करता रहेगा तो यह हमारे लिये बड़ा दुर्भाग्य होगा। इस कारण से मैं समझता हूं कि इस विधेयक में जो यह ख्याल रक्खा गया है, यह उसूल माना गया है कि वह बड़ा अच्छा है कि ऐसे अपराधियों के लिये अदालतें यह फैसला करती हैं कि उन्हें कोई ऐसी सजा न दी जाये जिस में उन्हें जेल भेजा जाये, बल्कि उन्हें तम्बीह पर छोड़ दिया जाय या यह कि उन्हें कुछ अर्से तक निगहबानी में रखा जाय ताकि वह जो अपराध हो गया उस के लिये पश्चाताप् करें और अपने जीवन को सुधार की ओर ले जा सकें।

हमारे देश में इस समय इस प्रकार की संस्थाओं की बहुत कमी है जो अपराध करने वाले नवयुवकों को सुधार की ओर ले जाती हैं। इस विधेयक के कामयाब होने के लिये मैं समझता हूं कि दो ही चीजों की सब से ज्यादा जरूरत होगी। एक तो यह कि जो इस में प्राबेशन आफिसर की गुंजाइश रक्खी गई है जिस के बल पर यह सारा विधेयक कामयाब होगा या नाकामयाब होगा, उस की और दूसरे यह कि अगर कोई ऐसा अपराधी हो जिस के लिये अदालत यह महसूस करे कि कुछ अर्से तक ऐसे गृह में रक्खा जाये या ऐसे वातावरण में अथवा ऐसी संस्था में रक्खा जाये जहां पर प्यार और पुचकार से उसे सुधारा जा सके, इन दोनों की बहुत कमी हमें मालूम होती है। अगर हम चारों तरफ देखने लगें तो प्राबेशन आफिसर्स हमें उस कोटि के नहीं मिलते जिन से हम यह आशा कर सकें कि वह इस प्रकार के अपराधियों को सुधार का जीवन दे सकेंगे। अव्वल तो इस विधेयक के अन्दर जो हम ने प्राबैशन आफिसर्स का प्राविजन रक्खा है, उस से बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता कि हमें कोई ऐसे प्रोबेशन आफिसर्स मिल सकेंगे जिन को इस कार्य का पूरा ज्ञान हो अथवा लगन हो, जो देश के सुधार कार्यों के अन्दर अपना जीवन बिताने की इच्छा रखते हों, उन्हें किसी नौकरी की तलाश न हो, या उन के अन्दर काम करने की इच्छा हो। ऐसे प्राबेशन आफिसर्स का भाम मिलना हमारे देश के अन्दर बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूं कि जब तक हमारा देश इस प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करेगा, या हमारी सरकार नहीं करेगी कि हमें इस किस्म के प्राबेशन आफिसर्स मिल सकें, पर्सोनेल मिल सकें, जिन के दिल और दिमाग में ऐसे अपराधियों का सुधार करने की, मार कर नहीं या किसी किस्म की सजा दे कर नहीं, बल्कि प्यार से पुचकार कर, मोहब्बत से, अच्छा नागरिक बनाने की इच्छा हो, तब तक कुछ होना कठिन होगा। जब तक हमारे देश के अन्दर ऐसे प्राबेशन आफिसर्स नहीं पैदा होंगे तब तक मुझे डर है कि यह विधेयक अपने ध्येय और लक्ष्य को पूरा कर सकेगा या नहीं। इस की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर इस विधेयक को कामयाब करना है तो हमें इस बात की परम आवश्यकता है, हमारे लिये यह परम अनिवार्य है कि हम प्राबेशन आफिसर्स को ऐसे वातावरण में और ऐसी संस्थाओं में ट्रेन करें, उन को शिक्षा दें, जिस से उन के मन में सिवा एक भावना के दूसरी भावना न हो कि वह इस प्रकार के अपराधियों का सन्तोषजनक सुधार करें। और इस तरीके से सुधार करें जिस में बिल्कुल नया वातावरण पैदा हो।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : ऐसी संस्थायें कहां हैं ?

श्री राधा रमण : मेरे दोस्त श्री दीवान चंद शर्मा संस्थाओं के बारे में कह रहे हैं । मैं दूसरी बात यह कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में जो आफ्टर केअर होम्स होते हैं उन की संख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर है । लेकिन सरकार इस तरफ कुछ ध्यान दे रही है और ऐसे आफ्टर केयर होम्स खोलने की आवश्यकता है और ऐसी संस्थायें भी हैं कि जहां इस प्रकार के प्रोबेशन आफिसर्स को अभी ट्रेनिंग मिलती हो । ऐसा तो मैं नहीं मानता कि संस्थायें हैं ही नहीं, लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि ऐसी संस्थाओं की बहुत कम संख्या है । अगर हम प्रोबेशन आफिसर्स हर राज्य में चाहते हैं और सारे देश में फैलाना चाहते हैं तो हमें ऐसी संस्थाओं को चलाना पड़ेगा और उस के अन्दर वे तमाम इंतजामात करने पड़ेंगे जिन से कि हमें अच्छे प्रोबेशन आफिसर्स मिल सकेंगे और ऐसे वातावरण के होम्स हों कि जहां इस प्रकार के अपराधियों की कुछ देखभाल हम सुधार के रूप में कर सकें ।

मुझे कुछ भय है कि इस में जो मजिस्ट्रेट्स को डिस्क्रिशन दिया गया है और उन को जो इस बात की इजाजत दी गई है कि अपराध को देखते हुए या प्रोबेशन आफिसर की रिपोर्ट को ध्यान में लेते हुए वह किसी भी अपराधी को छोड़ सकते हैं या उसे कुछ तम्बीह दे सकते हैं । मैं समझता हूं कि इस विधेयक को अधिक कारगर करने के लिये हमें मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी ऐसी ही करनी चाहिये कि जो उस सुधार कार्य के अन्दर संलग्न रहने वाले हों जिन के कि मन में न सिर्फ कानून को सामने रख कर हर चीज का फैसला करने की ख्वाहिश हो, बल्कि यह कि अपराधी सुधार करने का ख्याल उन के दिल में हो । मै समझता हूं कि आज मजिस्ट्रेट के सामने जब अपराधी जाता है तो वहां का वातावरण कुछ ऐसा रहता है कि उस के मन में न मालूम कैसे यह ख्याल उठता है कि वह सही सही चीज बयान न करे और वह वहां पर सच्ची बातें कहने से डरता है और कांपता है । वहां का वातावरण कुछ इस प्रकार का रहता है कि उस को सही बात कहने पर मजबूर नहीं करता बल्कि उल्टी बात कहने पर मजबूर करता है । मैं यह समझता हूं कि ऐसे कोर्टस् जहां प्रोबेशन आफिसर्स अपनी रिपोर्ट दें या ऐसे अपराधियों को सामने रक्खा जाय, ऐसे कोर्टस् के वातावरण को भी कुछ हमें बदलने की आवश्यकता है अगर हम यह चाहते कि जो विधेयक हम चला रहे हैं उस का अच्छा नतीजा निकले ।

उम्र के बारे में मैं अपने उन माननीय मित्रों से इत्तिफाक करता हूं कि इस विधेयक में जो २१ वर्ष की उम्र रक्खी गई है मेरे ख्याल से यह कुछ ज्यादा है । मैं समझता हूं कि अगर यह उम्र १८ वर्ष की कबूल की जाय तो वह ज्यादा अच्छा है क्योंकि १८ साल का एक नवयुवक हमारे देश के अन्दर आज काफी समझदार समझा जाता है और होता भी है और अगर उस सम्र का कोई नवयुवक अपराध करता है और वह उस का पहला ही अपराध हो और पहले की उस की कोई हिस्ट्री ट्रेस न होती हो कि जहां उस ने इस प्रकार का कोई कार्य किया हो तो उस को किसी किस्म की कोई सजा मिलना या सजा के मातहत जेल वगैरह में भेजना यह मैं समझता हूं कि बहुत हानिकारक है क्योंकि इस प्रकार से हम एक जीवन को जो देश के खातिर बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है उस को हम गलत रास्ते पर ले जा कर बिगाड़ सकते हैं और हमें उस को उस पर जाने से बचाना चाहिये ।

मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रवर समिति के माननीय सदस्यों ने जो एख्तलाफी नोट्स दिये हैं उन को देखा है और मुझे उन एख्तलाफ रायों को देख कर जरा कुछ आश्चर्य भी हुआ कि इस छोटे से विधेयक के सम्बन्ध में हमारी प्रवर समिति के सदस्यों में एक राय नहीं बनी और इस में काफी ऐसी रायें हैं जो कि मुख्तलिफ हैं । मैं समझता हूं कि उनको सामने रखते हुए विधेयक में और भी ज्यादा संशोधन अगर हो सके तो वह करना चाहिये क्योंकि इस विधेयक के ऊपर बहुत सारे समाज सुधार के कार्यों को आगे चलाना या उन को करना बहुत कुछ निर्भर है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि जब यह विधेयक इस हाउस के सामने है तो इस पर पूरा गौर हो और प्रवर समिति के

सदस्यों ने जो इस के सम्बन्ध में अपनी अपनी रायें दी हैं उन रायों को सामने रखते हुए जितना भी इस में संशोधन किया जा सके, किया जाय ताकि यह विधेयक और अधिक परिपूर्ण हो जाये ।

एक बात मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर कोर्टस् को इस बात की इजाजत दी गई है कि वे ऐसे जरायम और जुर्मों के लिये जिन्हें कि हम समझते हैं कि वे बहुत खराब हैं और वे समाज को दूषित करते हैं मसलन् रौबरी, डकैती या रेप्स वगैरह वगैरह, उन के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट्स को जो डिस्क्रिशन दिया गया है मेरी राय में वह ज्यादा है। आज के दिन हम को यह चाहिये कि पहले इस विधेयक को हम उन जुर्मों के अपराधियों के ऊपर लागू करें जो कि साधारण हों और जो कि सुधार के लायक हों और जिन के कि अन्दर हम को अपराधियों की संख्या बढ़ाने या अपराधों को और ज्यादा हवा देने का मौका न मिल सके बल्कि वह ऐसे छोटे छोटे अपराध हों जिन अपराधों को हम यह समझते हैं कि उन को क्षम्य माना जा सकता है और वह आदतन नहीं बल्कि वह एक वातावरण में या कुछ मजबूरियों की हालत में बाज वक्त एक इंसान कर बैठता है। मेरी अपनी नाकिस राय यह है और मैं अदब से यह अर्ज करूंगा कि इस विधेयक के अन्दर जो कोर्ट्स को डिस्क्रिशन दिया जा रहा है वह खतरे से खाली नहीं है। हमें इस विधेयक को दो-चार वर्ष तक चलाकर देखना चाहिए कि उसके क्या असरात हैं और कहीं उससे जुर्म तो नहीं बढ़ते हैं। देश में जो क्राइम्स होते हैं और पुलिस को अगर हम सामने रखते तो यह पता चलेगा कि बड़े बड़े क्राइम्स आज भी पुलिस के द्वारा छिपाये जाते हैं। पुलिस का जो इंतजाम है पुलिस का जो काम है वह इतना एफिशियेंट और इतना अच्छा नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए। दूर क्यों जाइये यहीं दिल्ली में हम देखते हैं कि चाहे डकैती हो, चाहे रौबरी हो चाहे कोई और काम हो और चाहे बच्चों को अगवा करने का सवाल हो और चाहे चोरी का सवाल हो, यहां पर दिनदहाड़े चोरियां होती हैं और दूसरे जुर्म होते रहते हैं और पुलिस को उसके बारे में जानकारी रहती है और मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि बहुत से केसेज के अन्दर पुलिस उन जुर्मों के करने वालों को बचाती है और बजाय इसके कि उन जुर्मों को जाहिर करने में कुछ मदद करे वह कुछ पैसे लेकर और कुछ इस तरीके के अपने आदमियों को बचाने के वास्ते वह उन जुर्मों को छिपाती है और उनको सामने नहीं आने देती। हजारों केसेज सुबह से शाम तक दिल्ली में होते हैं। दिनदहाड़े चोरियां होती हैं, बच्चों को अगवा कर लिया जाता है और दिनदहाड़े यहां पर डकैतियां और कत्ल होते हैं और उनका पता नहीं चलता है। मैं यह मानता हूं कि यहां बहुत सारी पुलिस है और उसकी बहुत काफी कड़ी निगहबानी भी है और पुलिस के विजिलेंस स्कुवैड्स भी बने हुए हैं लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी मुझे यह बयान करने में कोई गुरेज नहीं है कि यहां पर जो जरायम हो रहे हैं उनके बारे में हम लोगों को कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिलता है कि वह जरायम क्यों होते हैं और वे क्यों नहीं खत्म होते। जब यह हालत हमारे मुल्क में हो तो उस सम्बन्ध में हमें बहुत खबरदार रह करके या बहुत होशियार रह करके हमें कोई कानून बनाना चाहिए। ऐसे अपराधों के लिए जिन्हें कि हम भयंकर अपराध समझते हैं उनमें काफी सजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जुर्म करने वालों के लिए वह सजा इबरतअंगेज हो सके और आयन्दा वह उन जुर्मों को करने की जुर्रत न करें लेकिन अगर ऐसा न करके हम उन अपराधों में छूट देने लगेंगे तो मुझे इस बात का खतरा महसूस होता है कि जुर्म बजाय घटने के यहां पर पढ़ने लगेंगे।

अब दिल्ली में जेबकतरे बहुत ज्यादा हैं और दिल्ली में बाहर से भी काफी जेबकतरे आते हैं। उनके पास छोटे-छोटे १०, १० और १२, १२ वर्ष के बच्चे होते हैं और जेब

[श्री राधा रमण]

काटने में बड़े माहिर होते हैं और गजब की चालाकी और फुर्ती से वे लोगों की जेबें सफा कर देते हैं। हजारों ऐसे जेबकतरे म यहां दिल्ली में देखता हूं। या तो यह लोग पुलिस से मिले रहते हैं या यह है कि उनकी रोकथाम करने में पुलिस को कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है और वह ऐसा करना अपना फर्ज नहीं समझती, बहरहाल जो भी वजह हो हकीकत यह है कि इस किस्म की बातें हमारे दिल्ली शहर में होती रहती है और मैं समझता हूं कि दिल्ली शहर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य शहरों में भी यह चीजें चलती हैं। ऐसी सूरत में इस विधेयक के अन्दर वे सेक्शंस जो कि ऐसे अपराधों के अन्दर कोर्टस को डिस्क्रिशन देते हों, तो उन डिस्क्रिशंस का ऐब्यूज (दुरोपयोग) हो सकता है और उनका सही इस्तेमाल कहां तक होगा मैं समझता हूं कि यह कहना हमारे लिए मुश्किल है। ऐसे अपराधों के लिए कोर्टस् का डिस्क्रिशन देना खतरे से खाली नहीं है और हमें ऐसे प्राविजंस को अगर निकाल सकें तो उनको निकाल देना चाहिए। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक की हिमायत करता हूं।

मैं यह आशा करता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में जो जो बातें और रायें रक्खी गई हैं उनको सामने रखते हुए इसमें मुनासिब संशोधन करके इसको देश के अन्दर चालू किया जायगा और उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे अपराधी जो कि पहली बार अपराध करते हैं, किसी कारण वश मजबूर होकर कर लेते हैं या किसी ऐसे वातावरण में होने के कारण अपराध करने पर मजबूर होते हैं या उन हालात का शिकार बनते हैं, उन अपराधियों को कम से कम एक मौका मिल सके ताकि वह अपना सुधार कर सकें और देश में एक अच्छे इंसान की भांति अपनी जिन्दगी बसर कर सकें और इसलिए मैं इसकी हिमायत करता हूं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : (मुकन्दपुरम्): सभी बातों को देखते हुये मेरा यह विचार था कि मैं नौशीर भरूचा के बाद अपने विचार प्रकट करूं। उन्होंने विधेयक के उपबन्धों के संबंध में कुछ विवादास्पद और खतरे से भरे मामलों को प्रस्तुत किया है। उन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। सुधार और परिवीक्षा की बात काफी समय से चल रही है परन्तु फिर भी सजा के सम्बन्ध में हम कोई सर्व सम्मत परिणाम पर नहीं पहुंच सके। सामंड के सिलाना को इस महत्वपूर्ण समस्या में हम कहां तक प्रयोग कर सकते हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। सामंड ५० वर्ष तक जीवित रहा, परन्तु उससे बहुत पहले सजा के भय का सिद्धान्त स्पार्टैक्स द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका था। इतिहास के आरम्भ से ही इस सिद्धान्त से काम चलाया जाता रहा है और इस पर जोर दिया जाता रहा है। इसे ही समाज और सभ्यता के हित में कहा जाता रहा है। परन्तु दो हजार वर्ष का इतिहास यह बताता है कि ससे अपराधों की संख्या कम नहीं हुई। हमें मानवा सजाम और सभ्यता की प्रगति के लिए अपराधों के सुधार का कोई अन्य साधन निकालना ही होगा। भय पैदा करने वाले साधन अपनाते समय शायद हम यह भूल जाते है कि अन्ततोगत्वा यह अपराधी भी समाज का अंग हैं और उन्हें भी जीवित रहने का अधिकार है।

काफी समय से यह कहा जाता रहा है कि अपराधी, अपराधी होने के कारण ही अपराध करता है। परन्तु डा० रैकलैस का सिद्धान्त है कि मनुष्य अपने हालात से तंग होता है और उसके लिए समाज का वातावरण जिम्मेदार होता है। कई बार हम बहुत ही अच्छे व्यक्तियों

---

†मूल अंग्रेजी में

को अपराध करते देखते हैं जो कि वास्तव में अरपाधों के अभ्यस्त नहीं होते और समाज विरीधी भी नहीं होते।

यदि ऐसे व्यक्ति को मुक्त करके सुधारने का अवसर दिया जाता है तो वह ठीक हो जाता है। इसलिए केवल भय के सिद्धान्त से ही काम नहीं चलेगा, हमें कोई अन्य नया दृष्टिकोण अपनाना होगा।

प्रथम अपराध के लिए परिवीक्षा की विधेयक में व्यवस्था की गयी है। उसके लिए सारे हालात को देखना बड़ा आवश्यक है। जहां तक परिवीक्षा अधिकारियों का सम्बन्ध है, मेरा अनुभव यह है कि जो कर्मचारी न्याय प्रशासन के साथ सम्बन्धित हैं उनका व्यवहार कई बार अपराधी को पक्का अपराधी बना देता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें दोषी सिद्ध हो जाने से पूर्व किसी को अपराधी नहीं समझना चाहिए। यहां पुलिस् का आरोप लगते ही हम किसी को भी अपराधी समझ उससे वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। हवालातों में भी इसी प्रकार का व्यवहार होता है। इसलिए इस सारी प्रणाली को बदले बिना इस परिवीक्षा अधिकारियों की योजना का कोई लाभ नहीं हो सकता। मेरा सुझाव है कि यह काम समाज सेवा करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। सरकार सके लिए समुचित व्यवस्था कर सकती है।

यदि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर ही सब निर्णय होना हो तो इस अधिकार का दुरोपयोग हो सकता है। इस प्रकार का अधिकार जिसका सम्बन्ध न्यायपालिका से है एक कार्यपालिका अधिकारी को देना खतरे से खाली नहीं। से एक व्यक्ति से लेकर किसी संस्था को देना ही ठीक है।

एक अन्य बात जिसे विधेयक में नहीं लिया गया वह जेल मैनुअल की है, यह २० २५, ५० वर्ष पुरानी चल रही है। कई राज्यों में लागू मैनुअल १८५७ में बनाई गयी थी। इसी से जेल के जीवन का नियन्त्रण किया जाता है। समय बदल चुका है और हम जेलों और अपराधियों में काफी सुधार करने के इच्छुक है। परन्तु इन मैनुअलों में समुचित परिवर्तन किये बिना हम कैसे सुधार की आशा कर सकते है। हमें नये मैनुअल बनाने ी होंगे।

इसके अतिरिक्त हमें यह भी सोचना होगा कि जेल से छट आने के पश्चात् कोई व्यक्ति क्या करेगा? यदि किसी अपराधी को छः मास की जेल हो जाती है तो वापसी पर समाज में उसका कोई स्थान नहीं रहता, तो प्रश्न यह है कि वह क्या करे? वैश्या वृत्ति की भी यही हालत है, एक बार पाप करने पर सुधार की इच्छा होते ये भी व्यक्ति अपने आपको सुधार नहीं सकता। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परन्तु विधेयक में सकी कोई व्यवस्था नहीं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ओर से सके लिए कुछ सदन बनाये गये है। परन्तु उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार को चाहिए कि ऐसे सदनों को संविहित मान्यता देकर स्वयं उन्हें चलाये। गैर सरकारी संस्थाओं के मार्ग में धन इत्यादि की कई कठिनायां उपस्थित होती रहती है। इतने महत्वपूर्ण काम को गैर सरकारी हाथों में देना भी नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि जब स विधेयक को कार्यान्वित किया जायेगा तो इस बात की आवश्यकता अनुभव होगी कि इस समस्या क समुचित ढंग से हल करने के लिए एक व्यापक विधान प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्तुत विमर्ति टिप्पण गलत धारणा पर आधारित हैं। महिला सदस्य, श्रीमती बीलावती मुंशी ने देश के नवयुवकों को सामूहिक तौर पर ही लांछित कर दिया है। उन्होंने

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

व्यक्तिगत कृत्यों से सामूहिक परिणाम निकालने का यत्न किया है और बड़ी खतरे से पूर्ण बातों की ओर संकेत किया है

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं भी संयुक्त समिति में था; महिला सदस्य का कभी यह आशय नहीं था कि किसी को लांछित किया जाय। भाषा के हेर फेर की बात मैं नहीं करता। उनका आशय शिक्षित लोगों के किसी वर्ग की निन्दा करने का नहीं था।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : यदि आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है। मेरा कहना है कि उन्होंने बड़ा ही निराशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। हमारे समाज के पुर्ननिमाण के प्रत्येक अंग के लिये यह आवश्यक है कि ५० वर्ष पुराने सामान्य सिध्यान्त का परित्याग कर दिया जाये। इस विधान को हमें केवल परिवीक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये, परन्तु इसके अन्तर्गत दंड देना, अपराधियों से व्यवहार करना तथा बाद में उनकी देख भाल करना आदि सभी चीजें आ जाती हैं। इन सभी बातों को सम्मिलित करके एक व्यापक विधान प्रस्तुत किया जाना चाहिये ताकि हम कह सकें कि हम ने ठीक दिशा में अपना कदम उठाया है।

श्री मूलचन्द दुबे (फर्रुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आज सभा के सामने उपस्थित है मेरी समझ में जरा कम आता है।

हर एक जुर्म के लिये दो आदमियों की या व्यक्तियों की जरूरत होती है। एक तो वह शख्स जो जुर्म करता है, दूसरा वह शख्स जिसके साथ जुर्म किया जाता है और तीसरी स्टेट (राज्य)। तो इसमें स्टेट का और पबलिक का और जुर्म करने वाले का तो बहुत कुछ ख्याल है, परन्तु जिसके साथ ज्यादती की जाती है उसकी तरफ जरा भी घ्यान नहीं है। किसी भी समाज में, किसी भी आदमी के साथ अगर कोई ज्यादती की जाती है तो जब तक कि वह बहुत ही बड़ा आदमी न हो, सन्यासी किस्म का आदमी न हो, महात्मा गांधी के किस्म का आदमी न हो, तब तक उसका बदला लेने की ख्वाहिश उसमें रहती है। और आजकल जो पीनल कोड है उसका उसूल यह है कि अगर किसी के साथ जुर्म किया गया है तो स्टेट कहती है कि भाई तुम बदला मत लो, तुम्हारी तरफ से बदला हम ले लेंगे। यह इम्पलाइड है कि यह स्टेट की तरफ से कहा जाता है, हालांकि ज्यादातर स्टेट यह बात कहने के लिये नहीं आती है। लेकिन जिस शख्स के साथ कोई जुर्म किया जाता है उसके दिल में यह बात होती है कि मैं बदला ले सकूं, अगर मैं न बदला ले सकूं तो मेरी तरफ से सरकार उससे बदला ले और उसको सजा दे। तो जब तक कि उस आदमी में कि जिसके साथ जुर्म किया गया है, यह माफ करने की आदत न हो जाये, माफ करने की बात पैदा न हो जाये कि वह इस बात के लिये तैयार हो कि इसने मेरे साथ जुर्म किया तो किया मैं इसको सजा नहीं देना चाहता मैं इसको माफ कर देना चाहता हूं, तब तक इस तरह का कानून लागू नहीं किया जाना चाहिये। जब यह बात पैदा हो जाती है तब तो यह विधेयक जो रखा गया है वह निहायत अच्छा है और वे लोग जो जुर्म करते हैं उनको समाज में रखने के लिये और इस तरह से समाज को मजबूत करने के लिये काम में लाया जा सकता है। लेकिन जिस शख्स के साथ जुर्म किया गया है अगर उसके दिल में बदला लेने की भावना मौजूद है तो मेरी समझ में इस विधेयक से कोई फायदा नहीं हो सकता। तो जरूरत जो है वह इस बात की है और इस बात का कम से कम ख्याल किया गया है। जब तक कि समाज इस ऊंचे दरजे तक न पहुंच जाये कि जिसके साथ जुर्म किया गया है, जिसके साथ ज्यादती की गयी है वह जुर्म करने वाले को माफ करने को तैयार हो जाये, उस वक्त तक इस किस्म के विधेयक से जो फायदा ख्याल किया जाता है वह फायदा हासिल नहीं हो सकता।

---

† मूल अंग्रेजी में

उन जुर्मों के लिये तो मेरी समझ में यह बात आती है कि जो बगैर इरादे के हो जायें, गफलत या नैगलीजेंस की वजह से हो जायें, बगैर समझे हुए हो जायें, एक्सीडेंट (दुर्घटना) से हो जायें, इस किस्म के जो जुर्म हों उनके लिये तो समझमें आता है उनके लिये तो ऐसी बात हो और यह प्रौबेशन आव आफेंडर्स ऐक्ट (अपराधी परिवीक्षा अधिनियम) लगाया जाये । और इन हालतों में भी जिस शख्स के साथ जुर्म किया गया है उसकी राय लेनी जरूरी है । जैसे कि गालिबन जाब्ता फौजदारी की दफा ३४५ है जिसमें जुर्मों को कंपाउंड करने का प्रावीजन है कि जिस शख्स के साथ जुर्म किया गया है उससे पूछा जाये कि यह माफी मांगता है और कहता है कि मुझे से गलती हुई, मुझे माफ करो, वैसा ही इसमें होना चाहिये । अगर वह माफ करने को तैयार हो तो जरूर यह एक्ट लगाना चाहिये लेकिन अगर वह माफ करने के लिये तैयार नहीं है और जुर्म ऐसा है कि जिसमें इंटेंशन भी है तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट का लगाना मुनासिब नहीं होगा ।

मेरे मित्र श्री रघुबीर सहाय . . . .

श्री रघुबीर सहाय : मैं आपका ध्यान . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । वह आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते ।

श्री मूलचन्द दुबे : मेरे मित्र श्री रघुबीर सहाय ने एक संशोधन दिया है । उसमें यह लिखा है कि अगर कोई आदमी जुर्म करके आवे और वह कह दे कि मैं ने किया है, क्लीन ब्रेस्ट कर दे, आपने यही अल्फाज इस्तेमाल किये हैं, तो उसके साथ यह लगा दिया जाये । मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आती कि अगर कोई जुर्म करके आवे और यह कह दे कि मैं ने जुर्म किया है तो उससे कह दिया जाये कि तुम घर जाओ । यह एक डेंजरस प्रापोजीशन है जो कि मेरे दोस्त पेश कर रहेहैं और जो मेरी समझ में नहीं आ सकती ।

श्री रघुबीर सहाय : मैं आनरेबिल मेम्बर का ध्यान दफा ५ की तरफ दिलाना चाहता हूं । क्या उन्होंने उसको पढ़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी मुश्किल यह है कि हाउस में दो मेम्बर एक साथ नहीं बोल सकते । जब तक वह तैयार नहीं हैं उस वक्त तक आप न बोलें ।

श्री मूलचन्द दुबे : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो जुर्म बगैर इरादे के हुए हों, जो कि एक्सीडेंट या भूल से हो जायें, उनमें भी जिस शख्स के साथ वह जुर्म हुए हैं उसकी राय लेने की कोशिश करनी चाहिये । आम तौर पर जुर्मों के लिये अगर इस ऐक्ट को लगा दिया जाये और जुर्म करने वालों को छोड़ दिया जाये तो यह मुनासिब नहीं मालूम होता ।

अब प्रोबेशन आफिसर्स के बारे में भी आप गौर करें कि एक जिले में एक प्रोबेशन आफिसर मुकर्रर कर दिया जायेगा । हो सकता है कि जिले में ५० या १०० आदमी हों जिन पर यह ऐक्ट लागू किया गया हो, और जिला ५०० स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ हो । अब हमारे यहां गांव देहातों में सड़कों तक का काफी इन्तिजाम नहीं है । वहां वह प्रोबेशन आफिसर क्या देखेगा और किस तरह से देख सकेगा । और लोगों में यह आम तौर पर कमजोरी होती है कि अगर गांव का कोई आदमी फंस गया है और गांव वालों से उस आदमी के बारे में प्राबेशन आफिसर पूछता है कि इसका चालचलन कैसा है तो वह कह देंगे कि इसका चालचलन अच्छा है । यह इसी तरह होगा जिस तरह से कि सफाई के लिये गवाह मिल जाते हैं ।

जो खास चीज है जुर्म को रोकने वाली और सोसाइटी को मजबूत बनाने वाली और लोगों की अच्छी आदतें बनाने वाली वह धर्म है । यानी आदमी को जुर्म करने से जो असली चीज रोकने वाली है

[श्री मूलचन्द दुबे]

वह धर्म है। दूसरी चीज जो जुर्म से रोकने वाली है वह सजा है। और जो तीसरी चीज़ रोकने वाली है वह यह ख्याल है कि जिसके साथ ज्यादती की गयी है वह बदला लेगा, मारेगा। पर आप इन तीनों चीजों में से किसी को नहीं रखते। तो जुर्म को रोकने की गुंजाइश कैसे रहेगी।

जहां तक धार्मिक शिक्षा का सम्बन्ध है मां बाप को इतनी फुरसत नहीं रहती कि वे अपने बच्चों को अच्छी धर्म की शिक्षा दे सकें। वे दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। अगर वे शहर में रहते हैं तो दिन भर नौकरी में लगे रहते हैं, अगर देहात में रहते हैं तो खेती में लगे रहते हैं। तो उनको इस बात की फुरसत नहीं है कि लड़कों की अच्छी देखभाल कर सकें। स्कूलों और कालिजों में यह हालत नजर आती है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा सकती क्योंकि हमारी सिक्यूलर (धर्मनिपेक्ष) स्टेट है। लिहाजा उनको वहां भी इस किस्म की तालीम नही मिलती। समाज में इस तरह की तालीम के लिये कोई तरीका नहीं है। तो मेरे खयाल से बजाय इस विधेयक को पास करने के, जरूरी यह है कि समाज में धार्मिक शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाये, चाहे वह हिन्दू मत की हो, सिख मत की हो, मुसलमान मत का हो, ईसाई मत की हो या सब की मिली जुली हो, ताकि किसी धर्म के प्रति तरफदारी या पक्षपात का ख्याल पैदा न हो। जो भी मारल प्रिंसिपलस हैं उनको एक बुक में रखा जाये जो कि बराबर स्कूलों, कालिजों और यूनिवरसिटियों में पढ़ायी जाये ताकि लड़कों के मारल ऊंचे हो सकें और वे समाज के अच्छे मेम्बर हो सकें, समाज मजबूत हो सके और समाज संभल सके।

मुझे इतना ही कहना है।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : श्रीमान्, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार वास्तविकताओं की ओर ध्यान नहीं दे रही। हमें पता है कि लोग लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं और कल सब यहां पर इस का उपाय सोच रहे थे किन्तु आज सरकार अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने की बातें कर रही है।

बड़े बड़े नगरों में लोग अपनी चीजों की रक्षा करने के लिये निजी पहरेदार या चौकीदार रखते हैं। यह तो आज कल की स्थिति है। किसानों को खेतों की रक्षा के लिये रखवाले रखने पड़ते हैं। जब यह परिस्थिति हो तो क्या यह ऐसे अधिनियम पारित करने का उचित अवसर है।

अभी थोड़े दिन पहले पंडित पन्त ने मृत्यु दंड के उत्सादन के सम्बन्ध में राज्य-सभा में कहा था कि हमारे देश में जनमत उत्सादन के पक्ष में नहीं है। लोगों का तो यह विचार है कि हम अपराधियों के साथ नरमी का बर्ताव करते हैं। पन्त जी ने आगे चल कर कहा था कि क्या हम इस देश में ज्यादा हत्यायें आदि अपराध चाहते हैं या कम। मृत्यु दंड के उत्सादन से अपराधी हत्यायें करेंगे।

पंडित पन्त की उस सम्बन्ध में यह राय है। उन्हों ने अग्रेतर कहा था कि लोग कहते हैं कि दूसरे देशों में मृत्यु दंड उत्सादित कर दिया गया है। यह ठीक है किन्तु उन देशों में हत्याओं की संख्या भी बहुत ही कम है। इस कारण जब हमारे देश में अपराध स्थिति वैसी ही हो जायेगी हम भी इस प्रश्न पर विचार कर सकेंगे,

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इस समय यह उचित है कि मृत्यु दंड का उत्सादन हो। सरकार अपराधों के कारणों को तो समाप्त नहीं करती किन्तु ऐसे कानून अवश्य बना रही है। लोग जो अपराध करेंगे वह तो यही कहेंगे कि हम ने निर्धनता के कारण अपराध किया है पहले लोगों को काम दीजिये और फिर इन चीजों को कीजिये।

---

† मूल अंग्रेजी में

अब रियायत धारा ४२० के अन्तर्गत आने वाले मामलों में भी दी जायेगी । इस का प्रभाव यही होगा कि धोखा देने वाले लोग और भी ज्यादा धोखा जनता को देंगे। इस प्रकार के उपबन्धों से वास्तव में सरकार धोखे बाजों को प्रोत्साहन दे रही है ।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत परिवीक्षा पदाधिकारी पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ही काम करेगा। यदि पुलिस वाले घूस खा कर अपराधी के बारे में झूठी रिपोर्टें देंगे तो वह तो उसे मान लेगा। इस प्रकार पुलिस में और भी ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार तो हमारे प्रशासन में बहुत है। अब और भी ज्यादा हो जायेगा ।

आज कल वर्तमान विधि के अधीन ही दोषसिद्धि बड़ी कठिनाई से होती है। सौ मामलों में से १० मामले सफलता से सिद्ध होते हैं किन्तु अब इन में भी परीवीक्षा होगी। वादी वकील करेगा धन व्यय करेगा। किन्तु अपराधी को कोई दण्ड न मिलेगा। यह भी आवश्यक है कि न्यायालय क्षत्तिपूर्ति ही दिलवादे। इसलिये खण्ड ५ को इसी प्रकार संशोधित करना चाहिये ।

आज अनेकों अपराध होते हैं। चोरियां होती हैं तथा तस्कर व्यापार होता है। इन सब अपराधों के कर्ता इस कानून के अधीन संतुष्ट होंगे ।

आज हर जगह जेब कतरे भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। जब ये जेब कतरे पकड़े जाया करेंगे तो यह भी छूट जाया करेंगे। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इन बातों पर गंभीरता से ध्यान दे ।

सरकार ने एक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी है कि यदि कोई अपराधी सरकारी गबन करें तो उसे छोड़ा नहीं जायेगा। यह ठीक है किन्तु यदि कोई धन गबन कर ले तो वह बच जायेगा। मैं समझा ही नहीं कि इस चीज में क्या सार है। यदि आप संरक्षण ही देने लगे हैं तो सब को दीजियेगा। सरकारी माल तथा लोगों के माल में इतना अन्तर क्यों ?

यह ठीक है कि न्यायालय परिस्थितियों को भी देखेंगे किन्तु जैसे ही केन्द्रीय सरकार कानून बनायेगी वैसे ही न्यायालय भी नरमी बरतनी आरम्भ कर देंगे। अपराधियों को तो भगवान राम, कृष्ण आदि भी सुधार नहीं सके। उन्होंने भी शस्त्र उठाये। महात्मा गांधी भी अपने अनुसरण करने वालों को न सुधार सके। बुरे आदमी केवल कठोर दंड से ही मानते हैं।

इसलिये सरकार को चाहिये कि वह इस विधेयक पर लोगों की राय जानने के लिये इसे परिचालित करे ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर): श्रीमान् जी, मैं इस बिल का स्वागत करती हूं। इस बिल को तो आजादी के फौरन बाद ही आ जाना चाहिये था, जब कि आज आजादी को मिले दस साल से ज्यादा हो गये हैं। जब मैं चीन गई, तो मैं ने देखा कि उन लोगों ने पांच सात बरस के अन्दर ही प्रास्टीट्यूशन और इस तरह की दूसरी बातों को वहां से हटा दिया था। मैं वहां के हर होम में गई और मैंने देखा कि उन में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। इस में कोई शक नहीं है कि पांच सात बरस में जितना उन्हों ने वहां काम किया, जितनी समाज की शक्ल बदली, उतना हम नहीं कर सके हैं। यह एक सही बात है। लेकिन उन को देखने के बाद मेरी राय यह हुई है कि ऐसा करना नामुमकिन नहीं है—हरेक चीज मुमकिन है, अगर इन्सान का इरादा और दिल उस तरफ हों ।

इस बिल में मेरी भी शरकत है और मुझे इस के बारे में यह कहना है कि इस को समझने के लिये लाइयर की काबलियत की जरूरत नहीं है। मैं देख रही थी कि हमारे आगे पीछे, सब तरफ, लाइयर्स ही इस बिल पर बहस कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जगह बदल लेनी चाहिये आपको ।

श्रीमती उमा नेहरू : लेकिन बात यह है कि मैं लाइयर तो नहीं हूं, पर थोड़ी सी कामनसेन्स मुझ में है । मैं समझती हूं कि अगर मैं उस कामनसेन्स का इस्तेमाल कर के इस बिल को देखूं, तो एक क्रिमिनल लाइयर की तरह मैं भी इस बिल के चिथड़े और धज्जियां कर सकती हूं । लेकिन जब मैं समाज की मारेलटी की तरफ देखती हूं और समाज के मारल्ज को उठाने का ख्याल करती हूं, तो मैं समझती हूं कि यह बिल हमारे लिये गाड-सैन्ट बिल आया है । इसलिये मुझे कानून की कोई चिन्ता नहीं है—चिन्ता इस बात की है कि हम ने समाज की सूरत को बिल्कुल बदल देना है, समाज में हम को परिवर्तन करना है, उस को कोने कोने में परिवर्तन करना है । और वह परिवर्तन क्यों करना है ? अगर समाज में परिवर्तन आप नहीं करते हैं, तो जो आजादी आप ने ली है, यह नहीं रहने पायेगी । क्या समाज में परिवर्तन इतना दुश्वार है, इतना मुश्किल है और क्या यह बिल कुछ भी नहीं है ? इस बिल के बारे में कई शकूक का इजहार किया गया है । कहा गया है कि साहब, प्राबेशन आफिसर्ज इस काबिल नहीं होंगे, वहां करप्शन होगी, फलां चीज होगी । लेकिन इस हाउस में कोई यह नहीं सोचता कि आखिर यह गवर्नमेंट भी तो कुछ दिमाग रखती है । जब वह कोई बिल लाती है और समाज में कुछ परिवर्तन करना चाहती है, तो उस के सामने भी ये मुश्किलें होती हैं और उन मुश्किलों को वह हल करना चाहते हैं । आजादी मिलने के इतने बरस बाद यह बिल हमारे सामने आया है । आज गवर्नमेंट इन मुश्किलों को हल करना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले समाज का नक्शा बदलो और फिर इस बिल को लाओ । इसमें आप ने कोई कमाल तो नहीं किया । पहले बरसों तक समाज को बदला जाय और फिर यह बिल लाया जाय । मैं कहना चाहती हूं कि पहले आजादी के बारे में भी हमारे मुल्क में यही बहस होती थी । जो भाई बहन आजादी की लड़ाई में सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे, उन से बार बार कहा जाता था कि अभी मुल्क इस काबिल नहीं है कि वह आजाद हो । मुल्क आजाद हुआ और आजाद होने के बाद यहां कितने परिवर्तन हुए । यहां बड़े बड़े कानून लाये गये और बड़े बड़े काम किये गये । लेकिन इस छोटे से कानून के बारे में हरेक वकील ने अपना अपना नख्शा और अपनी अपनी तस्वीर बना कर रख दी है—कोई दो तस्वीरें एक नहीं हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर इस बिल को देखना है, तो वकील की निगाह से नहीं, दूसरी निगाह से देखना है ।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इस बिल में जो भी रिफार्म्ज रखे गये हैं, जो भी परिवर्तन करने का इरादा किया गया है, इस मसले के हरेक पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार कर के ही उन को रखा गया है । मुझे मालूम नहीं कि जो भाई बहन इस बिल के बारे में बोले हैं, उन में से कितनों ने इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ा भी है

हमारे यू० पी० में तो जेलों के बारे में बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है । वहां के कैदी बाहर के बड़े बड़े काम भी करते हैं और एक तरीके से वे आजाद हुये । जो लोग आजाद हुये, उनमें से एक धोबी था और एक बार्बर । उन का कहना है कि हमें साधन दो, सब चीजें दे दो, हम अपना काम खुद करेंगे । आज दिन भी वे लोग मुझ से मिलते हैं और उस के बाद उन्हों ने कोई चोरी वगैरह नहीं की । जैसे हम लोग रहते हैं, वैसे ही वे भी रहते हैं ।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इस संसार में कोई क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, बल्कि क्रिमिनल्स तो बनाये जाते हैं । हम उन को क्रिमिनल बनाते हैं, समाज उन को क्रिमिनल बनाता है, सर्कमस्टांसिज से वे क्रिमिनल बनते हैं । अब हम ने पक्का इरादा कर लिया है कि हम इन सर्कमस्टांसिज को बदलेंगे और समाज में परिवर्तन लायेंगे । मुमकिन है कि मेरे बैठने के बाद लोग यह कहेंगे कि जो कुछ मैं कह रही हूं, उस में इमोशन ज्यादा है, उस में कानूनी बात नहीं है, कानूनी आंकड़े उस में नहीं हैं । इस लिये ऐसे लोगों से —वकीलों से— मेरा कहना है कि जब तक आप

अपने कानूनी दिमाग को नहीं हटायेंगे, तब तक आप को हमारा नक्शा साफ नहीं दिखाई देगा। अगर कोई चोर चोरी करता है, तो हम उस की जरूर शुद्धि करेंगे और कोशिश करेंगे कि वह फिर चोरी न करे हम इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हैं कि अगर जुर्म हल्का है, तो उस को रहने दो और अगर जरा संगीन है, तो क्रिमिनल ला को ले आओ। मैं कहना चाहती हूं कि हमें क्रिमिनल ला बदलना चाहिये। इस वक्त हमारे कंट्री में जो क्रिमिनल ला है, उस में बहुत नुक्स हैं, और इसलिये उस को बदलना चाहिये। इस लिये जरूरत इस बात की है कि इस ख्याल को सामने रख कर, इतना अन्याय न हो, यह देख कर, इन्सान को इतना गिरा हुआ न समझ कर हमारे वकीलों को इस नक्शे को देखना है।

इस के बाद मैं यह कहना चाहती हूं कि जब यह काम होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे होम्ज बनाये जायेंगे, जहां कि छूटे हुए कैदी और माफी पाए हुए आफेन्डर रह सकें और उन की रक्षा की जा सके, उन को रिहैबिलिटेट किया जा सके, उन का ख्याल रखा जाय और उन को इन्सान बनाया जाय। मुझे यह नक्शा इस बिल में दिखाई देता है। हमारी कोशिश यह है कि जिस को हम जुर्म समझते हैं, हम उस जुर्म को मिटायेंगे। मैं भी कई बार जेल गई हूं और मैं ने जुवेनाइल जेलों को भी देखा है और उस वक्त देखा है जब अंग्रेजों का राज्य था। वहां पर बच्चों को मैं ने देखा है, १४–१५ वर्ष की लड़कियों को देखा है और जब वे वहां से निकल कर बाहर जाते थे तो और ज्यादा बड़े क्रिमिनल बन जाते थे, वहां पर उन को और भी ज्यादा क्रिमिनल बना दिया जाता था। बजाय इस के कि उन को मारल मैंस बनायें, समझायें, गाली दे कर मारपीट कर और हजारों तरह से तंग किया जाता था और एक बार जब उन को छोड़ भी दिया जाता था उस के बाद फिर वे जेल में ही आते थे। यह चीज हमें नहीं करनी है।

अगर किसी इन्सान से गलती हो जाती है तो इंसान का फर्ज है कि उस को माफ कर दे। यह जो भावना है इसे हमें लोगों में पैदा करना होगा।

यहां पर जजों का भी जिक्र किया गया है। जो नक्शा और जो सूरतें हम पैदा करना चाहते हैं उन में हम नहीं समझते कि हमारे जो जज हैं वे भी उस रंग में नहीं रंगे जायेंगे। जो भी नुक्स हम इस में देखते हैं वह हमारे देखने का नुक्स है। हमें इस को जिस भावना से देखना चाहिये उस भावना से नहीं देख रहे हैं।

इस बिल का मैं फिर स्वागत करती हूं और समझती हुं कि मिशनरी स्पिरिट से इस बिल को यदि आगे नहीं बढ़ाया जायेगा, तो कुछ नहीं होगा। मैं ने कमेटी में भी कहा था और अब भी मैं कहती हूं और मेरी यह निश्चित राय है कि इस बिल के अन्तर्गत जो अफसर रखे जायें उन में से ज्यादा तर औरतों को——बड़ी उम्र की औरतों को ही रखा जाय क्योंकि वे बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हैं। वे उन बच्चों को जो उल्टे रास्ते पर जाते हैं, फिर से सीधे रास्ते पर लाने में ज्यादा सफल हो सकती हैं।

†श्री नौशीर भरूचा: इस सभा में जो भाषण मैं ने सुने हैं उस से तो यही अनुमान हुआ है कि अपराधी भाग्यवान हैं। खैर संयुक्त समिति ने भी इस विधेयक में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किये हैं। मैं सुधार के विरोध में नहीं हूं किन्तु प्रश्न यह है कि क्या आज हमारा समाज इस योग्य है कि ऐसा सुधार हो।

सब से अन्तिम वक्ता ने जो भाषण दिया है वह वास्तविकता से बहुत दूर है। ये लोग शायद यही समझते हैं कि दुनिया में हरेक अपराधी को सुधारा जा सकता है। इन्होंने अपराधी दुनिया नहीं देखी।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरुचा]

सब से बड़ी त्रुटि यही है कि आवश्यक परिस्थितिया बनाये बिना ही हम देश में इस विधेयक को लागू कर रहे हैं। एक जिले में जिसका क्षेत्रफल ५००० वर्ग मील होता है एक या दो परिवीक्षा अधिकारी क्या कर सकेंगे ?

संयुक्त समिति ने इस विधेयक में जो थोड़े परिवर्तन किये हैं वह प्रक्रिया सम्बन्धी हैं। वास्तव में विधेयक के खण्ड ३, ४ तथा ६ की कड़ी आलोचना की जा सकती है।

खण्ड ३ के अधीन न्यायालय, ऐसे व्यक्तियों को परिवीक्षा पर या चेतावनी देकर छोड़ सकता है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धाराओं ३७९, ३८०, ३८१, ४०४ या ४२० के अधीन अपराध किये हों।

प्रवर समिति में हम ने उन राज्यों से यह सूचना भी नहीं मंगाई जहां इस प्रकार की व्यवस्था है ताकि यह पता चले कि सफलता कहां तक मिल रही है।

यदि परिवीक्षा या चेतावनी के लिये आयु निर्धारित होती तो भी यह व्यवस्था उचित ही कही जा सकती थी। अब अगर आप एक ७० वर्ष के व्यक्ति को चेतावनी दें तो उससे क्या लाभ ? इसके अतिरिक्त वादी के लिये पर्याप्त क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी नहीं की गई है। एक मामले में एक दंडाधिकारी ने यह कहा था कि वादी के दांत का मूल्य १५ रुपया है। इसका कारण यह था कि दांत लगाने वाले डाक्टर एक दांत लगाने के १५ रुपये लेते हैं। किन्तु अपराधी ने कहा था कि श्रीमान् यह तो ज्यादा कीमत है।

इसी प्रकार एक वधकल्प सदोष मानव हत्या के अपराध में भी एक दंडाधिकारी ने ऐसा ही निर्णय दिया था। मेरा आशय यह है कि दंडाधिकारी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। उन्हें तो यह दिखाना होता है कि कितने मामले उन्होंने निपटाये हैं। मैं तो खण्ड ३ का समर्थन नहीं कर सकता।

खण्ड ४ के अनुसार एक अपराधी जिसने ऐसा अपराध किया हो जिसका दण्ड मृत्यु न हो—वह भी परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकेगा चाहे यह उसका दसवां अपराध ही क्यों न हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उसे यह हक प्राप्त नहीं है हां उस के मामले में इस बात पर विचार किया जा सकता है।

†**श्री नौशीर भरूचा**: चलो यों ही सही। किन्तु मैं जानता हूं जब एक बार यह विधेयक लागू हो गया तो फिर लोग यही समझेंगे कि उन्हें भी हक है।

अब वह अपराधी जिन्होंने बलात्कार तथा अपहरण आदि के अपराध किये हों वे भी परिवीक्षा पर छोड़े जायेंगे। क्या इससे देश की विधि व्यवस्था ठीक चलेगी ?

हम यह नहीं कह सकते कि सभी लोग या समस्त अपराधी अपना नया जीवन आरम्भ करने योग्य हैं। हमें अपराधियों से तो बड़ी सहानुभूति है किन्तु यह कोई नहीं सोचता कि उन लोगों का क्या होता है जिनके परिवार के सदस्य इन के द्वारा मार दिये जाते हैं। मेरी अपनी राय तो यह है कि ऐसे हत्यारों को फांसी दे दी जाये। इससे दूसरे लोगों को भी यह ध्यान रहेगा कि अपराध न करना ही अच्छा है।

---

† मूल अंग्रेजी में

राज्य का पहला कर्तव्य है कि देश की विधि तथा व्यवस्था ठीक रहे। आज क्या हालत है ? कोई यह नहीं कह सकता कि स्थिति संतोषजनक है। इस मामले में सरकार ने यथार्थ को बिल्कुल भुला दिया है।

खण्ड ६ के अनुसार यदि किसी अपराधी की आयु छः वर्ष की है तो उसे कारावास में तो भेजा ही नहीं जायेगा। इस देश में औसत आयु तो २६ वर्ष है। मैं यह पूछता हूं कि २१ वर्ष तक का आदमी अपराध करने योग्य नहीं होता। यू० पी० के एक न्यायाधीश ने कहा है कि २१ वर्ष के नीचे की आयु के ज्यादा लोग अपराध करेंगे और उनको संवारा भी न जा सकेगा। इस खण्ड के अधीन जो लोग अभ्यस्त अपराधी हैं वह २१ वर्ष से कम आयु के लोगों से अपराध करायेंगे। क्या कोई कह सकता है कि बम्बई में परिवीक्षा का काम संतोषजनक ढंग से चल रहा था। यह तो युक्तियुक्त बात है यदि हम अपवादों की व्यवस्था करें कि यदि कोई २५ वर्ष से अधिक का व्यक्ति कभी कभी अपराध कर बैठता है तो उसके सम्बन्ध में आपवादिक व्यवस्था हो सकती है। अब तो माननीय सदस्य केवल एक ही उदाहरण को लिये फिरते हैं। क्योंकि जग्गा डाकू सुधर गया इस कारण सभी सुधर सकते हैं ? हमें तो विधि ज्यादा लोगों के लिये ही बनानी है। कम के लिये नहीं।

यदि हम अपराधी से ठीक क्षतिपूर्ति भी दिलवायें तो भी उसमें क्या हानि होगी। इससे कम से कम वह यह तो अनुभव करेगा कि उसने अपराध किया है और उसी के परिणामस्वरूप वह यह दंड भुगत रहा है। ऐसे तो अपराध बढ़ेंगे। आज एक युवक तेजी से कार चलाकर एक गरीव को मार जाता है वह तो चेतावनी पाकर छूट जायेगा क्योंकि दण्ड दो वर्ष का है किन्तु जो व्यक्ति मरा है उसका क्या होगा। उसके परिवार वाले क्या करेंगे। यदि हम केवल अपराधियों को भी सहानुभूति से पेश आयेंगे तो इससे कोई लाभ न होगा।

खण्ड ५ में यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति क्षतिपूर्ति की रकम अदा न करे उससे वह इस प्रकार वसूल कर ली जाये जैसे अपराधी से जुर्माना वसूल किया जाता है। मैं आप से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर एक वकील के दृष्टिकोण से विचार करें। मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : उपाध्यक्ष महोदय, १९३१ और १९३४ में सरकार ने इस सम्बन्ध में विधान बनाने के प्रयत्न किये पर वे प्रयत्न असफल रहे। मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश मैसूर, बंगाल आदि अनेक राज्य सरकारों ने परिवीक्षा सम्बन्धी विधियां बनाईं। राष्ट्र संघ के अपराध विशेषज्ञ डा० रेकलेख ने भी सिफारिश की कि सम्पूर्ण देश के लिए एक समान परिवीक्षा विधि होनी चाहिये। अपराधियों को सुधारने के लिए कारावास के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से उपाय हैं जिन में परिवीक्षा सब से अधिक लोकप्रिय है। हमें तो अपराधी को सुधार कर समाज का उपयोगी नागरिक बनाना है। खण्ड ३ और ४ में भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधियों को परिवीक्षा पर रखने का उपबन्ध किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने इन खण्डों का विरोध किया है। उनका कहना है कि न्यायाधीशों को इतने अधिकार न दिये जायें--इससे अपराध बढ़ेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अभी हमारा समाज ऐसे क्रान्तिकारी सुधारों को अपनाने योग्य नहीं है। पर ये आलोचनायें ठीक नहीं हैं। न्यायाधीश विवेकपूर्वक इन अधिकारों का प्रयोग करेंगे और रही बात समाज की तो समाज को इन सुधारों को अपनाना ही चाहिए। अतः सरकार ने जो कदम उठाया है वह ठीक ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकारों को छूट होगी कि वे सुविधानुसार अपने राज्यों में इसे लागू करें। विधेयक के खण्ड २ के सम्बन्ध में श्री रघुबीर सहाय ने कहा कि परिवीक्षा की सुविधा केवल उन्हीं अपराधियों को दी जाये जो अपना अपराध स्वीकार कर लें। पर अपराध स्वीकार करने की शर्त जरा कठिन व अव्यवहार्य है।

परिवीक्षा अधिकारी से गुप्त प्रतिवेदन प्राप्त करने की बात भी कही गयी। ठीक ही है, बिना इसके न्यायाधीश के पास कोई आधार ही नहीं होगा। २१ वर्ष की आयु का जो उपबन्ध किया गया है उसके सम्बन्ध में श्री नौशीर भरूचा ने आपत्ति उठाई है। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक बात और है भ्रष्टाचार रोक अधिनियम, १९४७ की धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन आने वाले अपराधों को इस विधेयक के उपबन्धों से निकालने के लिए एक संशोधन रखा गया है। मैं इसका कोई औचित्य नहीं देखता। सरकारी कर्मचारियों को भी यह लाभ अवश्य दिया जाना चाहिए। यह भी आपत्ति की गयी कि परिवीक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यह विधेयक राज्यों के लिए है। राज्य जब समुचित प्रबन्ध कर लेंगे तो इस विधेयक को अंगीकृत करेंगे। अतः इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मेरा तो विश्वास है कि इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें समाज के लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। समाज के विरुद्ध कोई अपराध करने वालों को हमें रोकना चाहिए। इस सम्बन्ध में पंडितों, मुल्लाओं और डाक्टरों की काफी सहायता ली जा सकती है। इस सभा का काम केवल विधेयक पारित करना ही नहीं है बल्कि वास्तव में आज समाज की प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ही खराब व त्रुटिपूर्ण है। यदि समाज में कोई अपराधी है तो उसके लिए समाज ही दोषी है। मैं नहीं कहता कि इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का काम कांग्रेस, साम्यवादी दल या अन्य कोई दल करे बल्कि इस काम को सरल तथा शुद्ध धर्म की सहायता से किया जाना चाहिए।

यदि मेरे सुझाव मान लिये जायें तो आज सरकार को इस प्रकार के विधान बनाने की कोई आवश्यकता न रह जाये।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी): उपाध्यक्ष महोदय, श्री नौशीर भरूचा ने कहा कि सभी अपराधी ऐसे नहीं होते जिनका सुधार किया जा सके। उनका कहना ठीक है। विधेयक भी इस बात को स्वीकार करता है पर मेरा अनुमान है कि पर्याप्त समय देने पर; पर्याप्त उपाय करने पर सभी अपराधियों को फिर से उपयोगी नागरिक बनाया जा सकता है। विधेयक में व्यवस्था है कि अपराध की किस्म; घटना की परिस्थितियाँ तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए ही न्यायालय निर्णय करेंगे कि अमुक व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखा जाये या नहीं।

श्री भरूचा ने कहा कि अपराधी के संबंध में तो इतना ध्यान दिया जाता है पर अपराध से पीड़ित व्यक्ति के संबंध में कुछ भी नहीं किया जाता। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहती हूं कि यदि किसी भी वकील को पता लग जाय कि अमुक व्यक्ति वास्तव में अपराधी है तो वकील को उसकी वकालत नहीं करनी चाहिए। अपराधी को बचाकर हम उसे अवसर

---

† मूल अंग्रेजी में

देते हैं कि वह समाज पर अपने अपराधों का आतंक पैदा करे यह ठीक नहीं। इस विधेयक में उन मामलों में अपराधी को परिवीक्षा पर रखने की व्यवस्था है जो किसी खास परिस्थिति में पड़कर अपराध कर दें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक नवयुवक का किस्सा बताया जो कि एक नेक व्यक्ति था पर उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी हत्या का कारण यह था कि उस व्यक्ति ने हत्या करने वाले नवयुवक की बहन का अपमान किया था। ठीक है, ऐसे नवयुवक को फिर से योग्य नागरिक बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि ऐसे मामले विधेयक की व्याप्ति के बाहर हैं पर मैं चाहती हूँ कि ऐसे मामलों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता।

श्री नौशीर भरूचा ने कारावास की सजा को बहुत लाभदायक बताया। पर सत्य तो यह है कि अपराधियों के सहवास में रहकर नया व्यक्ति भी कट्टर अपराधी बन जाता है। फिर जेल जाने के बाद उस व्यक्ति पर एक कलंक का टीका लग जाता है—समाज उससे घृणा करता है उसको कोई नौकरी वगैरह भी नहीं मिलती अतः वह एक बड़ा अपराधी——समाज की घृणा का शिकार होने के कारण – बन जाता है। अतः प्रथम अपराधी को जेलों में रखना कदापि उचित नहीं है। अपराधी को जेल में न रखने से कई लाभ होंगे। उस अपराधी का सुधार होगा; उसका परिवार अनाथ नहीं होगा; समाज को लाभ होगा और सरकार पर खर्च भी कम पड़ेगा। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि समाज का नैतिक स्तर ऊंचा उठेगा।

२१ वर्ष की आयु के संबंध में श्री भरूचा को जो आपत्ति है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। श्री भरूचा ने यह भी कहा कि पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति अवश्य मिलनी चाहिए। यदि अपराधी क्षतिपूर्ति न कर सके तो उसे जेल भेज दिया जाये। पर इससे क्या लाभ होगा? उचित तो यह होगा कि अपराधी को उसके उत्तरदायित्व के प्रति सजग बनाया जाये और उसे ऐसे साधन दिये जायें कि वह क्षतिपूर्त्ति दे सके। खण्ड ४ (२) की उपधारा (१) के अधीन व खण्ड ६ (२) के अधीन कहा गया है कि परिवीक्षा पदाधिकारी का प्रतिवेदन, यदि कोई हो तो, लिया जायेगा। मैं समझती हूँ कि यदि 'कोई हो तो' शब्द निकाल दिये जायें और परिवीक्षा पदाधिकारी का प्रतिवेदन अनिवार्य बना दिया जाये।

अन्त में मैं इस प्रश्न को लेती हूँ कि क्या सरकारी कर्मचारियों को इस विधेयक के अधीन सुविधा दी जायेगी। सरकारी कर्मचारी भी तो एक मनुष्य है। परिस्थितियों वश वह भी अपराध करने को मजबूर हो सकता है। अतः उसे भी इस विधेयक के अधीन परिवीक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : आज का युग "खून के बदले खून" का युग नहीं है। अपराध को आज मूल मानव प्रवृत्ति नहीं माना जाता। आज तो इस बात पर विश्वास किया जाता है कि परिस्थितियों के वश मनुष्य अपराध कर बैठता है। अतः इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है और हम इसका स्वागत व समर्थन करते हैं।

श्री भरूचा ने खण्ड ३ और ४ की निन्दा की। उनका कहना है कि इन खण्डों द्वारा हम अपराधियों को छूट दे रहे हैं। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। खण्ड ३ में तो यही कहा गया है कि मामले की छानबीन करने के बाद अपरीक्षा को परिवीक्षा पर

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

रखा जा सकेगा। इसमें क्या हर्ज हैं? श्री भरूचा ने हत्या के मामलों के जिक्र पर हत्या के या मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के मामले तो इस विधेयक में रखे ही नहीं हैं। खण्ड ४ के संबंध में उन्होंने आपत्ति की है कि २१ वर्ष तक की आयु के अपराधियों को इस विधेयक के अधीन परिवीक्षा पर क्यों छोड़ा जा सकेगा? इस संबंध में उनका विचार है कि २१ वर्ष की आयु बहुत ज्यादा है। मैं उनको बताना चाहती हूं कि २१ वर्ष की आयु तक व्यक्ति का मानसिक गठन ऐसा होता है कि उसे सुधारा जा सके। अतः २१ वर्ष तक की आयु का उपबन्ध बिल्कुल ठीक तथा समुचित है। मैं विधेयक की दो-एक कमियों के संबंध में भी ध्यान दिलाना चाहती हूं। परिवीक्षा अधिकारियों का प्रश्न है। श्री नौशीर भरूचा ने बताया कि कुछ राज्यों में तो सारे राज्य के लिए एक ही परिवीक्षा पदाधिकारी होता है। यदि हमें इस विधेयक द्वारा समाज को व अपराधी को, दोनों को समुचित लाभ पहुंचाना है तो हमें परिवीक्षा पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करनी चाहिए। हमें अपराधियों का मनो वैज्ञानिक इलाज करना है। इसके बिना समस्या हल नहीं हो सकेगी।

खण्ड ४ (१) में उपबन्ध है कि अपराधी या उसकी प्रतिभूति लेने वाले के रहने के स्थायी स्थान या कारबार के स्थान की ठीक व्यवस्था के संबंध में संतुष्ट हुये बिना न्यायालय उसे परिवीक्षा पर नहीं छोड़ेगा। यह बहुत ठीक है। श्री नारायणन कुट्टि मेनन ने वेश्यावृत्ति के अपराध में पकड़ी गयी महिलाओं का प्रश्न उठाया। ऐसी औरतें पकड़े जाने के बाद-चाहे उन्हें सजा मिले या न मिले अपने घर तो जाने लायक रहती नहीं अतः मेरा निवेदन है कि उनके लिए निकेतनों या आश्रमों की व्यवस्था भी अवश्य की जानी चाहिए जिनमें उनको रखकर उन्हें पढ़ाया जा सके या अच्छा काम-धन्धा सिखाया जा सके।

यह विधेयक उच्च उद्देश्यों से प्रेरित है और उचित समय पर प्रस्तुत किया गया है। श्री नौशीर भरूचा ने स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। मैं मानती हूं कि बहुत से अभ्यस्त अपराधी हैं पर समुचित ध्यान, समय व समझदारी से हम उनका सुधार कर सकते हैं। इस विधेयक में जो कमियां हैं वह धीरे-धीरे दूर हो जायेंगी ऐसी मुझे आशा है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम्): प्रायः ३० वर्ष से दंड प्रक्रिया संहिता की अनुपयोगी धाराएं जैसे ५६१क और ५६२ ज्यों की त्यों पड़ी हैं और १९५८ तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

श्री नौशीर भरूचा की बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। वह दंड विधि के विख्यात वकील होते हुए भी आज के युग में पीछे की ओर देख रहे हैं। आज तो अपराधी को खतरनाक व्यक्ति नहीं समझा जाता वरन् यह समझा जाता है कि उसे मनोवैज्ञानिक सहायता दे कर सुधारा जा सकता है।

डिकन्स के उपन्यासों से पता लगता है कि उसके युग में इंगलैंड में बहुत सख्त दंड दिया जाता था यहां तक कि एक स्थान पर रोटी का टुकड़ा चुराने पर अपराधी को फांसी दे दी गई थी।

---

† मूल अंग्रेजी में

हमारे पूर्वजों को मानसिक वृत्तियों का पूर्ण ज्ञान था। इसी कारण एक मन के लिए मन, बुद्धि, चित्त और प्राज्ञ नाम थे। मनु ने कहा था :—

मनो एव मनुष्याणाम्
कारणन् सुख दुखयो।

आज हम मानसिक वृत्तियों को सुधारने से क्यों कतराते हैं हमारे यहां तो जनक और याज्ञवल्कम का दंड विधान था। राम ने कहा था कि "यदि कोई व्यक्ति एकबार क्षमा प्रार्थना करे और मेरे आश्रय में आ जाए तो यह पर्याप्त है।" हमें यह विचार नहीं करना चाहिये कि यहां सदा सिर काट देने की सजा रही है। इस देश का इतिहास १५ या २० हजार वर्ष पुराना है। इसके इतिहास में २०० वर्ष का काल बहुत बड़ा नहीं है।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम में यह कल्पना की गई है कि दंडाधिकारी केवल दंडविधि के ज्ञाता नहीं होंगे वरन् अपराधियों के समाज के प्रबन्धक और अपराधी की मानसिक वृत्तियों के ज्ञाता होंगे।

डा० सुशीला नायर की इस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ कि सामाजिक कार्य कर्ताओं को परिवीक्षा अधिकारी बना दिया जाए। वे लोग तो हस्पताल आदि का कार्य ही कर सकते हैं। परिवीक्षा कार्य के लिए बहुत योग्य दंडाधिकारी चाहियें।

यह बहुत अच्छा है कि खंड १ (३) को एक सामर्थ्यकारी उपबंध बनाया गया है कि राज्य इसे जब चाहे सारे राज्य में अथवा किसी जिला में लागू कर सकता है। इस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं।

इस विधेयक का प्रारूप ऐसा तैयार किया गया है कि इसमें कहीं कहीं सुधार की आवश्यकता है। उदाहरणतः खंड ४ (२) के अनुसार दंडाधिकारी चाहे तो परिवीक्षा से परामर्श अथवा न ले यह ठीक नहीं है। यदि हम किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कोई आधार होना चाहिये, कोई प्रतिवेदन होना चाहिये।

इसी प्रकार खंड ६ (२) में २१ वर्ष से कम आयु के अपराधियों के मामले में दंडाधिकारी को परिवीक्षा अधिकारी से परामर्श लेने अथवा न लेने का स्वविवेक अधिकार दिया गया है। यहां भी प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिये।

खंड ६ (१) के उपबंध में जो यह कहा गया है कि जो न्यायालय २१ वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों को अपराधी सिद्ध करेगा वह उसे दंडित नहीं करेगा (यदि वह कारावास द्वारा दंडनीय हों) इस उपबंध में 'नहीं करेगा' शब्दों के स्थान 'न करे' शब्द होने चाहियें ताकि दंडाधिकारी के हाथ इस प्रकार बंधे न रहें।

सरकारी कर्मचारियों को सख्त सजा नहीं देनी चाहिये। इस अधिनियम के अधीन यदि कोई क्लर्क या चपरासी मामूली घूस लेने का भी अपराधी हो तो उसे परिवीक्षा नहीं मिल सकती। यह उपबंध केवल उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रखा जा सकता है। परिवीक्षा तो दंडाधिकारी के स्वविवेक पर आधारित है। सरकारी कर्मचारी को यह बात देने से कि उसे परिवीक्षा नहीं मिल सकती क्या लाभ है? यह उनके लिए मनोत्पादक उपबंध कैसे हो सकता है?

[श्री वे० रा० पट्टाभिरामन]

मद्रास और बम्बई में ऐसे विधान हैं और इस अधिनियम से विभिन्न विधानों के उपबंध अधिनियमित हो जाएंगे ।

दंडाधिकारियों को यह स्वविवेकाधिकार दे देना कि वे चाहे तो परिवीक्षा प्रदान करें अथवा न करें एक अच्छा उपबंध है किन्तु आरम्भ में दंडाधिकारियों को इस विषय में अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिये ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि हम लोगों को उनकी नुमाइंदगी करने का, जिन की एक बहुत बड़ी क्लास है, मौका दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ज्यादा मिला है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : हम लोग उनकी भी नुमाइंदगी (प्रतिनिधित्व) करते हैं जोकि क्रिमिनल्स होते हैं और जिन का जिक्र इस बिल में किया गया है । आज तक हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला है कि हम उनके बारे में भी कुछ कह सकें । जिन लोगों का इस बिल में जिक्र किया गया है उनकी बहुत बड़ी तादाद होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जिस तरह का हमारे देश में वातावरण है, जिस तरह की हवा है, जैसा हमारा आर्थिक ढांचा है, उसको देखते हुए मैं तो यह कहूंगी कि यह ताज्जुब होता है कि वे ज्यादा क्राइम्स (अपराध) नहीं करते हैं, ज्यादा क्राइम्स हमारे मुल्क में नहीं होते हैं । आज होम मिनिस्टर साहब ने हमको ऐसे लोगों के बारे में भी अपने विचार इस सदन में रखने का मौका प्रदान किया है । अभी हमारे भरूचा साहब ने काफी कुछ कहा है और मैं उस पर नहीं जाना चाहती । लेकिन आपने कहा कि जो विक्टिम्स (पीड़ित) होते हैं उनका क्या होता है, जग्गा डाकू था उसने कई लोगों को विक्टिमाइज (उत्पीड़ित) किया, उनका क्या हुआ होगा, इस पर हम सोचना चाहिये । आज हमें यह सोचना है कि जो क्राइम्स करने वाले हैं वे भी किसी चीज के विक्टिम हैं, किसी के विक्टिम हैं। पहले हमें इस पर विचार करना चाहिये कि वे किस के विक्टिम हैं और क्यों वे क्राइम्स करते हैं । कोई तो सरकमस्टांसिस (परिस्थितियों) के विक्टिम होते हैं, कोई हालात के विक्टिम होते हैं लेकिन हम लोगों को आफसिस करने से रोक नहीं सके हैं, ऐसा तरीका नहीं निकाल सके हैं कि वे इन क्राइम्स को न करें। आज हमें उनके बारे में भी सोचना होगा और हमदर्दी के साथ सोचना होगा । जब कभी किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो हम उस बीमारी का इलाज भी ढूंढते हैं और यह भी देखते हैं कि उस बीमारी की वजह क्या है । यहां पर भी जो वजह है उस क्राइम के होने की उस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये ।

इस चीज पर हमारे बहुत से आनरेबल मैम्बर्स ने अपने विचार प्रकट किये हैं, इस वास्ते मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं । लेकिन उन्होंने कहा कि वे कौन से हालात होते हैं जिन में चोरी की जाती है या और क्राइम्स किये जाते हैं, किस तरह से गरीबी की वजह से, भूख की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से कौन कौन क्या क्या क्राइम्स नहीं करता है, इसको हम दिन रात देखते हैं । आज पुराने ज़माने की बात को हम दौहरा नहीं सकते हैं जबकि सिर का बदला सिर से लिया जाता था, दांत का बदला दांत से लिया जाता था । हमारे लिये यह जरूरी है कि हम सोचें कि आखिर सजा का एम क्या है, पनिशमेंट (दंड) जो दी जाती है क्या वह उसमें सुधार लाने की भावना से दी जाती है या उसको फिर क्राइम करने के लिये मजबूर किये जाने की भावना से दी जाती है । साथ ही साथ जब भूख का प्रकोप हो, जब यह बहुत फैल जाये तो जाहिर है कि हम सोचें कि हम उसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं । और उस का इलाज सोचते हैं। मैं समझती हूं कि यह एक बहुत मुबारक बिल है,

एक अच्छा और सही कदम है जो कि हमारी हुकूमत ने उठाया। इस बिल में उस ने सजा देने के बजाय उसे सुधारने की तरफ अपनी नजर दौड़ाई। आज हमारे यहां जो क्रिमिनल्स (अपराधी) होते हैं, जिन का बिल में जिक्र है, कोई चोरी कर लेता है, हमेशा उस के लिये यह होता है कि जेल में डाल दिया जाता है। आज कौन कह सकता है कि उस के बच्चों का क्या होता है? खुद क्रिमिनल का जीवन क्या होता है, इस की तरफ कोई तवज्जह नहीं करता। क्रिमिनल भी थोड़ी सी क्राइम कर के जेल में चला जाता है, जेलों में वह और क्रिमिनल्स के साथ रहता है और ज्यादा पक्का क्रिमिनल हो जाता है। बाहर तो बीवी भूखों मरती है, बच्चे भूखों मरते हैं और भीतर वह और ज्यादा खराब होता जाता है। उन की तरफ किसी की तवज्जह नहीं होती। इस लिये हम जब इन सामाजिक चीजों की तरफ सोचते हैं तो हमारे लिये जरूरी है कि हम सिर्फ उन के विक्टिम्स के बारे में ही न सोचें, बल्कि हम उन की तकलीफ को भी सोचें, उन्हें सुधारने की ओर भी ध्यान दें।

साथ ही साथ इस विधेयक में जो प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर छोड़ने की बात है उसे हमें वेलकम करना चाहिये क्योंकि आदमी सजा से कम डरता है, सख्ती से कम डरता है, जो पब्लिक ओपीनियन होती है वह उस से डरता है। जब हम लोग अक्सर जेल जाया करते थे और बाहर आया करते थे तो लोग हार पहनाते थे, बड़ी इज्जत होती थी। इस लिये लोग जेल की यातनाओं से नहीं डरते हैं, उस के साथ जो अपमान होता है उस से डरते हैं, और यह चीज ऐसी है कि अगर कोई एक दफा क्राइम करता है और जेल जाता है तो उस की शर्म चली जाती है, हया चली जाती है और वह पक्का क्रिमिनल बन जाता है। अगर उस को ठीक से मनुष्यता के नाते देखा जाये तो उस का सही इलाज हो सकता है। हमारे होम मिनिस्टर साहब को याद होगा, एक दफा मैं ने उन को एक बच्चा ले जा कर दिखलाया। दस बरस का बच्चा जो बीमार था, टाईफाइड का मरीज था, अस्पताल में इलाज कराने के लिये दाखिल हुआ। पुलिस ने उस के पैरों में बेड़ियां डाल कर रक्खी थीं। जब मैं ने होम मिनिस्टर को ले जा कर दिखलाया तो, मुझे खुशी हुई, उन्होंने हुक्म दिया कि किसी छोटे बच्चे को हथकड़ी और बेड़ी न डाली जाय। और देशों में यह है कि जब तक कुसूर साबित नहीं हो जाता है, कोर्ट में जाता है, तो मुकदमा होता है, उस के बाद जब तक कुसूर साबित नहीं हो जाता है, जब तक उस का फैसला नहीं होता है कि उस ने चोरी की है या नहीं, वह चोर है या नहीं, तब तक उस के साथ कठोर व्यवहार नहीं होता है। लेकिन बदकिस्मती हमारे देश की कि यहां कायदा यह है कि अपराध साबित होने से पहले ही हथकड़ी लगा कर, सरे आम बाजारों और दूकानों के सामने से जुलूस निकाल कर उस का प्रदर्शन किया जाता है जिस से उस को बड़ा धक्का लगता है। यह छोटी छोटी चीजें हैं जिन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। इस चीज को कोई नहीं जानता कि आग चल कर उस का क्या होगा, हो सकता है कि अदालत में जा कर वह छूट जाये, लेकिन हम ने पहले ही उस के हाथ में हथकड़ी लगा कर जनता के सामने, सरे बाजार उस का प्रदर्शन कर दिया। हमारा फर्ज है कि हम ऐसी सब चीजों की तरफ ध्यान दें। जब होम मिनिस्टर ने कहा कि बच्चों को हथकड़ी नहीं पहिनानी चाहिये तो उन से कहा गया कि बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दूसरे लोग भी तो भाग जाते हैं, पर उस के माने यह नहीं होते हैं कि जनता के सामने उन की शर्म और लाज तोड़ दी जाय ता कि वह चोर न होते हुए भी पक्के चोर हो जायें। इस लिये मैं इस बिल का स्वागत करती हूं।

एक बात और आप से अर्ज करना चाहती हूं। जो प्रोबेशन आफिसर्स हों, मैं चाहती हूं कि वह हमेशा इस की तरफ खास तवज्जह दें। ऐसा न हो कि वही लोग गैंग्स बना लें और हम लोग चोरी करने वालों को प्रोबेशन पर छोड़ छोड़ कर उन के सुपुर्द कर दें और वे लोग चोरी कर के उन्हीं लोगों को कमा कर खिलायें। कहीं ऐसा न हो जाये कि उन लोगों का रिंग बन जाय। हम लोग जब कभी जेल जाते थे तो सुनते थे कि कभी कभी ऐसा होता है बाहर जो क्रिमिनल्स होते हैं वह जेल जा कर आफिसर्स के दोस्त बन जाते हैं। डाके मार कर बाहर वह आफिसर्स को खिलाते हैं और जब वे अन्दर

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

जाते हैं तो आफिसर्स उन का स्वागत करते हैं। जैसे इन आफिसर्स की हालत है वैसे ही कहीं यह खतरा न हो जाये कि प्रोबेशन आफिसर्स चोरों को साथ ले कर कहें कि हम उन की निगरानी करते हैं और उन की मदद करने लगें। जिस तरह बोगस अनाथालय होते हैं। ऐसा न हो कि चोर लोग रात भर चोरी करने लगें और प्रोबेशन आफिसर्स उन की रक्षा करने लगें। इस लिये इस की तरफ खास तवज्जह दी जानी चाहिये।

यह भी मैं अर्ज करना चाहती हूं, जैसे हमारे एक आनरेबल मेम्बर ने कहा कि मेहरबानी कर के अगर सोशल वर्कर्स के सुपुर्द यह काम न किया जाये तो आप की बड़ी दया होगी। कम से कम मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट के सुपुद तो कभी न किया जाये। अभी भी दस्तखत कराने वालों, मोहर लगाने वालों की कितनी तादाद है यह नहीं कहा जा सकता। कुछ मुकर्रर नहीं है कि कितनी किस्म की चीजों पर हमें दस्तखत करने पड़ते हैं। कितने किस्म के सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, कितने किसम के सच्चे सर्टिफिकेटों और कितने किस्म के झूठे सर्टिफिकेटों पर मुहरें लगानी पड़ती हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में अफीम का कोटा गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर दिया। यहां के म्यूनिसिपल कोंसिलर्स को मुहर लगा कर अफीम बांटने का काम करना पड़ा। इस लिये मुझे यह अर्ज करना है कि यह काम ऐसा होना चाहिये जो कि सरकार के बाकायदा अफसरों का काम हो। जो सोशल वर्कर्स हों उन का ही यह काम नहीं होना चाहिये। यह ठीक है कि जो प्रोबेशन आफिसर्स हों उन्हें ऐसा होना चाहिये कि उन का आउटलुक सोशल हो, तमाम चीजों की वाकफियत उन को हो और उन को सरकार का आदमी होना चाहिये, सरकार का कर्मचारी होना चाहिये और उन के सुपुर्द यह काम किया जाना चाहिये।

इतना कहने के बाद मैं कहना चाहती हूं कि हमारे होम मिनिस्टर ने जो बिल रखा है वह एक बहुत साइंटिफिक बिल है और मैं उस का स्वागत करती हूं। जैसा भरूचा साहब ने कहा आज इन्सान की कुछ खास बीमारियां होती हैं। आज दुनिया तरक्की कर गई है, हर एक को चाहे वह बीमारी हो या क्राइम हो, उसे साइंटिफिक रूप में देखना चाहिये, ऊपर ऊपर से ही उस का इलाज नहीं किया जा सकता।

†**श्रीमती आल्वा** : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर पहले पहल गत सत्र में चर्चा हुई थी, आज उस पर जो रोचक वाद-विवाद हुआ है उसको मैं ने सुना है। अभी तक कुछ माननीय सदस्यों की गलत धारणाएं हैं। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि कम से कम चुने हुए नवयुवक अपराधी समाज में पुनः स्थान पा सकें और इस प्रयत्न में भय के स्थान पर आशा को रखा गया है इसी प्रकार वाद विवाद में भय और आशा का संयोग दिखाई देता है।

हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि बच्चे को मारा न जाए तो वह बिगड़ जाता है यदि हम गवेषणा पर निर्भर करते हैं, यदि हम ने घर पर नया ढंग अपना लिया है तो इस ढंग को देश भर में विस्तृत क्षेत्र में क्यों न अपनाया जाए।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के खंड ३, ४, ६ और ११ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है किन्तु खंड १ को नहीं पढ़ा है। खंड १ में . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर अब परसों चर्चा करेंगे।

अब श्री भरूचा द्वारा प्रस्तावित आधे घंटे की चर्चा होगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

*सैन्टा क्रूज़ हवाई अड्डा

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं बम्बई के सैन्टा क्रूज हवाई अड्डे के विकास और आधुनिकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा शुरु करना चाहता हूं । मैं ने १९ मार्च १९५८ को यह प्रश्न पूछा था कि सैन्टा क्रूज हवाई अड्डे में बहुत सी त्रुटियां हैं और क्या उस के निर्माण के लिए विशेषज्ञों का परामर्श लिया गया था । सरकार का उत्तर था कि देश में सब उपलब्ध परामर्श लिया गया था ।

[**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** पीठासीन हुए]

सैन्टा क्रूज हवाई अड्ड़े को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है किन्तु वहां की स्थिति अच्छी नहीं है । इस की रचना में बहुत सी त्रुटियां हैं । धावन पथ इतना कम लम्बा है कि भारी और तेज विमानों के उतरने और चढ़ने की सुविधा नहीं मिल सकती । अतः इस के निर्माण में यह भारी त्रुटि रह गई है ।

दूसरी बात मैं अखबारों से प्राप्त सूचना के आधार पर कह रहा हूं । ७ मार्च १९५८ के 'टाइम्स आफ इंडिया' में लिखा था कि धावन पथ भवन के पास से आरम्भ होता है और आने तथा जाने वाले विमानों के लिए एक ही मार्ग है और इसे भी बड़े विमानों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है । इन साधारण त्रुटियों के अतिरिक्त और भी बड़ी बड़ी त्रुटियां हैं । यात्रियों के लिए वर्षा में कोई सुविधाएं नहीं । विश्राम के केवल ७ कमरे हैं जो कि अपर्याप्त हैं ।

एयर लाइन्स चालकों के लिए भी पर्याप्ति स्थान का प्रबंध नहीं है । उस के बाद सब से बड़ी त्रुटि यह है कि ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क कार्यालय के लिये उचित व्यवस्था नहीं है, एक छोटी सी इमारत इसको दे दी गई है और जिसके विस्तार के लिए वहां कोई गुंजाइश नहीं है ।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि गलत योजना के लिए उत्तरदायी कौन है तथा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सलाहकारों को कितनी धन राशि दी गई और सैन्टा क्रूज के आधुनिकीकरण पर कितना व्यय किया गया । मेरा निवेदन है कि सारे घोटाले की जांच होनी चाहिये ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : सब से पहले मैं इस विषय में यह पूछना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना और असैनिक उड्डयन विभाग में कितना सहयोग था; यदि दोनों में समन्वय न हो तो आयात काल में हमारा विमान बन्द हवाई अड्डों का प्रयोग नहीं कर सकता । दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि असैनिक उड्डयन विभाग ने इस हवाई अड्डे के निर्माण में क्या नियंत्रण किया । दोष किसका है उड्डयन मंत्रालय का या सार्वजनिक निर्माण विभाग का ।

तीसरे क्या असैनिक उड्डयन विभाग के उच्च पदाधिकारी निर्माण के पश्चात् इस का परीक्षण करने गये थे । यह उन का कर्तव्य है । सैन्टा क्रूज हवाई अड्डे में बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और उस के निकटवर्ती पहाड़ी पर कई विमान गिर चुके हैं । यदि इस पर भी सावधानी न बरती जाय तो बड़े दुख की बात है । मैं यह भी जानना

---

† मूल अंग्रेजी में

*आधे घंट की चर्चा ।

[श्री जोकीम आल्वा]

चाहता हूं कि जिन महानुभावों के अधीन निर्माण कार्य हुआ क्या उन्होंने दमिश्क तथा बैरूत के हवाई अड्डों को भी देखा था । ये हवाई अड्डे जेट आदि विमानों के लिए भी पूर्णरूप से सुरक्षित हैं । इन्हें देखने पर तो अधिक व्यय नहीं होता था ।

बम्बई के उदाहरण से स्पष्ट है कि हमें कलकत्ते और दिल्ली के हवाई अड्डों को भी ठीक करना होगा । १९ मार्च १९५८ को पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं दिया गया है । उसमें केवल यह कहा गया है कि विमानों के चढ़ने और उतरने की सुविधाएं दी गई हैं और ये वर्तमान यातायात के लिये पर्याप्त हैं । विद्यमान यातायात के लिए तो सुविधाएं पर्याप्त हुई किन्तु हमें बढ़ते हुए यातायात के लिए योजना बनानी है । १९६० में जेट युग के पूर्णतः आने पर यह हवाई अड्डा कुछ काम नहीं देगा । जब तक हम सारी प्रणाली को ठीक नहीं करते हम इन कठिनाइयों में फंसे रहेंगे और वैमानिक यातायात से लाभ नहीं उठा सकेंगे ।

इस समय हमें जान लेना चाहिये कि संचार मंत्रालय भविष्य के लिए क्या योजना बनाएगा हमें तो भावी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है, केवल वर्तमान का ही नहीं । हम चाहते हैं कि हमारी सरकार निर्माण के लिए खुले तौर पर धन ले ले और जो चीज बनाए वह ऐसी हो जो कम से कम एक शताब्दी तक तो चले ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** मैं पूर्व खानदेश और उत्तर कनारा के अपने माननीय मित्रों का आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई है, क्योंकि इस से मुझे कुछ गलत धारणाओं को दूर करने और कुछ गलतियों को स्वीकार करने का अवसर मिला है । गलतियों को स्वीकार करना बुरी बात नहीं, क्योंकि उस से भविष्य में गलतियों को रोका जा सकता है ।

मेरे माननीय मित्र श्री नौशीर भरूचा ने कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया है और मैं यह स्पष्ट करूंगा कि उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है । परन्तु यदि हवाई अड्डे के सम्बन्ध में उन की कोई आदर्श कल्पना है तो मुझे पता नहीं कि विश्व में आदर्श हवाई अड्डा कौनसा है । आदर्श हवाई अड्डे के बारे में सभा की कोई धारणा होनी चाहिये । उन्होंने कुछ हवाई अड्डों का उल्लेख किया है । हम ने बहुत से हवाई अड्डे देखे हैं और अपने हवाई अड्डों के साथ उन की तुलना करते हुए हम देखते हैं कि सैन्टा क्रूज का हमारा हवाई अड्डा और अन्य हवाई अड्डे, जिन का विकास हो रहा है, विश्व के सब से अच्छे हवाई अड्डों की तुलना में बुरे नहीं हैं ।

मेरे पास जो थोड़ा समय है उस में मैं यह बताना चाहता हूं कि सैन्टा क्रूज हावई अड्डा कैसे बनाया गया था और क्या कोई गंभीर गलती हुई थी और भविष्य में इस हवाई अड्डे का किस प्रकार विकास किया जाएगा जिस से जेट युग का प्रयोजन सिद्ध हो सके । गत पांच या दस वर्षों में आधुनिक प्रकार के विमानों के आविष्कार के कारण विश्व में हवाई अड्डों के स्वरूप की धारणा में महान परिवर्तन हो गया है । १५ वर्ष पूर्व बोइंग तथा कामेट विमानों की कल्पना नहीं की गई थी और ला गार्डिया जैसे हवाई अड्डे या आइडल फील्ड जैसे हवाई अड्डे जेट युग के लिये नहीं बनाए गये थे क्योंकि किसी को ज्ञात नहीं था कि जेट युग आ रहा है और उस के लिए कैसा धावन पथ मशीनें

---

†मूल अंग्रेजी में

और वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्कता होगी अतएव यद्यपि उस समय अमरीका में ला गार्डिया बहुत अच्छा हवाई अड्डा था तो भी उन्हें आइडलफील्ड का हवाई अड्डा बनाना पड़ा था क्योंकि ला गार्डिया का हवाई अड्डा जेट युग के अनुकूल नहीं था । और तो और लंदन, हीथरो, पैरिस, दमिश्क, काहिरा या खारतूम जैसे हवाई अड्डे भी जेट युग के अनुकूल नहीं थे । परिणाम यह है कि हवाई अड्डे के स्वरूप की कल्पना में ही बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है जिस के कारण आपका हवाई अड्डा किसी प्रकार भी आदर्श हवाई अड्डा नहीं बन सकता । मीलों लम्बे धावनपथ वाला हवाई अड्डा नहीं बनाया जा सकता । ज्यादा से ज्यादा २ $^1/_2$ मील तक लम्बी पट्टी हो सकती है । हमारे हवाई अड्डे इतने बड़े नहीं हो सकते कि बम्बई और दिल्ली के अन्तर का आधा हवाई अड्डे में ही आ जाए । विमान उद्योग में परिवर्तन हो रहा है ताकि ऐसे विमान न हों जिन के लिए इतने लम्बे धावन पथ की आवश्यकता पड़े कि वे बड़े बड़े नगरों में बनाए ही न जा सकें ।

अब मैं सैन्ट क्रूज़ हवाई अड्डे की बात लेता हूं । बम्बई कलकत्ता या दिल्ली जैसे नगर में इतनी बड़ी जगह नहीं मिल सकती कि आप ३ या ४ मील और कभी कभी ४ या ५ मील लम्बे हवाई अड्डे बना सकें । संसार में एसे हवाई अड्डे हैं जो नगर से ५५ मील तक दूर हैं। बफेलो नगर में ३१ मील, पश्चिमी जर्मनी में ५० मील की दूरी पर हवाई अड्डा है क्योंकि इन बड़े नगरों में विस्तृत जगह नहीं है । मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि इन कठिनाइयों को समझना चाहिये । हमारी इच्छा तो कुछ भी हो सकती है किन्तु उस इच्छा का सम्बन्ध इस बात से होना चाहिये कि बम्बई, दिल्ली या कलकत्ता जैसे नगर के समीप कैसा हवाई अड्डा बन सकता है ।

अब हम बम्बई के सैन्टा क्रूज़ हवाई अड्डे को आधुनिक आधार पर बना रहे हैं । मैं माननीय मित्रों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश में सैनिक अथवा असैनिक जितने भी हवाई अड्डे हैं उन में सैन्टा क्रूज़ का धावन पथ देश में सब से बड़ा और सब से मजबूत है । निस्संदेह यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं भारत की ही बात कर रहा हूं । यह धावन पथ प्रारम्भ में ८२०० फुट लम्बा था जो कि वाइकिंग, वाइकाउंट, कांस्टलेशन और सुपर कांस्टेलेशन विमानों के लिए काफी था किन्तु यह अब नये विमानों के लिये पर्याप्त नहीं । इसलिये हम ने हाल में इसको लगभग २ मील और लम्बा किया था; अब हम इसे लगभग १२,००० फुट और बढ़ा रहे हैं, जिस पर कोई चार करोड़ रुपये खर्च होंगे इससे अधिक उसे लम्बा करना संभव नहीं है क्योंकि इसके बीच या तो कोई पर्वत या कोई नगर या रेलवे लाइन आ जाती है,। हमारे कार्य में उक्त बाधायें आ गई हैं । संसार में कहीं भी १२००० फीट लम्बा धावन मार्ग नहीं है । इसलिये यह इस समय के लिये पर्याप्त है क्योंकि यदि किसी विमान को इससे भी अधिक लम्बे धावन मार्ग की आवश्यकता होती है तो आधुनिक जगत में इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है ।

सैन्टा क्रूज़ के धावन मार्ग को विस्तृत करने में भी हमें एक नाला पड़ेगा और कई पुल बनाने होंगे । अन्ततः यह सब से लम्बा और मज़बूत धावन मार्ग बन जायेगा । जैट जहाजों की मशीन भारी होती हैं और अधिक तीव्रगामी होती हैं अतः लम्बाई के अतिरिक्त उनका धावन मार्ग अधिक मजबूत भी होना चाहिये । सारा कार्य इस प्रकार किया जा रहा है कि १९६० म जब बोइंग विमान आयेगा तो हम उसका स्वागत कर सकेंगे । क्योंकि कोई भी सरकार इतना खतरा नहीं ले सकती है कि एक विमान के लिये तीन करोड़ रुपये देने के पश्चात् भी वह अपने हवाई अड्डे को उसके योग्य न बना सके ।

धावन मार्ग के अलावा भी कई बातें होती हैं जो आधुनिक हवाई अड्डे को पूर्ण और सुचारु बनाने के लिये आवश्यक हैं । मैं आपको बताऊंगा कि हमने उनकी किस प्रकार व्यवस्थ ।

[श्री स० का० पाटिल]

इस हवाई अड्डे में पूर्व के समस्त देशों से अधिक अच्छी और आधुनिकतम हाई इन्टेन्सिटी रन वे (अधिक शक्तिशाली धावन मार्ग) और एप्रोच लाइटिंग सिस्टम (विमान के प्रवेश करते समय स्वतः प्रकाश प्रणाली) मौजूद है। संभव है एमस्टर्डम, वाशिंगटन और न्यूयार्क के कुछ हवाई अड्डे इससे अच्छे हों तथापि स्वेज के पूर्व आपको ऐसा आधुनिकतम हवाई अड्डा नहीं मिल सकता है। अग्रेतर इसके सुधार में १८ लाख रुपये और खर्च किये जायेंगे।

इस हवाई अड्डे में ५१ लाख रुपये की लागत से, आधुनिकतम राडार ग्राउंड कन्ट्रोल्ड एप्रोच सिस्टम (हवाई अड्डे से नियंत्रित विमान के आगमन की स्वतः सूचना देने वाली राडार प्रणाली) की व्यवस्था की जा रही है। खराब मौसम के लिये यह बहुत आवश्यक है तथा सभी बड़े हवाई अड्डे में सामान्यतः यह व्यवस्था रहती है। इसका आर्डर कई वर्ष पूर्व भेजा जा चुका है। यदि उसके आने में विलम्ब न होता तो वह आज तक काम करने लगा होता। तथापि बोइंग विमानों के आने के पूर्व राडार अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा। इसमें आधुनिकतम प्रकार का इन्सट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम (यंत्र नियंत्रित आगमन प्रणाली) भी लगी हुई है। विमानों में भी यह प्रणाली होनी चाहिये तब यह दोनों संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। वाइकाउन्टों में यह प्रणाली नहीं है। हम दमदम और दिल्ली के हवाई अड्डों में भी यह व्यवस्था कर रहे हैं जिससे जब यंत्र नियंत्रित आगमन प्रणाली से युक्त बड़े विमान आयेंगे तो वे हर प्रकार के बुरे मौसम का सामना करने में समर्थ होंगे।

आधुनिकतम प्रकार के दिशा निर्देशक उपकरण में स्वचालित वी० एच० एफ० मारकोनी ए० डी० २०० दिशा निर्देशक लगा रहता है। कुछ ही सप्ताहों में आधुनिकतम प्रकार की ट्रेक गाइडिंग सिस्टम (पथ प्रदर्शन प्रणाली) जिसे सामान्य लोगों की भाषा में ओमनी डाइरेक्शनल रेंज (सर्व दिशा व्यापी) कहते हैं काम करने लगेगी। सैन्टा क्रूज़ भारत में पहिला हवाई अड्डा होगा जहां उक्त व्यवस्था होगी। अन्य सामान्य सुविधाओं यथा रेडियो मार्कस, रेडियो बेकन इत्यादि के अलावा इस हवाई अड्डे में उच्च शक्ति युक्त रेडियो पथप्रदर्शक (हाई पावर्ड रेडियो बेकन) की व्यवस्था भी होगी। इस प्रकार इस हवाई अड्डे के निर्माण होने तक हम से हवाई अड्डे के लिये आवश्यक सभी आधुनिकतम उपकरणों की व्यवस्था हो जायेगी। इस दृष्टि से कोई अधूरी योजना या बुरी योजना नहीं बनाई गई है। अतिरिक्त वैमानिक दूर संचार और संचार साधनों की व्यवस्था करने के लिये अग्रेतर विस्तार-कार्य किया जा रहा है। वे वस्तुएं भी महत्वपूर्ण हैं। इनका आविष्कार हाल में ही हुआ है आज से दस वर्ष पूर्व इन्हें कोई नहीं जानता था। वस्तुतः आधुनिक तकनीकी विज्ञान की अत्यधिक उन्नति हो रही है और एक दो वर्षों में जब तक यह कार्य समाप्त करेंगे अन्य वस्तुयें इस क्षेत्र में आ जायेंगी और हमें उनकी व्यवस्था करनी होगी।

उन्होंने यह भी कहा है कि मरम्मत के वर्कशाप अच्छे स्थानों में अवस्थित नहीं हैं। वे यह भी कहते हैं कि काहिरा, बरूत और दमिश्क में जो कुछ किया गया है, क्या वह यहां नहीं किया जा सकता है। बेरूत के सम्बन्ध में मैं उन्हें बता सकता हूं कि हवाई अड्डे पर १२ करोड़ रुपये व्यय किये गये : हमने कुल सवा करोड़ रुपये व्यय किये हैं। बेरूत हवाई अड्डे का यात्री यातायात सैन्टा क्रूज़ हवाई अड्डे का ५० प्रतिशत भी नहीं है। उसके लिये उन्होंने सैन्टा क्रूज़ से दस गुना व्यय किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आधुनिक संसार में हवाई अड्डों को आधुनिकतम बनाने के लिये कितना व्यय करना होता है। एक आधुनिक हवाई अड्डे में १० करोड़ से १०० करोड़ रुपये व्यय होते हैं। यह कहना सरल है कि आप सभा से रुपयों की मांग कर सकते हैं क्योंकि विश्व में होने वाली तकनीकी प्रगति से कदम मिला कर चलन के लिये धन की आवश्यकता होगी और धन देना होगा।

जहां तक आइडिल फील्ड हवाई अड्डे का जिक्र है उसकी उत्पत्ति इस कारण हुई कि ला गार्डिया हवाई अड्डा जैट युग के उपयुक्त नहीं समझा गया। इस हवाई अड्डे ने १०, १२ मील जमीन घेरी हुई है। वहां जमीन पर्याप्त है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति जमीन भारत से पांच गुनी है। इसलिये अमरीका में जो बात सम्भव है वह भारत में नहीं हो सकती है। आइडिल फील्ड का हवाई अड्डा क्रमानुसार बन रहा है तथा प्रत्येक क्रम के आधुनिकीकरण पर लगभग १५ करोड़ रुपये व्यय हुआ है। इस प्रकार वहां सात प्रक्रम हैं। अर्थात् विश्व के सर्वोत्तम हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण पर १०५ करोड़ रुपये व्यय होंगे। भले ही हमारे पास इतना धन न हो तथापि हमें भी आधुनिकीकरण करना है। वस्तुतः जितना भी धन हमारे पास है उससे हमें अधिकतम प्रयत्न करना है। यही किया भी जा रहा है।

खारतूम हवाई अड्डा बनाने के लिये ब्रिटेन की सरकार ने ७ करोड़ रुपये दिये क्योंकि सूडान की सरकार इतना बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बना सकती थी। निस्संदेह हमें भी यही करना होगा तथापि हमें स्वविवेक से काम लेना है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रतिरक्षा तथा अन्य विभागों से सलाह क्यों नहीं ली गई। उनसे सलाह ली गई। तथापि देश इस समय विलास की व्यवस्था नहीं कर सकता है। इस समय हमारा एक एक रुपया बहुत महत्वपूर्ण है और इस कार्य में आधे से अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होती है। इसमें अन्तर्देशीय मुद्रा व्यय नहीं की जाती है। वस्तुतः हम २० करोड़ रुपया यहां और २० करोड़ रुपये वहां व्यय नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्यों को यह विचार दिल से निकाल देना चाहिये। हमारे देश में ऐसा प्रस्ताव क्रियान्वित होना असम्भव है।

इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मैं प्रतिरक्षा के मामले पर आपत्ति कर रहा हूं। मेरा तात्पर्य यह है कि हमें अपने अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिये तथा उसे सैनिक और नागरिक दोनों के बीच ऐसे वितरित करना चाहिये कि हम कुछ निर्माण कर सकें। जब हमारे पास पर्याप्त धन राशि हो जायगी तो हमारे पास या प्रतिरक्षा विभाग के पास पृथक पृथक हवाई अड्डा हो सकता है। यह बात दिल्ली के लिये लागू होती है। यह हवाई अड्डा असैनिक हवाई अड्डा नहीं है। वह प्रतिरक्षा विभाग वालों का है। यदि हमारे और प्रतिरक्षा विभाग का पृथक पृथक हवाई अड्डा होता तो उसके आधुनिकीकरण में १० करोड़ रुपया और व्यय होता। क्योंकि २ स्थानों में आधुनिकीकरण करना होता। हमें दुगुनी मशीनें या विदेशी मुद्रा व्यय करनी होती। इन सभी बातों को कुछ समय के लिये स्थगित करना है विशेषतः इस समय जब हमारे पास पैसा नहीं है।

यह भी कहा गया है कि मरम्मत करने वाले वर्कशाप दूर स्थित हैं। मैं उनके कार्य की त्रुटियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। निसंदेह मूल योजना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि उन्हें १० वर्ष आगे न देख कर २५ वर्ष आगे देखना चाहिये था। वस्तुतः ६६ लाख के लागत को उन्हीं इमारतों में कुछ और स्थान बनाया जा सकता था। यह उसकी त्रुटियां हैं। हम उन पर गौर कर रहे हैं। इन गम्भीर त्रुटियों का उपचार कर दिया जायेगा।

दूसरी कठिनाई यह बताई गई थी कि वर्कशाप दूरी पर है और उससे असुविधा होगी तथा अन्य हवाई अड्डों में ऐसा नहीं है। यदि सभी बातों के लिये व्यवस्था की जायेगी तो हवाई अड्डा बहुत लम्बा हो जायेगा। इसलिये यदि वर्कशाप यात्रियों के आने जाने के स्थान से कुछ हट कर है तो उसमें कोई हानि नहीं है।

[श्री स० का० पाटिल]

कठिनाइयों के बावजूद भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं भले ही कुछ त्रुटियां हों तथापि निर्माण कार्य समाप्त होने पर सैन्टा क्रूज़ हवाई अड्डा न केवल भारत का अपितु स्वेज के पूर्व का सर्वोत्तम हवाई अड्डा बन जायेगा । वस्तुतः कुछ अंशों में आज भी वह पूर्व का सर्वोत्तम हवाई अड्डा है ।

जहां तक कलकत्ता हवाई अड्डे का प्रश्न है वहां बम्बई से भी अधिक भीड़-भाड़ रहती है । वहां भी सुधार करना होगा । वस्तुतः तीन स्थानों यथा बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में सुधार करना है । उनमें इस प्रकार सुधार किया जायेगा कि जब कभी यहां बोइंग या जैट पहुंचे तो वे उक्त हवाई अड्डों में उतर सकें तथा इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी कि कुछ बातों की व्यवस्था नहीं की गई है या उनका पहिले से विचार नहीं किया गया था ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २८ अप्रैल, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[दैनिक संक्षेपिका]

[शनिवार, २६ अप्रैल, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	५४८३—५५०९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८५१	नयी दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन घर	५४८३–८४
१८५३	कैल्शियम साइनामाइड	५४८४–८५
१८५६	धूलियान लूप लाइन	५४८५–८६
१८५७	उर्वरक	५४८६—८८
१८६०	अमरीकी गेहूं	५४८९
१८६१	अन्तर्देशीय जल परिवहन की भाड़े की दर	५४८९—९२
१८६२	बांस का फल	५४९२–९३
१८६३	केरल राज्य में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास	५४९३–९४
१८६४	नारियल जटा यार्न और रस्सी के भाड़े में रियायत	५४९४–९५
१८६५	खाद्य उत्पादन	५४९५—९८
१८६६	गंगा नदी पर पुल का निर्माण	५४९८–९९
१८६८	बालासोर नीलगिरि रोड लाइन	५४९९–५५००
१८६९	उर्वरक का आयात	५५०१–०२
१८७०	उड्डयन योग्यता प्रमाण-पत्र के बगैर विमान	५५०३–४
१८७१	दिल्ली में क्षय और डिपथैरिया	५५०४—०६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१६	पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि	५५०६—०९
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	५५०९—४९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८५२	नैल्लौर का चावल	५५०९
१८५४	आंध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना	५५१०
१८५५	हड़ताल के दौरान स्वैच्छिक सेवा	५५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८५८	अमरीकी 'लिबर्टी' जहाजों का खरीदा जाना	५५११
१८५९	बम्बई उपनगरीय रेलवे में दुर्घटना	५५११
१८६७	लकड़ी के लट्ठों का निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र	५५११
१८७२	मैडिकल कालेज	५५१२
१८७३	बम्बई राज्य के नासिक जिले में अकाल	५५१२
१८७४	बारासेत--हसनाबाद लाइन	५५१२-१३
१८७५	टेलीफोन मशीनों के लिये नये सिक्के	५५१३

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२७८७	दिल्ली बिजली बोर्ड	५५१३
२७८८	मोकामा पुल	५५१३-१४
२७८९	उड़ीसा में अधिक अनाज उगाओ आन्दोलन	५५१४
२७९०	अन्नामलाई विश्वविद्यालय में कृषि कालेज	५५१४
२७९१	मैसूर की रेलवे वर्कशाप सम्बन्धी संवरण समिति	५५१४-१५
२७९२	रेलवे में सुरक्षा निरीक्षक	५५१५
२७९३	चिकोरी की खेती	५५१५-१६
२७९४	रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना	५५१६
२७९५	कोटारक्करा रेलवे स्टेशन का सुधार	५५१७
२७९६	पर्यटकों का हीराकुड बांध देखने के लिये जाना	५५१७
२७९७	बम्बई के लिये उर्वरक	५५१७-१८
२७९८	बम्बई में फल परिरक्षण उद्योग	५५१८
२७९९	बम्बई में पर्यटन	५५१८
२८००	रेलवे कर्मचारी	५५१९
२८०१	वाराणसी-दोहरीघाट राष्ट्रीय राजपथ	५५१९
२८०२	आसाम में गौशालाएं	५५२०
२८०३	आसाम में मीन क्षेत्र का विकास	५५२०
२८०४	आसाम में प्रादेशिक कुक्कुटादि पालन केन्द्र	५५२०-२१
२८०५	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डाक की सुविधायें	५५२१
२८०६	उड़ीसा में डाकघर	५५२१
२८०७	गुड़गांव स्टेशन पर यात्री सुविधायें	५५२१-२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२८०८	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	५५२२
२८०९	दिल्ली और नयी दिल्ली की सड़कों के नाम . . .	५५२२–२३
२८१०	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु-पालन में प्रशिक्षण . .	५५२३
२८११	दिल्ली में मछली पालन	५५२३–२४
२८१२	उत्तर रेलवे में उम्मीदवारों का चुनाव	५५२४
२८१३	स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता . .	५५२४
२८१४	तेल वाली सारडीन मछलियां	५५२५
२८१५	कैंसर संस्थाएं	५५२६
२८१६	गन्ना	५५२६
२८१७	रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना	५५२६
२८१८	डाक का भेजा जाना	५५२७
२८१९	अन्तर्देशीय जल पथों का सर्वेक्षण	५५२७
२८२०	रावाल्फिया पौधे के सम्बन्ध में गवेषणा . . .	५५२७
२८२१	रेलवे के स्टोर वान और डिलीवरी क्लर्क . . .	५५२८
२८२२	गव्यशालाओं की स्थापना	५५२८
२८२३	मनीपुर के मछए	५५२८
२८२४	अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का चुनाव . .	५५२९
२८२५	अनाज का आयात	५५२९–३०
२८२६	कृषि तथा खाद्य मूल्यों सम्बन्धी गोष्ठी . . .	५५३०
२८२७	राज्यों में चावल की वसूली	५५३०–३१
२८२८	बरसी रेलवे स्टेशन पर रोशनी की व्यवस्था . .	५५३१
२८२९	आन्ध्र में धान	५५३१
२८३०	वनस्पति घी का उपयोग	५५३१–३२
२८३१	यात्री सुविधायें	५५३२
२८३२	केरल को चावल का भेजा जाना	५५३३
२८३३	मद्रास में उचित मूल्य वाली दूकानें	५५३३
२८३४	रेलवे सुरक्षा बल	५५३३–३४
२८३५	डाक घर	५५३४–३५
२८३६	दिल्ली का कलावती शिशु हस्पताल	५५३५
२८३७	तिलहन	५५३५
२८३८	रेलवे कर्मचारियों के अभ्यावेदनों का निबटारा . .	५५३५
२८३९	राष्ट्रीय राजपथ	५५३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२८४०	राष्ट्रीय राजपथ	५५३६
२८४१	डाक तथा तार विभाग में वरिष्ठ अधीक्षकों के पद	५५३६–३७
२८४२	भरतपुर को सिंचाई की सुविधायें	५५३७
२८४३	गन्ना	५५३७
२८४४	हिमाचल प्रदेश में पशु पालन का विकास	५५३७–३८
२८४५	रेलवे कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि	५५३८
२८४६	दार्जिलिंग में लेबोंग डाक घर	५५३८–३९
२८४७	पंजाब में फलों का उत्पादन	५५३९
२८४८	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	५५३९
२८४९	लसूर और ऐलोरा स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना	५५४०
२८५०	राज्यों में भूमि का कटाव	५५४०–४१
२८५१	रेलवे में पदोन्नतियां	५५४१
२८५२	पंजाब में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र	५५४१
२८५३	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की योजनायें	५५४२
२८५४	उड़ीसा में उचित मूल्य वाली दूकानें	५५४२
२८५५	मद्रास में चीनी के सहकारी कारखाने	५५४२
२८५६	मद्रास में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र	५५४३
२८५७	हिमाचल प्रदेश में गोशाला विकास योजना	५५४३
२८५८	हिमाचल प्रदेश में पशु प्रदर्शनी	५५४३
२८५९	परिवार नियोजन	५५४४
२८६०	रेलवे के इंजन तथा डिब्बे	५५४४
२८६१	मनीपुर में पशु गणना	५५४४–४५
२८६२	रेलवे में आरक्षण सम्बन्धी सुविधायें	५५४६
२८६३	कोटा रेलवे स्टेशन पर दर्ज शिकायत	५५४६
२८६४	टेलीफोन	५५४७
२८६५	टेलीफोन के कनैक्शन	५५४७
२८६६	लों में भ्रष्टाचार	५५४७–४८
२८६७	उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें	५५४८–४९
सभा पटल पर रखे गये पत्र		५५४९

अत्यावश्यक पण्य अधिसूचना, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) जी० एस० आर० संख्या २१७, दिनांक ७ अप्रैल, १९५८।

विषय पृष्ठ

(२) पंजाब चावल (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या २१८, दिनांक ८ अप्रैल, १९५८।

(३) अमृतसर और गुरदासपुर जिला चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाले जी० एस० आर० संख्या २१९, दिनांक ८ अप्रैल, १९५८।

(४) बम्बई गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या २४१, दिनांक १५ अप्रैल, १९५८।

(५) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या २४२, दिनांक १५ अप्रैल, १९५८।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४९

सोलहवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ५५५०

चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ।

विधेयक पुरःस्थापित ५५५१

(१) केन्द्रीय बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८।

(२) भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ५५५१

चौबीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित . . . . ५५५२—५४

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) द्वारा भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार विचार करने के पश्चात् विधेयक पारित हुआ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . . ५५५४—८२

श्रीमती आल्वा द्वारा अपराधी परिवीक्षा विधेयक, १९५७, पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चर्चा असमाप्त रही।

विषय पृष्ठ

आधे घंटे की चर्चा . . . . . . ५५८३—८८

श्री नोशोर भरूचा ने सैंटा क्रूज हवाई अड्डे के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १०७६ के १९ मार्च, १९५८ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई । परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

सोमवार, २८ अप्रैल, १९५८ के लिये कार्यावलि

अपराधी परिवीक्षा विधेयक, १९५७ पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा । बम्बई, कलकता, मद्रास पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक पर विचार ।